अध्याय तीन

अनुसूचि 1.0 : उपभोक्ता व्यय :

परिचय :

3.0.0.0 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा. प्र. स. स.) द्वारा सन 1972 - 73 से उपभोक्ता व्यय और रोजगार एंव बेरोजगारी से संबंधित पंचवर्षीय सर्वेक्षण के कार्यक्रम को अपनाया गया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पारिवारिक उपभोक्ता व्यय आंकड़ों को एक काल श्रेणी प्रदान करता है, जो जीविका स्तर सामाजिक उपभोग और कल्याण, एवं उसमें असमानता के सांख्यिकीय सूचकों का प्रमुख स्रोत है । पंचवार्षिक श्रृंखला के अलावे वार्षिक श्रृंखला भी विद्यमान है जिसमें पंचवार्षिक श्रृंखला दौरों के बीच की अवधि - 42 वें दौर (जुलाई - 1986 - जून 1987) से आरम्भ और एक छोटे प्रतिदर्श का उपयोग करके संचालित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण शामिल हैं ।

3.0.0.1 पंचवार्षिक श्रृखला का पिछला सातवां सर्वेक्षण - 61 वें दौर (जुलाई - 2004 - जून 2005) के दौरान आयोजित किया गया था । आठवाँ सर्वेक्षण 66 वें दौर में जुलाई - 2009 से जून 2010 के दौरान आयोजित किया जायेगा ।

पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की परिभाषा

3.0.0.2 वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग : इन शब्दों का तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं से है, जो (उत्पादन में बिना परिवर्तन किए हुए) परिवार, NPISHs[1] परिवारों के सेवा में लगे लाभ - रहित संस्थान या सरकारी इकाइयों द्वारा व्यक्तिगत प्रयोजनों और जरूरतों का प्रत्यक्ष संतोष या समुदाय के सदस्यों के सामुहिक प्रयोजनों के लिए किया गया है । (SNA – 93) ।

3.0.0.3 परिवारिक उपभोक्ता व्यय (पा उ व्य) : विनिर्दिष्ट अवधि जिसे संदर्भ अवधि कहा जाता है, के दौरान, पा उ व्य. निम्नांकित का कुल-योग है । :-

(क) संदर्भ अवधि के दौरान, परिवार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर किया गया व्यय ।

(ख) वस्तुओं और सेवाओं का आरोपित मूल्य जिन्हें पारिवारिक उद्यम (मालिकाना या साझेदारी) द्वारा उत्पादित किया गया और संदर्भ अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों द्वारा उपभोग किया गया ।

(ग) संदर्भ अवधि के दौरान, परिवार को पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का अरोपित मूल्य ।

(घ) सरकारी इकाइयों या परिवारों की सेवा में लगे लाभनिरपेक्ष संस्थान (NPISHs) से सामाजिक हस्तांतरण द्वारा परिवार को प्राप्त एवं संदर्भ अवधि में परिवार द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं का आरोपित मूल्य

इस स्तर पर कुछ स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता होगी ।

3.0.0.4 सबसे पहले ऊपर से यह स्पष्ट है कि परिवार के स्वामित्वाधीन उत्पादक उद्यमों (फार्म या गैर-फार्म) पर किया गया व्यय परिवारिक उपभोक्ता व्यय के बाहर होगा । इसके अतिरिक्त आवासीय भूमि या भवन की खरीद भी उपभोक्ता व्यय के बाहर होगी, क्योंकि राष्ट्रीय लेखा के अनुसार भूमि और भवन उपभोग वस्तुओं एवं सेवाओं के बाहर है ।

---

[1] Non-Profit Institutions Serving Households/परिवारों की सेवा में लगी लाभनिरपेक्ष संस्थायें

उपभोक्ता व्यय में इन्हें शामिल नहीं करना है

- उद्यम व्यय (फार्म, गैर - फार्म)
- भूमि एवं भवन की खरीद एवं निर्माण
- लिये गये ऋण पर ब्याज का भुगतान
- बीमा प्रिमियम का भुगतान
- लाटरी टिकटों और जुआ खेलने पर व्यय
- खैरात, धन - प्रेषण, दान, अर्थ दंड एंव प्रत्यक्ष कर के रूप में दी गई राशि

निम्नलिखित उपभोक्ता व्यय के अंश हैं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए

- अपने फार्म या अन्य पारिवारिक उद्यम के उत्पाद जिनका उपभोग किया गया है, का आरोपित मूल्य ।
- किसी भी तरह का परिवारिक व्यय जो नियोक्ताओं से अनुलाभ के रूप में प्राप्त हुए हों (जैसे चिकित्सा, बिजली, एल.टी.सी. आदि)
- परिसंपत्तियों एंव टिकाऊ वस्तुओं की छोटी मरम्मतों की लागत
- स्कूल और कॉलेज के सभी अनिवार्य भुगतान जिसमें तथाकथित 'डोनेशन' भी शामिल है
- नियोक्ता से वस्तुरूप में भुगतान के तौर पर प्राप्त या निःशुल्क प्राप्त वस्तु और सेवायें (जैसे क्वार्टर का आरोपित किराया)
- चिकित्सा से संबंधित भुगतान जिसे बीमा कंपनी ने प्रतिपूरित किया हो या प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया हो ।
- वस्त्र, जूते, पुस्तकें, टिकाऊ वस्तुओं की सेकेन्ड हैंड खरीद ।

3.0.0.5 उपभोक्ता व्यय बनाम हस्तांतर भुगतान : किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए परिवार ने जो व्यय किया वह हस्तांतर भुगतान से अलग होना चाहिए । एक हस्तांतरण एक ऐसा कारबार है जिसमें एक इकाई एक वस्तु, सेवा या संपत्ति दूसरे को प्रदान करती है जिसके बदले वह इकाई कोई सेवा, वस्तु या संपत्ति प्राप्त नहीं करती या दूसरे शब्दों में, इस लेन देन में प्रतिवस्तु प्राप्त नहीं होती । हस्तांतरण अप्रतिशोधित या एक तरफा होता है । उदाहरण के तौर पर :- अर्थ दंड़ और जबरन वसुल की गयी रकम जैसे फिरौती ।

3.0.0.6 प्रत्यक्ष करों का प्रतिपादन : राष्ट्रीय लेखा में, सभी कर जो आय या संपत्ति (संपत्ति का मालिकाना) से संबंधित हो हस्तांतरण हैं क्योंकि वे सरकार के अनिवार्य अप्रतिशोधित भुगतान हैं । वर्तमान में 'गृह-कर' को राप्रस पारिवारिक उपभोक्ता व्यय (पा.उ.व्य.) की अनुसूची में दर्ज किया जा रहा है एवं इसे पा.उ.व्य. में शामिल किया गया है क्योंकि इसके बदले में सरकार कुछ सेवाएं प्रदान करती है । यदि कड़े शब्दों में कहा जाए तो भुगतान के बदले जो सेवाएं प्राप्त की जाती है वह संतोषजनक नहीं है ।

3.0.0.7 बीमा : परिवार द्वारा बीमा प्रिमियम का भुगतान पा.उ.व्य. - कार्य क्षेत्र से बाहर माना गया है । जैसे की 61 वें दौर और पिछले दौरों में किया गया था । अतः परिवार द्वारा किये गये बीमा प्रिमियम के भुगतान संबंधि किसी प्रकार की सूचना का संग्रह इस अनुसूची में नहीं किया जायेगा ।

3.0.0.8 पुरानी खरीद : पुराने वस्त्र, जूते, बिछौना, पुस्तकें और पत्रिकाएं और टिकाऊ वस्तुओं की खरीद को राप्रस में शामिल किए गए हैं, जो कि पा.उ.व्य. की संकल्पना है ।

3.0.0.9 मध्यस्थ उपभोग बनाम पा.उ.व्य. : नियोक्ताओं द्वारा कभी-कभी कर्मचारियों को वस्तु एवं सेवाओं के रूप में वस्तु रूपी पारिश्रमिक या अनुलाभ प्रदान किये जाते हैं (उपरोक्त अनुछेद 3.0.0.3 (ग) देखें) । यह उद्यम के निवेशों से पृथक होना चाहिए । सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि यदि कर्मचारी अपने कार्य के बदले इन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है तो यह मध्यस्थ निवेश कहलायेगा । यदि कर्मचारी गण अपनी इच्छानुसार इन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं तो ये वस्तुएं और सेवायें वस्तुरूपी पारिश्रमिक या अनुलाभ होंगे एवं पा.उ.व्य. के अंश होंगे ।

परिवारिक स्तर पर उपभोग का लेखा

3.0.1.1 तीन अभिगम पारिवारिक उपभोग की परिभाषा को परिचालन योग्य करने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता न केवल पारिवारिक उपभोक्ता व्यय में क्या शामिल किया जाए एवं क्या शामिल नहीं किया जाए, के लिए होती है, बल्कि इसके लिए भी होती है :-

क) परिवार द्वारा उपभोग से संबंधित प्रत्येक कार्य को निर्धारण करना ।
ख) उपभोग से संबंधित प्रत्येक कार्य का समय निर्धारण करना ।

केवल तब कोई एक संदर्भ अवधि P में एक परिवार H के उपभोग को दर्ज करने का प्रयत्न कर सकता है ।

3.0.1.2 उपभोग मदों की विभिन्न कोटियों के लिए शब्द 'उपभोग' को विभिन्न अर्थ प्रदान करना सुविधाजनक पाया गया है । अतः यह सर्वेक्षण, खाद उपभोग को फर्नीचर उपभोग के समान ही परिभाषित नहीं करता । परिणामस्वरूप, किसी एक परिवार के उपभोग को मापने[2] के लिए NSS ने एक नहीं तीन अलग-अलग अभिगमों का प्रयोग किया है, अभिगम उपभोग मदों की श्रेणी के अनुसार बदलता है ।

3.0.1.3 तीन मुख्य अभिगम : उपयोग अभिगम, प्रथम उपभोग अभिगम और व्यय अभिगम हैं ।

उपयोग अभिगम (जिसे उपभोग अभिगम भी कहा जाता है)

3.0.1.4 कुछ वस्तुयें, जैसे खाद्य और ईंधन का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है । जब खाद्य और ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो हम कहते हैं कि उनका उपभोग हुआ है ।

3.0.1.5 जब खाद्य खाया जाता है, तो यह पता करना कठिन नहीं है कि कौन आहार ले रहा है । वह परिवार जिसमें वह व्यक्ति रहता है, उपभोग करने वाला परिवार कहलाता है । यही नियम पान, तम्बाकू और नशीले द्रव्य के लिए भी लागू होता है ।

3.0.1.6 जब ईंधन का उपयोग खाना पकाने और प्रकाश के लिए होता है, तो जिस परिवार में खाना पकाया जाता है या प्रकाश किया जाता है, उसे उपभोगी परिवार कहा जाता है ।

3.0.1.7 परिवार में भोजन पकाया गया और उसका उपभोग परिवार के सदस्यों ने किया तो उसके अवयवों को उपभोक्ता व्यय अनुसूची में दर्ज किया जायेगा । पर यह भोजन यदि किसी गैर सदस्य को खिलाया जाता है तो उस हिस्से का परिमाण और मूल्य दर्ज करने में कठिनाई आ सकती है । आंकडों के संग्रह को सरल बनाने के लिए एवं उपभोग से संबंधी आंकडों का अनुलिपिकरण न हो, इस के लिए इस अभिगम में कुछ अलगाव लाये गए हैं । परिवार में पके भोजन को भोजन बनाने वाले परिवार में दर्ज किया जायेगा, यह लिहाज किए बिना की भोजन किसने खाया । अतः जब एक अतिथि अथवा एक भिखारी को एक परिवार में खाना खिलाया जाता है, तो उस परिवार को ही उपभोक्ता परिवार माना जाता है । फिर यदि एक परिवार अपनी रसोई में बने भोजन के रूप में किसी एक व्यक्ति को एक भुगतान करता है तो इसे परिवार का उपभोग माना जायेगा ।

---

[2] जब एक एकमात्र संदर्भ अवधि (अनुच्छेद 3.0.2.1 देखें) का उपयोग किया जाता है तब भी यह मामला होगा । यहाँ हम आंकड़े एकत्र करने की विभिन्न संदर्भ अवधियों की बात नहीं कर रहे हैं ।

3.0.1.8 जब बाजार से (होटल, रेस्तरां, कैंटीन या कैटरिंग एजेंसी से) पका भोजन खरीदा जाता है, तो खरीदार परिवार को उपभोक्ता परिवार माना जायेगा, भले ही उस भोजन को किसी और ने खाया हो । यह पुनः उपभोग अभिगम से एक अलगाव है । ऐसी स्थितियों में, यह व्यय अभिगम (देखें पैरा 3.0.1.16) है जिसका पालन किया जाना है । तथापि, यदि भोजन खरीदने के बाद उसका उपयोग खरीदार द्वरा भुगतान के रूप में (एक सेवा देने वाले को) किया जाता है, तो उस भोजन का लेखा भुगतान के रूप में भोजन पाने वाले परिवार के खाते में किया जायेगा ।

3.0.1.9 निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी जब सरकारी दौरे पर खाद्य पर व्यय करते है 'एंव' उसकी प्रतिपूर्ति संस्थान द्वारा की जाती है तो उसे पारिवारिक उपभोक्ता व्यय नहीं माना जायेगा । (फिर से यह उपयोग अभिगम से विचलन है) ।

3.0.1.10 जब एक व्यक्ति, सरकार या एक गैर-सरकारी एजेंसी, जैसे धर्मार्थ संगठन से (उदाहरणार्थ मध्य दिवस भोजन योजना के अधीन प्राप्त भोजन) सहायता के रुप में प्राप्त भोजन का उपभोग करता है, तो इसे उस परिवार का उपभोग माना जायेगा, जिसमें वह व्यक्ति रहता है । (उपभोग अभिगम के मूल्य को प्राप्त भोजन के स्थानीय मूल्य पर आरोपित किया जाना है ।) **यह क्रियाविधि 64 वें दौर से अपनायी जा रही है ।**

3.0.1.11 उपयोग अभिगम का उपयोग उस एक व्यक्ति (साधारणतया एक छात्रावास के विद्यार्थी) के मामले में भी किया जाना है, जिसके भोजन के बिल का भुगतान नियमित रुप से एक भिन्न परिवार में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति (सामान्यतः माता-पिता) द्वारा किया जाता है । **64 वें दौर के पूर्व ऐसे मामलों में व्यय अभिगम को लागू माना जाता था ।**

प्रथम उपयोग अभिगम

3.0.1.11 वस्त्र, बिछावन और जूतों का उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है । वस्त्र या जूतों की एक मद का उपयोग सामान्यतः एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार किया जाता है । बिछावन की एक मद का उपयोग भी बार-बार किया जाता है और प्रायः इसे अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा भी काम में लाया जाता है । <u>वस्त्र, बिछावन और जूते की मदों के लिए, उपभोग किया गया तब माना जाता है जब उसका पहली बार उपयोग किया जाता है ।</u>

3.0.1.12 वस्त्र और जूते की पुरानी (सेकंड-हैंड) खरीद के मामले में एक अपवाद रखा गया है । वस्त्र या जूते की सेकंड-हैंड खरीद उसे कहते हैं जब वस्त्र या जूते की एक मद की खरीद कोई बगैर बदलाव किये हुए एक परिवार द्वारा उसका उपभोग किसी अन्य परिवार द्वारा कर लिये जाने के बाद की जाती है । जब ऐसी एक खरीद की जाती है तब हम कहते हैं कि खरीदने के साथ ही (सेकंड-हैंड खरीद का) उपभोग कर लिया गया । आर्थात् सेकंड-हैंड खरीद के मामले में, उपयोग अभिगम अपनाया नहीं जाता; दूसरे शब्दों में खरीदने के पश्चात् खरीदी गई मद का उपयोग किया गया या नहीं कोई मायने नहीं रखता ।

3.0.1.13 ध्यान रखें कि खाद्य की लगभग सभी मदों तथा खाना पकाने और प्रकाश के लिए ईंधन की कुछ मदों के लिए इस अनुसूची में उपभोग की मात्रा और मूल्य दोनों को दर्ज किया जाना है । कुछ एक मदों के लिए, जहां मात्रा बताना कठिन है, उपभोग का केवल मूल्य ही दर्ज किया जाना है ।

3.0.1.14 **मूल्य का आरोपण :** यदि एक मद की खरीद और उपभोग एक परिवार द्वारा किया गया है तो उसके खरीद-मूल्य को उसके उपभोग के मूल्य के रुप में लिया जा सकता है । परंतु, वस्तुओं और सेवाओं के बदले, गृह-पैदावार/गृह-उत्पादित भंडार, हस्तांतर प्राप्ति या निःशुल्क संग्रह से प्राप्त मदों में से उपभुक्त किसी वस्तु का मूल्य जानने के लिए आरोपण आवश्यक है । वस्तुओं के उपभोग-मूल्य के आरोपण के नियम नीचे दिये गये हैं :

- वस्तुओं और सेवाओं के बदले प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य -- परिवार के सदस्यों को उनके नियोक्ताओं से अनुलाभ के रुप में प्राप्त वस्तुओं सहित -- के मूल्य का आरोपण संदर्भ अवधि के दौरान विद्यमान औसत स्थानीय खुदरा मूल्यों की दर पर किया जायेगा । तथापि, विनिमय में खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य के बारे में सूचक की राय पर ध्यान दिया जायेगा ;

- गृह-उत्पादित का मूल्य फार्म या कारखाने (Ex-factory) की दर पर आरोपित किया जायेगा । इसमें वितरक सेवा शुल्कों का कोई भी अंश शामिल नहीं होगा ;
- उपहार, ऋण, निःशुल्क संग्रह आदि से उपभोग का मूल्य संदर्भ अवधि के दौरान प्रचलित औसत स्थानीय खुदरा मूल्य पर आरोपित किया जायेगा ;
- खरीद में से किये गये उपभोग का मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर खरीद की गई ।

व्यय अभिगम

3.0.1.15 खाद्य, पान, तम्बाकू, नशीले द्रव्य, वस्त्र, बिछावन, जूते, तथा खाना पकाने और प्रकाश हेतु ईधन को छोड़कर अन्य मदों के उपभोग के बारे में उपभोग करने वाले परिवार की पहचान और उपभोग किये जाने के समय को ज्ञात करने के लिए व्यय अभिगम को अपनाया जाता है ।

3.0.1.16 व्यय अभिगम कहता है कि इन मदों का उपभोग तब हुआ जब इन मदों (वस्तु या सेवा) पर व्यय किया गया । व्यय करने वाला परिवार उपभोग करने वाला परिवार है, भले ही उसके द्वारा उस मद का उपभोग किया गया हो या नहीं ।

3.0.1.17 जब एक परिवार H एक मद उपहार या दान या निःशुल्क संग्रह से प्राप्त करता है तो परिवार H द्वारा उस मद पर कुछ भी खर्च नहीं किया जाता ।

3.0.1.18 जब एक परिवार W अपने नियोक्ता से एक मद परिलब्धि के रुप में या W दी गई सेवा के बदले एक परिवार या उद्यम से वस्तु रुप में भुगतान प्राप्त करता है, तो W को परिलब्धि या वस्तु भुगतान के रूप में प्राप्त उस मद पर एक व्यय किया हुआ माना जाता है । स्थानीय खुदरा मूल्य पर उस मद के मूल्य को W द्वारा खर्च की गई राशि माना जाता है ।[3] इसके उदाहरण हैं : नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दिया गया आवास, समाचार पत्र और टेलीफोन सेवायें, और घरेलू लेखा पर अन्य व्यय, जैसे चिकित्सा व्यय, जिसकी प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है । छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) परिलब्धियों का एक अन्य उदाहरण है । उपभोग का समय, यदि यह एक वस्तु (जैसे समाचार पत्र) है तो प्राप्त करने का समय और यदि यह एक सेवा (जैसे टेलीफोन सुविधा) है तो उपयोग करने का समय होगा ।

3.0.1.19 जब एक परिवार 'H' एक मद नकद खरीद द्वारा प्राप्त करता है तो उसको व्यय करने का समय स्पष्ट है । चेक द्वारा या एक क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करने के मामले में परिवार को उसी समय व्यय किया हुआ माना जाएगा जब वह भुगतान के रुप में विक्रेता को चेक देता है या क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत करता है । यदि विक्रेता भुगतान किश्तों में लेने को राजी है तो उसे किराया खरीद कहा जाता है । किराया खरीद के मामले में विक्रेता को केवल संदर्भ अवधि के दौरान दिए गए भुगतान को किया गया व्यय माना जाता है । ध्यान रहे कि विक्रेता के अलावे किसी व्यक्ति या उद्यम से एक ऋण द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित खरीद (उदाहरणस्वरुप एक मोटर गाड़ी) के मामले में, जहां विक्रता को पूरा भुगतान एक साथ कर दिया जाता है, वस्तु के पूरे विक्रय मूल्य (विक्रेता को भुगतान करने के लिए लिया गया ऋण) परिवार द्वारा किया गया व्यय माना जाता है । यह व्यय (विक्रेता को दिया गया भुगतान) खरीददार के अधिकार में खरीदी गयी वस्तु के आने से पहले दिया जाता है, उसके बाद नहीं । दूसरी ओर वित्तदाता को किश्तों में ऋण का पुनर्भुगतान कई महीनों या वर्षो में किया जाता है । वित्तदाता को ऋण के पुनर्भुगतान का सम्बन्ध उपभोक्ता व्यय दर्ज करने से नहीं है ।

3.0.1.20 दूसरे परिवार द्वारा शिक्षा और परिवारिक आवास के किराये के लिए किये गये भुगतान को दर्ज करने की क्रियाविधि : एक व्यक्ति के किराये या शैक्षिक व्यय का भुगतान किसी अन्य परिवार द्वारा सीधे आवास या शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने वाले को किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है । इसका एक सामान्य उदाहरण है एक छात्रावास में रहने वाला एक विद्यार्थी । ऐसे एक व्यक्ति का किराया और शैक्षिक शुल्क प्रायः

---

[3] वस्तु में परिलब्धि और भुगतानों को छोड़कर, व्यय अभिगम द्वारा विनियमित मदों के मामले में मूल्य के आरोपण का प्रश्न नहीं उठता ।

उसके माता-पिता के परिवार द्वारा सीधे छात्रावास के अधिकारियों को दिया जाता है । यहाँ व्यय अभिगम से जाने का अर्थ होगा कि आवास या शैक्षिक सेवाओं के (नियमित) उपभोग को उपयोगकर्ता परिवार के नाम दर्ज नहीं किया जाना । यहां, किराया और शैक्षिक व्यय के लिए सामान्यतः लागू होने वाले व्यय अभिगम से हटकर उपयोग अभिगम को अपनाया जाना है । यहां आवास या शैक्षिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाले परिवार को उपभोक्ता परिवार माना जाता है, न कि भुगतान करने वाले परिवार को । **यह क्रियाविधि 64वें दौर में चालू की गयी थी ।**

उपभोक्ता परिवार और उपभोग के समय को निर्धारित करने के नियमों का सारांश :

खाद्य, पान, तम्बाकू, नशीले पदार्थ, खाना पकाने और प्रकाश के लिए ईंधन : उपयोग अभिगम
अपवाद :
(क) खाना पकाना और उसे गैर-परिवारिक सदस्यों को खिलाना : पकाने वाला परिवार उपभोक्ता है;
(ख) बाजार से खाना खरीदना और उसे अतिथियों को खिलाना या दान देना : खरीदार परिवार उपभोक्ता है ।
वस्त्र, बिछावन और जूते : प्रथम उपयोग अभिगम
(अपवाद : वस्त्र और जूते की सेकंड हैंड खरीद : सेकंड हैंड खरीद के साथ ही उपभुक्त ।)
अन्य मद : व्यय अभिगम
(अपवाद : किराया और शैक्षिक भुगतान, जो कि नियमित रुप से दूसरे परिवार द्वारा किया जाता है : उपयोग अभिगम अपनायें ।)

3.0.2.1 संदर्भ अवधि अनुसूची प्ररूप : यह समयावधि है जिसका सम्बंध एकत्र की गई सूचना से है । रा प्र स सर्वेक्षण, में यह मदों के अनुसार बदल सकती है । विभिन्न संदर्भ अवधियों में संग्रहित आंकड़े योजनाबद्ध भिन्नता दर्शाते हैं । इस दौर में, उन भिन्नताओं का विस्तार से अध्ययन करने के लिए दो तरह की अनुसूचियाँ बनायी गयी हैं । प्रतिदर्श परिवार को दो भागों में विभाजित किया गया है - अनुसूची प्ररूप - 1 पर पूछताछ एक सेट में किया जायेगा एवं अनुसूची प्ररूप - 2 का दूसरे में इस सर्वेक्षण के दौरान उपभोग मदों के विभिन्न समूहों के लिए उपयोग होने वाली संदर्भ अवधियां नीचे दी गई हैं :

क्र. सं.	*मद समूह*	*सदर्भ अवधि*	
		अनुसूची प्ररूप - 1	अनुसूची प्ररूप -2
1.	वस्त्र, बिस्तर, जूते, शिक्षा, चिकित्सा (संस्थागत) और टिकाऊ वस्तुयें ।	पिछले 30 दिन और पिछले 365 दिन	पिछले 365 दिन
2. (F2+)	खाने के तेल, अंड़े, मछली और मांस, सब्बजियाँ, फल, मसाले, विशेष प्रकार से बनाए गए खाद्य पदार्थ पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ ।	पिछले 30 दिन	पिछले 7 दिन
3.	अन्य सभी खाद्य, पान (एफ-1) ईधन और प्रकाश विविध वस्तुये और सेवाएँ और गैर संस्थागत चिकित्सा सहित सेवाएं किराया तथा कर	पिछले 30 दिन	पिछले 30 दिन

3.0.2.2 यह देखा गया है कि अनुसूची प्ररूप - 1 उसी संदर्भ अवधि का उपयोग कर रही है, जिसका उपयोग 61वें एवं 50 वें दौर के उपयोग व्यय सर्वेक्षण में किया गया था (जहाँ केवल एक अनुसूची प्ररूप था) । अनुसूची प्ररूप - 1 में परिवार से कुछ मदों के लिए दो संदर्भ अवधियों पिछले 30 दिन और पिछले 365 दिनों के लिए सूचना एकत्र की जायेगी ।

3.0.2.3 अनुसूची प्ररूप की संदर्भ अवधि वही है जो 60 वें दौर की (अनु. 1.0) अनुसूची प्ररूप - 2 में थी । क्रम सं. की मदों के लिए, अनुसूची प्ररूप - 2 के लिए संदर्भ अवधि पिछले 365 दिनों की होगी ।

3.0.2.4 60वें दौर के अनुसार ही, खाद्य, पान, तम्बाकु और नशीले पदार्थ की मदों (खाद्य + कोटि) को एकमात्र खंड में रखने की अपेक्षा दो खंडों में विभाजित किया गया है ।

- प्रथम खंड (खंड - 5.1) में खाद्यान्न, दाले, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएँ, चीनी, नमक (एफ-1 श्रेणी) इस खंड में, अनुसूची प्ररूप - 1 और अनुसूची प्ररूप - 2 की संदर्भ अवधि पिछले 30 दिनों की होगी ।

- खंड 5.2 में, पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थो सहित खाद्य की अन्य मदें शामिल है (मद श्रेणी एफ 2 +). इस खंड में अनुसूची प्ररूप - 1 की संदर्भ अवधि पिछले 30 दिन और अनुसूची प्ररूप - 2 की संदर्भ अवधि पिछले 7 दिनों की होगी ।

3.0.2.5 रा प्र स 61वें दौर की अनुसूची 1.0 के समान ही सभी खाद्य मदों और पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ के लिए अनुसूची प्ररूप - 1 की संदर्भ अवधि " पिछले 30 दिनो" की होगी ।

3.0.3 अनुसूची अभिकल्प : प्रतिदर्श परिवार के उपभोक्ता व्यय की विस्तृत जानकारी के लिए अनुसूची 1.0 कई खंडों में विभाजित की गयी है ।

खंड 0 : प्रतिदर्श परिवार की वर्णनात्मक पहचान

3.0.4 यह खण्ड एक प्रतिदर्श परिवार के विस्तृत पहचान विवरणों को दर्ज करने के लिए है । सभी मदें स्वतः स्पष्ट हैं । ऐसी मदें जो लागू न हों उनके सामने एक डैश (-) चिन्ह लगा दिया जाय । (उदा.: नगरीय प्रतिदर्श में ग्राम का नाम लागू नहीं होता है ।)

इस अनुसूची में क्या नया है
(61वें / 64वें दौर की तुलना में)

- दो प्रकार के अनुसूची प्ररूप हैं । अनुसूची प्ररूप - 1 61वें दौर की अनुसूची की तरह है । कुछ खंडों के लिए दोहरी संदर्भ अवधि का प्रयोग किया गया है जैसे "पिछला - 30 दिन और पिछला 365 दिन" । अनुसूची प्ररूप - 2 में विभिन्न खंडों के लिए विभिन्न संदर्भ अवधियों का प्रयोग किया गया है जैसे 7, 30, 365 दिनों का । किसी विशिष्ट खंड के लिए किसी एक संदर्भ अवधि का प्रयोग किया जाता है ।
- 61वें दौर की अनुसूची (खंड - 3) की तरह यहाँ राशन कार्ड के प्रकार या राशन कार्ड है कि नहीं जैसा कोई सवाल नहीं उठता ।
- 61वें दौर की अनुसूची (खंड - 3) की तरह परिवार को सरकार की खाद्य सहायता योजनाओं से लाभ हुआ या नहीं जैसा कोई सवाल नहीं हैं ।
- खंड - 3 में पिछले 30 दिनों में परिवार के सदस्यों द्वारा इनटरनेट के प्रयोग संबंधि प्रश्न किए जायेंगे ।
- दोनों अनुसूची प्ररूपों में, खाद्य + मदों (जैसे खाद्य, पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ) को दो खंडों में, विभाजित किया गया है, खंड 5.1 और खंड 5.2 । खंड 5.1 (खाद्यान्त, दाले, दूधो एवं दूध से बने उत्पाद, चीनी और नमक) के लिए दोनो अनुसूची प्ररूपों में 30 दिनों की संदर्भ अवधि का प्रयोग किया जायेगा । शेष खाद्य समूहों, और पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थो के लिए अनुसूची प्ररूप - 1 में 'पिछले 30 दिनों' का और अनुसूची प्ररूप - 2 में पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि का प्रयोग किया जायेगा ।
- खाद्यान्न जैसे चिऊड़ा, खोई आदि यदि गृह उप्पादित धान से तैयार किए गए हैं तो उसे गृह उत्पाद में चिऊड़ा, खोई के स्थान पर दर्ज किया जायेगा न कि चावल के स्थान पर ।
- खंड 5.2 मद - "सूपाडी" "चूना," "कथा" एवं अन्य पान माशालों को एकत्र कर एक मद बनाया गया है (312) "पान के मशाले(ग्राम)" ।
- 'कॉन-फ्लेक्स' सोयाबीन सूर्यमुखी/ सोयाबीन तेल और चावल की भूसी के तेल को खाद्य मदों से हटा दिया गया है ।
- खंड - 5.2 में, मद 334, "विदेशी शराब या रिफाइन्ड शराब " के स्थान पर विदेशी/रिफाइन्ड शराब या अंगूरी शराब कर दिया गया है ।
- पुरानी पुस्ताकों और पत्रिकाओं की सभी खरीद को खंड 9 में एक भिन्न मद (401) में दर्ज किया जायेगा ।
- "शैक्षणिक सीडी" के लिए शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा (खंड - 9) के अंतर्गत एक नयी मद (406) शामिल की गयी है ।
- खंड - 9 में मद (404) लेखन सामग्री, "फोटोकापी शुल्क" के स्थान पर 'लेखन सामग्री' किया गया है ।
- बीमा प्रीमियम भुगतान संबंधि कोई भी सूचना इस अनुसूची में संग्रहित नहीं की जायेगी ।
- खंड - 10 में औषधि के लिए केवल एक मद (420) है । 64वें दौर में खंड - 10 में औषधि को पांच मदों में विभाजित किया गया था ।
- खंड - 10 में मद (436) विडियो केसट/ VCR/VCP किराया "के स्थान पर VCD/DVD किराया (उपकरण सहित)" रखा गया है ।
- खंड - 10 में, दूरभाष शुल्क मोबाईल (मद 488) एक तारांकित मद होगी अर्थात, पिछले 30 दिनों में जो व्यय हुआ है उसे दर्ज किया जायेगा । "दूरभाष शुल्क : लैंडलाईन" (मद 487) एक तारांकित मद होगी अर्थात प्रविष्टि = पिछली भुगतान की गयी राशि को कितने महीनों का भुगतान किया गया से भाग देकर निकाल जायेगा ।
- मद "टेप रिकार्डर" ,"सीडी पेल्येर" को खंड - 2 से हटा दिया गया है । मद - 562 में कुछ परिवर्तन किया गया है - " VCR/VCD/DVD पेल्येर" ।
- "परसनल कम्प्युटर" (खंड - 11) को मद (622) पीसी/लेपटॉप सॉफटवेयर सहित अन्य सामग्री से प्रतिस्थापित किया गया है ।
- अनुसूची प्ररूप - 2 में "खाद्य पर्याप्तता पर परिवार की अवधारण" पर एक खंड (खंड - 13) रखा गया है ।

खंड - 1 प्रतिदर्श परिवार की पहचान

3.1.0 मद 1, 4 - 12, के लिए पहचान के विवरणों को सूचीकरण अनुसूची (अनु. 0.0.) के खंड - 1 की मद 1, 4 - 12 से नकल किया जायेगा । मद - 2, 3 और 20 में दर्ज किए जाने वाले विवरण अनुसूची में पहले से ही मुद्रित हैं ।

3.1.1 मद 13 : प्रतिदर्श खेड़ा-समूह/उप-खंड संख्या : यह मद अनुसूची 0.0 के खंड 5 के शीर्ष से नकल करके भरी जायेगी ।

3.1.2 मद - 14 द्वितीय चरण स्तर : यह मद अनुसूची 0.0 के खंड - 5 के कालम (12) या (13) या (14) के शीर्ष से नकल की जानी है ।

3.1.3 मद - 15 प्रतिदर्श परिवार संख्या : अनुसूची प्ररूप - 1 में चयनित परिवार की प्रतिदर्श संख्या (अर्थात चयन का क्रम) को अनुसूची 0.0 के खंड - 5 के कॉलम (15) या (16) या (17) से नकल किया जायेगा एवं अनुसूची प्ररूप - 2 में अनुसूची 0.0 के खंड - 5 के कालम (18) या (19) या (20) से नकल किया जायेगा ।

3.1.4 मद 16 : सूचक की क्रम संख्या (खण्ड 4, कालम-1 के अनुसार) : अनु. 1.0 खंड 4 के कालम 1 में दर्ज उस व्यक्ति की क्रम संख्या, जिससे अधिकतर सूचना एकत्रित की गई, इस मद में दर्ज की जायेगी । पारिवारिक सदस्यों में से एक से सूचना एकत्र की जानी है । एक चरम मामले में, सूचना पारिवारिक सदस्य को छोड़कर उस एक व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है जिसे आवश्यक सूचना की जानकारी होने की सम्भावना हो । ऐसे मामलों में, इस मद में '99' दर्ज की जानी चाहिए ।

3.1.5 मद 17 : प्रत्युत्तर संकेतांक : यह मद अनुसूची के लिए पूछताछ के बाद भरी जायेगी । सूचक द्वारा किये गये सहयोग और सूचना प्रदान करने में उसके सामर्थ्य पर विचार करते हुए उसके प्ररुप का निर्धारण किया जाना है और उसे इस मद में संकेतांक में दर्ज किया जाना है । संकेतांक हैं :

सूचक :	सहयोगी और समर्थ	1	अनिच्छुक	4
	सहयोगी पर समर्थ नहीं	2	अन्य	9
	व्यस्त	3		

3.1.6 मद 18 : सर्वेक्षण संकेतांक : क्या मूलतः चयनित परिवार का ही सर्वेक्षण किया गया है या एक प्रतिस्थापित परिवार का, इसकी जानकारी इस मद में यदि मूलतः चयनित परिवार का सर्वेक्षण हुआ है तो संकेतांक 1 और यदि एक प्रतिस्थापित परिवार का सर्वेक्षण हुआ है तो संकेतांक 2 दर्ज किया जायेगा । यदि न मूलतः चयनित परिवार और न ही एक प्रतिस्थापित परिवार का सर्वेक्षण हो पाया अर्थात् यदि प्रतिदर्श परिवार आहत है तो संकेतांक 3 दर्ज किया जायेगा । ऐसे मामलों में केवल खण्ड 0, 1, 2, 14 और 15 ही भरे जायेंगे ऐसे मामलों में केवल खंड - 0,1,2 और अंत के दो खंड (टिप्पणी / अवलोकन) ही भरे जायेंगे और अनुसूची के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर "आहत" शब्द लिखकर उसे रेखांकित कर दिया जायेगा ।

3.1.7 मद 19 : मूल परिवार के प्रतिस्थापन का कारण (संकेतांक) : एक मूलतः चयनित परिवार का सर्वेक्षण नहीं हो पाया तो, बिना यह देखे कि किसी प्रतिस्थापित परिवार का सर्वेक्षण हो पाया है या नहीं, मूल परिवार का सर्वेक्षण न होने के कारण, को इस मद के सामने निर्दिष्ट संकेतांकों में दर्ज किया जायेगा । संकेतांक हैं :

सूचक व्यस्त 1	सूचक सहयोगी नहीं..........3
सदस्य घर से दूर...............2	अन्य............................9

यह मद तभी लागू होगी जब मद 18 में प्रविष्टि 2 या 3 है । अन्यथा यह मद खाली छोड़ दी जानी है ।

खण्ड 2 : क्षेत्र संकार्य के विवरण :

3.2.0 इस खण्ड की उपयुक्त मदों के संबंधित कालमों में सर्वेक्षण कार्य से जुड़े अन्वेषक, वरिष्ठ अन्वेषक, अधीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षक की पहचान, सर्वेक्षण/निरीक्षण/अनुसूचियों की संवीक्षा, प्रेषण आदि की तिथियां इस खंड के उचित मद के संबंधित कालमों में दर्ज की जायेंगी । इसके अतिरिक्त 46वें दौर से क्षेत्र पदाधिकारियों के लिए व्यक्ति संकेतांक लागू किये गये हैं, इन्हें मद 1(ii) में (केवल केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए) दर्ज किया जाना है । यदि अनुसूची पर पूछताछ में एक दिन से अधिक समय लगता है, तो सर्वेक्षण के पहले दिन को मद क्रम सं.- 2(i) में दर्ज किया जाना है । “अनुसूची पर पूछताछ में लगाया गया वास्तविक समय”, के अंतर्गत अन्वेषक/वरिष्ठ अन्वेषक द्वारा अनुसूची को अंतिम रुप देने में लगाया गया समय शामिल नहीं किया जायेगा । समय मिनट में दर्ज किया जाना है ।

खण्ड 3 : पारिवारिक विशेषतायें

3.3.0 इस खण्ड में दर्ज की जाने वाली विशेषताओं का उपयोग मुख्यतः सारणीकरण के लिए परिवारों के वर्गीकरण में किया जाना है ।

3.3.1 मद 1 : परिवार का आकार : प्रतिदर्श परिवार का आकार अर्थात् साधारणतः एक साथ (एक ही छत के नीचे) रहने वाले और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या (अस्थायी तौर पर बाहर गये व्यक्ति सहित और अस्थायी आगन्तुक को छोड़कर) इस मद में दर्ज की जायेगी । यह संख्या खण्ड 4 के कालम 1 में दर्ज अंतिम क्रम संख्या के बराबर होगी ।

3.3.2 मद 2 : प्रमुख उद्योग (रा.औ.व.-2004) : दिये गये स्थान में परिवार के प्रमुख उद्योग से संबंधित विवरण दर्ज किये जायेंगे । प्रमुख उद्योग के विवरण जहां तक सम्भव हो सूचक द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर विशिष्ट शब्दावली में दर्ज किये जाने चाहिए । दूसरे शब्दों में, उद्योग विवरण को रा.औ.व. पुस्तिका से नकल नहीं किया जाना चाहिए यदि सूचक द्वारा दिया गया विवरण उद्योग कार्यकलाप का एक अधिक स्पष्ट चित्र देता है जिससे परिवार का प्रमुख उद्योग निर्धारित किया जा सके । मद 2 के लिए प्रविष्टि कक्ष को पांच भागों में बाँटा गया है ताकि प्रत्येक अंक को अलग-अलग दर्ज किया जा सके । रा.औ.व. 2004 का उपयुक्त 5 अंकीय उद्योग संकेतांक यहाँ दर्ज किया जायेगा । केवल गैर-आर्थिक कार्यकलापों से आय प्राप्त करने वाले परिवारों को इस मद में एक डैश ‘-’ चिह्न दिया जायेगा । प्रमुख पारिवारिक उद्योग की परिभाषा के लिए अध्याय एक का पैरा 1.9.35 देखें ।

3.3.3 मद 3 : प्रमुख व्यवसाय (रा.व्य.व -2004) : दिये गये स्थान में परिवार के प्रमुख व्यवसाय से संबंधित विवरण दर्ज किये जायेंगे । प्रमुख पारिवारिक उद्योग के अनुसार ही प्रमुख व्यवसाय के विवरण भी जहां तक सम्भव हो सूचक द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर विशिष्ट शब्दावली में दर्ज किये जाने चाहिए । दूसरे शब्दों में, व्यवसाय विवरण को रा.व्य.व. पुस्तिका से नकल नहीं किया जाना चाहिए यदि सूचक द्वारा दिया गया विवरण परिवार द्वारा किये गये व्यवसाय का एक अधिक स्पष्ट चित्र देता है । रा.व्य.व. - 2004 के उपयुक्त तीन अंकीय व्यवसाय संकेतांक को प्रविष्टि कक्ष में दर्ज करना है जिसे प्रत्येक अंक को अलग-अलग दर्ज करने के लिए त्रिभाजित किया गया है । केवल गैर-आर्थिक कार्यकलाप से आय प्राप्त करने वाले परिवारों को इस मद में एक डैश ‘-’ चिह्न दिया जायेगा । प्रमुख पारिवारिक व्यवसाय की परिभाषा के लिए अध्याय एक का पैरा 1.9.35 देखें ।

3.3.4 मद - 4 परिवार प्ररूप (संकेतांक) : एक परिवार का परिवार प्ररूप संकेतांक उसकी जीविका के साधन पर आधारित होगा । इसका निर्धारण सर्वेक्षण की तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान परिवार की आय के स्रोत के अनुसार किया जायेगा । (परिवार प्ररूप की परिभाषा के लिए अध्याय एक का पैरा 1.9.5 देखें) नोट किया जाए कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के संकेतांक समान नहीं हैं । ग्रामीण परिवार के लिए परिवारिक प्ररूप संकेतांक हैं :-

गैर कृषि में स्वनियोजित	-	*1*
कृषि श्रमिक	-	2
अन्य श्रमिक	-	3
कृषि में स्वनियोजित	-	4
अन्य	-	9

नगरीय क्षेत्रों के लिए, परिवार प्ररूप संकेतांत निम्नलिखित है :-

स्व-नियोजित - 1, नियमित मजदूरी/वेतन अर्जन - 2, अनियमित श्रमिक - 3, अन्य - 9.

3.3.5 मद 5 : धर्म (संकेतांक) : परिवार के धर्म को इस मद के सामने संकेतांक में दर्ज किया जायेगा । यदि परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न धर्मावलम्बी हैं तो, परिवार के मुखिया के धर्म को परिवार का धर्म माना जायेगा । संकेतांक हैं :

हिन्दू............................1	जैन................................5
इस्लाम..........................2	बौद्ध................................6
ईसाई...........................3	पारसी..............................7
सिख............................4	अन्य................................9

3.3.6 मद 6 : सामाजिक समूह (संकेतांक) : परिवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है या नहीं इसकी सूचना इस मद में निम्न संकेतांकों द्वारा दी जायेगी :

अनुसूचित जनजाति 1	अन्य पिछड़ा वर्ग 3
अनुसूचित जाति 2	अन्य 9

जो परिवार पहले तीन सामाजिक समूह में नहीं आते उन्हें संकेतांक 9 दिया जायेगा, जो कि अन्य सभी सामाजिक समूहों के लिए है । जब परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न सामाजिक समूह के हों, तो परिवार का मुखिया जिस समूह का होगा उसे ही परिवार का 'सामाजिक समूह' माना जायेगा ।

3.3.7 मद 7 : क्या कोई भूमि स्वामित्वाधीन है ? (हाँ - 1 नहीं - 2): यह पता लगाया जायेगा कि परिवार के पास सर्वेक्षण के दिन अपनी भूमि है, कि नहीं ? मद 7 - 12 को दर्ज करने से पहले अध्याय एक पैरा 1.9.7 और 1.9.8 पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

3.3.7.1 ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है कि परिवार द्वारा धारित भूमि के मालिक अर्थात परिवार प्रमुख जो दूसरे नगर या ग्राम में रहता है, वह परिवार का सदस्य नहीं कहलाऐगा । ऐसी परिस्थिति में, परिवार को उस भूमि का मालिक नहीं माना जायेगा बल्कि उसे पट्टे पर लिय हुआ माना जायेगा । पर परिवार इस संबंध में भूमि के मालिक होने के संबंध में रिपोर्ट करेगा । अतः मद - 7 में एवं मद 8 - 12 में प्रविष्टि दर्ज करने से पहले सही जांच की जरूरत है कि परिवार ने जिस भूमि का स्वामी होने संबंधी सूचना प्रदान की है वह क्या वास्तव में परिवार के सदस्यों के स्वामित्वाधीन है ।

3.3.8 मद - 8 : स्वाधिकृत भूमि का प्ररूप (केवल वासभूमि - 1 वासभूमि और अन्य भूमि - 2 केवल अन्य भूमि - 3) : स्वाधिकृत भूमि की परिभाषा अध्याय - 1 पैरा 1.9.33 में दी गयी है । स्वाधिकृत भूमि के प्रकार के आधार पर इस मद में संकेतांक दर्ज किए जायेंगे । यदि परिवार के पास केवल वासभूमि है और अन्य कोई भूमि नहीं है तो उपयुक्त संकेतांक 1 होगा । परन्तु, यदि परिवार के पास वासभूमि के साथ-साथ कोई अन्य भूमि भी है तो उस मद में संकेतांक 2 दर्ज किया जायेगा । यदि परिवार के पास कोई भूमि है पर वासभूमि नहीं है तो संकेतांक 3 दर्ज किया जायेगा ।

3.3.9 मद 9 - 13 : धारित भूमि (0.000 हेक्टेयर में) : सर्वेक्षण की तारीख को परिवार द्वारा "स्वाधिकृत, पट्टे पर ली गई" ना ही स्वाधिकृत और ना ही पट्टे पर ली गई (पर अन्य तरह से धारित), "तथा पट्टे पर दी गई" भूमि के क्षेत्रफलों को हेकटेयर में तीन दशमलव अंकों तक दर्ज किया जायेगा । परिवार द्वारा धारित भुमि का कुल क्षेत्रफल मद 9+ मद 10+ मद 11 - मद 12 के अनुसार निकाल कर मद 13 में दर्ज किया जायेगा । प्रविष्टि प्रकोष्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है : एक पूर्णसांख्यिक और दूसरा दशमलव का भाग । यहां कोई प्रविष्टि दर्ज करने से पहले, अध्याय - 1 के पैरा 1.9.7 और 1.9.8 में दिये गये अनुदेशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

3.3.10 मद 14-15 : खेती की गई और सिंचित भूमि (0.000 हेकटेयर में) : यहाँ खेती का अर्थ कृषि वर्ष 2008 - 09 अर्थात जुलाई - 2008 से जून - 2009 में बोयी गई कुल भूमि (बोयी गई खड़ी फसल, फलोद्यान और वृक्षरोपण के अधीन जमीन, एक क्षेत्र को एक कृषि वर्ष में केवल एक बार गिना जायेगा) से है खेती की गई भूमि "स्वाधिकृत भूमि", "पट्टे पर ली गई भूमि" या न ही स्वाधिकृत और ना ही पट्टे पर ली गई भूमि में से कोई भी हो सकती है । इसे हेक्टेयर में दशमलव के तीन अंकों तक मद - 14 में दर्ज किया जायेगा । मद - 15 में कृषि वर्ष 2008-09 के दौरान जोती गई भूमि की कुल सिंचित भूमि को हेकटेयर में दशमलव के तीन अंकों तक दर्ज किया जायेगा । मद 9 से 13 की तरह ही, पूर्णाकों और दशमलव अंकों को अलग-अलग दर्ज करने के लिए प्रबंध किये गये हैं ।

3.3.11 मद 16 और 17 : खाना पकाने तथा प्रकाश के लिए प्रयुक्त ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत : इन दो मदों के सामने परिवार द्वारा भोजन तथा प्रकाश के लिए **सर्वेक्षण तिथि से पिछले 30 दिनों** के दौरान प्रयोग में लायी गई ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के अनुरूप संकेतांक दर्ज किये जायेंगे । यदि एक से अधिक प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो तो उसके उपयोग के आधार पर प्राथमिक या प्रधान स्रोत का पता लगाया जाएगा तथा संबंधित संकेतांक उचित खाली स्थान में भरा जाएगा ।

संकेतांक निम्नलिखित हैं :

भोजन पकाने के लिए		**प्रकाश के लिए**	
कोक, कोयला और चारकोल	01	किरासन	1
जलाऊ लकड़ी तथा चिप्पियां	02	अन्य तेल	2
एल.पी.जी. (गैस)	03	गैस	3
गोबर गैस	04	मोमबत्ती	4
उपले	05	बिजली	5
किरासिन	06	अन्य	9
बिजली	07	प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं	6
अन्य	09		
भोजन पकाने की कोई व्यवस्था नहीं ...	08		

3.3.12 मद 18 : आवासीय इकाई (संकेतांक) : इस मद का अभिप्राय प्रतिदर्श परिवार की केवल आवासीय इकाई या वास्तविक निवास से है । यह आवासीय इकाई एक पूरी संरचना हो सकती है या एक संरचना का यह एक भाग हो सकता है । तदनुसार, अन्वेषक सूचक से पूछेगा कि क्या वह इकाई स्वामित्वाधीन है, भाड़े पर ली गई है या अन्य तरह से कब्जे में है । यदि प्रतिदर्श परिवार अपनी आवासीय इकाई का स्वामित्व रखता है तो मद 18 में संकेतांक 1 दर्ज किया जायेगा । यदि इकाई किराये पर ली गई है तो संकेतांक 2 और यदि अन्य तरह से कब्जे में है तो संकेतांक 9 दिया जायेगा । तथापि, यदि परिवार पेड़, पुल के नीचे, पाइपों आदि में रह रहा है तो उसे आवासीय इकाई में रहने वाला नहीं माना जायेगा । ऐसे परिवारों के लिए संकेतांक 3 दर्ज किया जायेगा । यह ध्यान रखा जाये कि लम्बी अवधि अर्थात् सामान्यतः 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर लिए गये भूखण्ड पर निर्मित आवासीय इकाई को स्वामी-सम (ओनरलाइक) कब्जे में माना जायेगा और ऐसे मामलों में भी संकेतांक 1 लागू होगा । इस मद के लिए संकेतांक निम्नलिखित हैं :-

स्वामित्वाधीन	1
किराये की	2
कोई आवासीय इकाई नहीं	3

अन्य 9

3.3.13 मद - 19 क्या परिवार का कोई सदस्य एक नियमित वेतन अर्जक है ? (हॉ - 1, नहीं - 2) : एक अनियत मजदूरी श्रमिक और एक नियमित वेतन अर्जक के बीच अंतर निम्न प्रश्न में स्थित है : रोजगार के एक सामान्य दौर में कार्य अनुबंध का एक दैनिक या आवधिक नवीकरण होता है या नहीं । कार्य अनुबंध का एक दैनिक या आवधिक नवीकरण एक अनियत मजदूरी श्रमिक के नियोजन की एक सामान्य विशेषता है, पर एक नियमित वेतन अर्जक के लिए नहीं । कभी-कभी नियोजक की वित्तीय मजबूरी से एक वेतन अर्जक को अपना वेतन नियमित रुप से प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है, पर इससे उसके एक नियमित वेतन अर्जक के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा । फिर, एक नियमित वेतन अर्जक अपना वेतन मासिक या साप्ताहिक प्राप्त कर सकता है; यहां ध्यान में रखने योग्य बिन्दु यह है कि उसके कार्य अनुबंध के लिए किसी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक नवीकरण की आवश्यकता नहीं होती है । एक नियमित वेतन अर्जक के निर्धारण के लिए यह भी माने नहीं रखता कि वह व्यक्ति समय मजदूरी या पीस (नग) मजदूरी पाता है । प्रदत्त प्रशिक्षुओं को भी नियमित वेतन अर्जक माना जायेगा ।

3.3.14 मद 20 : क्या परिवार में पिछले 30 दिनों के दौरान कोई समारोह आयोजित किया गया ? : इस मद के उद्देश्य के लिए समारोह वह अवसर है जिसके दौरान गैर-परिवारिक सदस्यों को बड़ी संख्या में भोजन (केवल नाश्ता नहीं) परोसे गये, जिससे पिछले 30 दिनों के दौरान कुल पारिवारिक व्यय में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । यह अवसर जरुरी नहीं कि धार्मिक हो । यदि परिवार में पिछले 30 दिनों के दौरान कोई समारोह आयोजित किया गया है तो इस मद में संकेतांक ‘1’ दर्ज होगा । ऐसा न होने पर संकेतांक ‘2’ दर्ज होगा ।

3.3.15 मद - 21 पिछले 30 दिनों के दौरान गैर-पारिवारिक सदस्यों को दिए गए भोजनों की संख्या : इस मद में, गैर-पारिवारिक सदस्यों को पिछले 30 दिनों के दौरान दिए गए भोजनों की कुल संख्या दर्ज की जायेगी । भोजन की परिभाषा नीचे अनुछेद 3.4.9 में दी गई है । यह नोट किया जाए कि यदि कोई समारोह आयोजित किया गया (मद - 20 में संकेतांक - 1), तो मद - 21 की प्रविष्टि धनात्मक होगी । पर मद - 21 (गैर-पारिवारिक सदस्यों को दिए गए भोजन) प्रविष्टि धनात्मक हो सकती है - यदि कोई सामारोह आयोजित नहीं किया गया हो, तब भी ।

इंटरनेट

इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कंप्युटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है, जो उपभोक्ताओं को बहु चैनेलों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के योग्य बनाता है । इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्युटर उपलब्ध सर्वरों और अन्य कंप्यूटरों के एक विशाल विन्यास में निहित सूचना को अपने स्थानीय मेमोरी में लाकर उन तक पहुंच सकता है । वही कनेक्शन उस कंप्युटर को नेटवर्क के सर्वरों को सूचना भेजने के योग्य बनाता है । आपस में जुड़े अन्य कंप्यूटर की एक कोटि द्वारा उस सूचना को लिया जाता है और संमवतः संशोधित भी किया जाता है । इंटरनेट पर व्यापक रूप से सुगम्य सूचना के अधिकांश में इंटर-लिक्ड हाइपरटेक्स्ट डाक्युमेंट और वर्ल्ड वाईड वेब (www) के अन्य स्त्रोत शामिल होते हैं । कंप्यूटर उपयोगकर्ता वेब ब्राउजरों विशेष तौर पर सूचना भेजते और प्राप्त करते हैं । उपयोगकर्ताओं के अंतरापृष्ठ के लिए कंप्यूटर नेटवर्क पर साफ्टवेयर में इलेक्ट्रोनिक डाक, ऑनलाइन चैट, फाइल स्थानांतरण और फाइल शेयरिंग शामिल होते हैं ।

स्त्रोत : विकिपेडिया

3.3.16 मद 22 : क्या सर्वेक्षण तिथि को परिवार के पास इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है ? (हॉ - 1, नहीं - 2) : इन्टरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए परिवार/परिवार के सदस्यों के पास कंम्प्युटर, आई पौड या बैल्कबेरी जैसे यंत्र होने चाहिए । परिवार में उपलब्ध सब से जानकार सदस्य से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए ।

खण्ड 4 : परिवार के सदस्यों के जनांकिकीय और अन्य विवरण

3.4.0 इस खण्ड में परिवार के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा । प्रत्येक सदस्य के लिए उसका नाम, मुखिया से संबंध, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, सामान्य शिक्षा स्तर और उपभुक्त भोजनों के विवरण दर्ज किये जायेंगे ।

3.4.1 कालम (1) : क्रम संख्या : प्रतिदर्श परिवार के सभी सदस्यों को खण्ड 4 में कालम (1) में लगातार क्रम संख्या का उपयोग करके सूचीबद्ध किया जाएगा । सूची में सर्वप्रथम परिवार का प्रधान सूचीबद्ध किया जाएगा जिसके बाद उसके/उसकी पति/पत्नी, प्रथम पुत्र, प्रथम पुत्र की पत्नी तथा बच्चों, द्वितीय पुत्र, द्वितीय पुत्र की पत्नी और बच्चों आदि को सूचीबद्ध किया जाएगा । पुत्रों को सूचीबद्ध करने के पश्चात् पुत्रियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके बाद अन्य संबंधियों, आश्रितों, नौकरों आदि को सूचीबद्ध किया जाएगा ।

3.4.2 कालम (2) : सदस्य का नाम : कालम (1) में दर्ज क्रम संख्याओं के अनुरुप सदस्यों के नाम कालम (2) में दर्ज किए जाएंगे ।

3.4.3 कालम (3) : प्रधान के साथ संबंध (संकेतांक) : परिवार के प्रधान के साथ प्रत्येक सदस्य का कौटुम्बिक संबंध (प्रधान के लिए संबंध है "स्वयं") इस कालम में दर्ज किया जाएगा । संकेतांक है :-

स्वयं	1	पौत्र/पोती	6
प्रधान का/की पति/पत्नी	2	पिता/माता/ससुर/सास	7
विवाहित संतान	3	भाई/बहन/साला/बहनोई/साली/भ्रातृ-बधु/ अन्य संबंधी	8
विवाहित संतान का/की पति/ पत्नी	4	नौकर/कर्मचारी/अन्य गैर-संबंधी	9
अविवाहित संतान	5		

3.4.4 कालम (4) : लिंग (पुरुष-1, महिला-2) : परिवार के प्रत्येक सदस्य का लिंग, इस कालम में दर्ज किया जाएगा । हिजड़ों के लिए संकेतांक '1' दिया जायेगा ।

3.4.5 कालम (5) : आयु (वर्ष में) : सूचीबद्ध सभी सदस्य की आयु पूर्ण वर्षों में मालूम करके इस कालम में दर्ज की जायेगी । एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं के लिए '0' दर्ज किया जायेगा। पिछले दौर के समान ही, 99 वर्ष से ऊपर की आयु को तीन अंकों में दर्ज किया जायेगा ।

3.4.6 कालम (6) : वैवाहिक स्थिति : प्रत्येक सदस्य की वैवाहिक स्थिति इस कालम में दर्ज की जाएगी । संकेतांक हैं :-

कभी विवाहित नहीं	1	विधुर/विधवा	3
वर्तमान में विवाहित	2	तलाकशुदा/परित्यक्त (सेपरेटेड)	4

3.4.7 कालम (7) : सामान्य शिक्षा स्तर (संकेतांक) : सूचीबद्ध परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त सामान्य शिक्षा के बारे में सूचना इस कालम में दर्ज की जाएगी । इन कालमों में प्रविष्टियां भरने के उद्देश्य से केवल उसी पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा जो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया हो । उदाहरणार्थ, जिस व्यक्ति ने बी.ए. के प्रथम वर्ष तक अध्ययन किया है उसकी शैक्षणिक निष्पत्ति उच्च माध्यमिक (संकेतांक 10) मानी जाएगी । वह व्यक्ति जिसने 12वीं स्तर तक पढ़ाई की है परंतु अंतिम परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है या फेल हो चुका है, उसका/उसकी शैक्षणिक निष्पत्ति "माध्यमिक" (संकेतांक 08) मानी जाएगी । इस कालम में दर्ज की जानेवाली प्रविष्टियों के लिए संकेतांक निम्नानुसार हैं :-

साक्षर नहीं, -01

बगैर औपचारिक स्कूली शिक्षा के साक्षर, इसके द्वारा :

ई जी एस / एन. एफ. ई. सी. / ए. इ. सी. -02, टी.एल.सी -03, अन्य - 04

औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा साक्षर :

प्राथमिक से कम -05, प्राथमिक -06, मिडिल -07, माध्यमिक - 08, उच्च प्राथमिक - 10,
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम - 11, स्नातक - 12, स्नातकोत्तर और अधिक - 13,

3.4.7.1 उस एक व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, जो कम से कम एक भाषा में एक सरल संदेश को समझते हुए पढ़ और लिख सकता है । जो ऐसा नहीं कर सकता उसे साक्षर नहीं माना जायेगा और संकेतांक 01 दिया जायेगा । कुछ व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रमों (NFEC) या प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों (AEC) या शिक्षा गारन्टी

योजना (EGS) के प्राथमिक स्कूल में जाकर साक्षर हुए हैं । वैसे व्यक्तियों के लिए संकेतांक 02 दिया जायेगा । जो संपूर्ण साक्षरता अभियान (TLC) के द्वारा साक्षर हुए हैं उन्हें संकेतांक 03 दिया जायेगा । अन्य साक्षर जो बगैर औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त किए है उन्हें संकेतांक 04 दिया जायेगा ।

3.4.7.2 जो व्यक्ति परिभाषा के अनुसार औपचारिक स्कूली शिक्षा के द्वारा साक्षर हुए हैं पर अभी प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास नहीं हुए हैं, उन्हें संकेतांक 05 दिया जायेगा । इसी प्रकार संकेतांक 06 - 08 और 10 से 13 उन्हें दिया जायेगा, जो उपयुक्त स्तर की परीक्षा पास कर गये हैं । प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक आदि स्तरों के निर्धारण के लिए मापदंड वही होगा, जो संबंधित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में लागू होगा । जिन व्यक्तियों ने प्राच्य भाषाओं (उदाहरणार्थ, संस्कृत, फारसी आदि) में प्रवीणता औपचारिक रुप से प्राप्त की है पर शिक्षा की सामान्य पद्धति द्वारा नहीं, उन्हें सामान्य शिक्षा मानक के समतुल्य स्तर पर वर्गीकृत किया जाएगा । जिन्होंने सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में कोई डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जो स्नातक स्तर से नीचे का है, उन्हें संकेतांक 11 दिया जायेगा । दूसरी ओर, संकेतांक 12 उन्हें दिया जायेगा जिन्होंने सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में कोई डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जो स्नातक स्तर का है । इसी प्रकार संकेतांक 13 उन्हें दिया जायेगा, जिन्होंने सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में कोई डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जो स्नातकोत्तर और उससे ऊपर के स्तर का है ।

3.4.8 कालम (8) : गत 30 दिनों के दौरान घर से बाहर रहे दिनों की संख्या : पूछताछ की तारीख से पूर्व 30 दिनों के दौरान जितने दिन घर से बाहर रहा, उसकी संख्या यहां दर्ज की जाए । घर से लगातार 24 घंटे के लिए अनुपस्थिति को “बाहर रहने का दिन” माना जाएगा । अर्थात् प्रविष्टि पूरे दिनों की संख्या के रूप में दर्ज की जाएगी तथा दिन के भाग को छोड़ दिया जाएगा । जहाँ व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहा हो वह स्थान उसी ग्राम/शहर के भीतर भी हो सकता है तथा बाहर रहने का मतलब केवल शारीरिक रुप से अनुपस्थित ही नहीं होगा, बल्कि अपने परिवार में भोजन के उपभोग में शामिल न होना भी होगा । उदाहरणार्थ, यदि एक सदस्य दो दिन बाहर रहा है पर उसने इन दो दिनों के दौरान घर का बना खाना ही खाया है, तो उस सदस्य को इस मद के लिए बाहर रहा हुआ नहीं माना जायेगा । जो सदस्य पिछले 30 दिनों के दौरान एक दिन के लिए भी बाहर नहीं रहे हैं उनके लिए शून्य (0) दर्ज किया जायेगा ।

3.4.9 £ÉÉäVÉxÉ : ABÉE □भोजन” àÉå ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèªÉÉ® JÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ (ºÉÉvÉÉ ®hÉiÉ& {ÉBÉÉEªÉÉÒ cÖ<Ç) JÉÉtÉ àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÖJªÉ PÉ]BÉE JÉÉtÉÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® JÉÉªÉä cÖA £ÉÉäVÉxÉ ºÉä =ºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉÉEÉàÉBÉÉÉVÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE >óVÉÉÇ (BÉEèãÉÉä®ÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉäÞÉBÉE iÉi´É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * ABÉE □£ÉÉäVÉxÉ” àÉå □+Éã{ÉÉcÉ®”, “xÉÉ¶iÉä” ªÉÉ □cÉ<]ÉÒ” BÉÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä JÉÉtÉ cÉäiÉä cé * +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE {ÉÝhÉÇ £ÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉxxÉäiÉ® JÉÉtÉ BÉÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn ABÉE {ãÉä] àÉå JÉÉtÉ ºÉÉàÉÓÉÉÒ BÉÉÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ABÉE £ÉÉäVÉxÉ VÉèºÉÉ cÉÒ £ÉÉ®ÉÒ cÉä iÉÉä {ãÉä] BÉÉÉÒ JÉÉtÉ ºÉÉàÉÓÉÉÒ BÉÉÉä £ÉÉÒ □£ÉÉäVÉxÉ” cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉÉ£ÉÉÒ-BÉÉ£ÉÉÒ xÉÉ¶iÉä BÉÉÉÒ JÉÉtÉ-ºÉÉàÉÓÉÉÒ □£ÉÉäVÉxÉ” BÉÉÉÒ JÉÉtÉ-ºÉÉàÉÓÉÉÒ ºÉä +ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& {ãÉä] BÉÉÉä □£ÉÉäVÉxÉ” àÉÉxÉÉ VÉÉªÉ ªÉÉ □xÉÉ¶iÉÉ” ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉÉ®xÉä BÉÉä ÉÊãÉA =ºÉBÉÉÉÒ JÉÉtÉ-ºÉÉàÉÓÉÉÒ BÉÉä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉÉÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *

3.4.9.1 ÉÊnxÉ BÉÉä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå PÉ®ääÉÝ ºÉä´ÉÉ (VÉèºÉä ¤ÉiÉÇxÉ àÉÉÆVÉxÉÉ, BÉEàÉÉ®Éå àÉå ZÉÉ½-{ÉÉäU BÉÉ®xÉÉ,

BÉE{É½ä vÉÉäxÉÉ, ¤ÉÉc® ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn) BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä BÉÖEU £ÉÉäVÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉäVÉxÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä {ÉÝhÉÇ £ÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ iÉÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE {ÉÝ®ä £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉä VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä □PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ £ÉÉäVÉxÉ" BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ABÉE £ÉÉäVÉxÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *

3.4.9.2 {ÉÝ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ÉÊnA MÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, "ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ" BÉEä +ÉÉÆBÉERä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÝSÉBÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÝSÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ/JÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉäMÉÉ *

3.4.10 कालम (9) : एक दिन में सामान्यतः किए जानेवाले भोजनों की संख्या : एक व्यक्ति द्वारा उपभोग किए गए भोजनों की संख्या सामान्यतः 2 या 3 बतायी जाती है । उस व्यक्ति के लिए जो एक दिन में केवल एक बार ही भोजन करता है संकेतांक 1 दर्ज किया जायेगा । कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो एक दिन तीन से अधिक बार भोजन करता है । तथापि ऐसे व्यक्तियों के लिए केवल 3 दर्ज किया जायेगा । अर्थात् इस कालम में एक दिन में किए जाने वाले भोजनों की दर्ज की जाने वाली संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे यह संख्या उससे अधिक क्यों न सूचित की गई हो । इसके अतिरिक्त '0' आयु के शिशुओं तथा केवल दूध पर पलने वाले बच्चों के लिए इस कालम में '0' दर्ज किया जायेगा । एक भोजन की संघटना के विषय में स्पष्ट धारणा हेतु अध्याय एक के अनुच्छेद 3.4.9 से 3.4.9.2 को अच्छी तरफ से पढ़ना है ।

3.4.11 कालम (10), (11), (12), (13) और (14) : पिछले 30 दिनों के दौरान खाए गए भोजनों की संख्या : यह उल्लेखनीय है कि इन कालमों में प्रविष्टियाँ उस स्थान के आधार पर दर्ज की जाएंगी जहाँ से भोजन खाने के लिए दिया जाता हो भले ही उसका उपभोग कहीं भी किया गया हो ।

3.4.12 कालम (10), (11), और (12) ऐसे भोजनों से संबंधित हैं जो बिना कोई भुगतान किए घर से बाहर ले जाया जाए । परिवार के प्रत्येक सदस्य के संबंध में सर्वेक्षण की तारीख के पूर्व गत 30 दिनों के दौरान उसके द्वारा घर से बाहर भुगतान करके तथा घर में लिए गए भोजनों की संख्या कालम (13) तथा (14) में दर्ज की जाएगी । कुछ स्कूल/बालबाड़ी आदि ऐसी होती हैं जहाँ सभी या कुछ विद्यार्थियों को मुफ्त या आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर दोपहर का भोजन, नाश्ता आदि दिया जाता है । ऐसे भोजनों को घर से बाहर लिया गया भोजन माना जाना चाहिए । यदि ऐसा भोजन मुफ्त मिलता है तो उसे कालम (10) में दर्ज किया जाए । जो विद्यार्थी होस्टेल में रहते हैं एवं होस्टेल के मेस से पैसे के बदले भोजन प्राप्त करते है तो उसे "मूल्य देकर घर से बाहर खाए गए भोजन" के अंतर्गत माना जायेंगे । कुछ संस्थाएँ अपने विद्यार्थियों के लिए कैंटीन की सुविधा रखती हैं । विद्यार्थी अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार उन कैंटीनों से पैसा दे कर भोजन खरीद सकता है । ऐसे मामलों में भी प्रविष्टि कालम (13) में की जायेगी ।

3.4.13 कभी-कभी नियोजक द्वारा भोजन दिया जाता है । ये परिलब्धियों के रुप में या वस्तुरुपी मजूरी के भाग के रुप में हो सकते हैं । ये भोजन सामान्यतः कार्य-स्थल पर ही खाये जाते हैं एवं इन्हें घर से बाहर खाये हुए भोजन के रुप में माना जाता है । अपवाद के ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब नियोजक द्वारा दिए गए भोजन को कर्मचारी अपने घर में लाकर खाता हो । इन भोजनों को भी घर के बाहर खाये गए भोजन के रुप में लिया जाना चाहिए । संदर्भ अवधि के दौरान किसी सदस्य द्वारा प्राप्त एवं खाए गए ऐसे भोजनों की संख्या कालम (11) में दर्ज की जाएगी । इसी प्रकार दूसरे परिवारों में मेहमानों के रुप में खाए गए भोजन भी कालम (12) में

दर्ज किए जाएंगे । कालम (13) में प्रविष्टि दर्ज करने के उद्देश्य से "मूल्य देकर लिए जाने वाले भोजन" का अर्थ यह होगा कि सूचक को भोजन के लिए अपने वेतन/मजदूरी में से कुछ अंश खर्च करना पड़ता है या कुछ अंश छोड़ देना पड़ता है । जो विद्यार्थी होस्टल में रहते हैं एवं होस्टल के मेस से पैसे के बदले भोजन प्राप्त करते है तो उसे "मूल्य देकर घर से बाहर खाए गए भोजन" के अंतर्गत माना जायेंगा । होटल, जलपान गृहों (रेस्तरां) अथवा किसी भोजनालय से खरीदे गए भोजन "मूल्य देकर घर से बाहर खाए गए भोजन" समझे जाएंगे एवं कालम (13) में प्रविष्टि दर्ज करने के लिए भी गिने जाएंगे । परिवार से दूर रहने के दिनों में घर से बाहर खाए गए भोजन भी इन कालमों में प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए गिने जाने चाहिए । ऐसे भोजन केवल कालम (10) से (12) या (13) में गिने जाने चाहिए ।

3.4.14 सर्वेक्षण की तारीख से पिछले 30 दिनों की अवधि के दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा घर में खाए गए भोजनों की संख्या कालम (14) में दर्ज की जाएगी । मकान में पकाया गया भोजन ही मकान में खाया गया भोजन समझा जाएगा, चाहे इसे कहीं भी खाया गया हो ।

खंड - 5 से 11 : उपभोक्ता व्यय सामान्य अनुदेश

3.5.0.0 इन खंडों में विभिन्न मदों/ मद समूहों पर उपभोक्ता व्यय संबंधित सूचनाएँ एकत्र की जायेगी । आंकडे संग्रह करने के लिए खंडों के शीर्षक और संदर्भ अवधि नीचे सारणीबद्ध की गई हैं । सरलीकरण के लिए नीचे छोटे रूपों का प्रयोग किया गया है । 7 दिनों के लिए सप्ताह, पिछले 30 दिनों के लिए महीना और पिछले 365 दिनों के लिए साल का प्रयोग किया गया है ।

शीर्षक	खंड	संदर्भ अवधि	
		अनु. प्ररूप.1	अनु. प्ररूप.2
खाद्यन्न, दालें, दूध, चीनी और नमक ("एफ -1 मदें") का उपभोग	5.1	महीना	महीना
खाने के तेल, अंड़े, मछली, मांस, सब्बजियाँ, फल, मसाले, मादक पेय, विशेष प्रक्रिया से बनाए गए खाद्य, पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ का उपभोग (एफ-2+ मदें)	5.2	**महीना**	**सप्ताह**
ऊर्जा का उपभोग (ईधन, प्रकाश और पारिवारिक उपकरण)	6	महीना	महीना
वस्त्र, बिस्तर आदि का उपभोग	7	**महीना, साल**	**साल**
जूतों का उपभोग	8	**महीना, साल**	**साल**
शिक्षा तथा चिकित्सा (संस्थागत) वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय	9	**महीना, साल**	**साल**
चिकित्सा (गैर-संस्थागत) किराया और करों सहित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय	10	महीना	महीना
घरेलू उपयोग के लिए टिकाऊ वस्तुओं की खरीद और निर्माण (मरम्मत और रखरखाव सहित) पर व्यय	11	**महीना, साल**	**साल**

साप्ताह : पिछले 7 दिन महीना ; पिछले 30 दिन साल : पिछले 365 दिन

3.5.0.1 उपभोग : कुछ सामान्य अभ्युक्तियां : परिवार के उपभोग आंकड़े घरेलू उपभोग तक दृढ़तापूर्वक परिसीमित होने चाहिये; दूसरे शब्दों में परिवार के किसी उद्यम पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा । एक घरेलू नौकर जो कि परिवार का एक सदस्य भी है के सभी उपभोग व्यय को शामिल किया जाएगा । पशुओं पर किए व्यय खण्ड 10 की मद 496 (पक्षियों और मछलियों सहित पालतु पशु) के अन्तर्गत दर्ज किये जाएंगे । इसका ध्यान रखा जाए कि परिवार के पशुधन के उपभोग को परिवार के उपभोग में शामिल नहीं किया जाएगा । तथापि ऐसे पशुधन से प्राप्त उत्पाद जैसे कि दूध, मांस, अंडे आदि जिनका उपभोग परिवार करता है शामिल किए जायेंगे । उपभोग दर्ज करते समय समारोहों, पार्टियों आदि पर हुए व्यय को शामिल करते समय सावधानी रखी जानी चाहिये ।

3.5.0.2 नीचे दिए गए नियम पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की परिभाषा (पृष्ठ - ग -1) और पारिवारिक स्तर पर उपभोग को मापने के लिए रा. प्र. स. उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण द्वारा अपनाये गये अभिगमों (पृष्ठ ग -3 से ग -6 तक) का अनुगमन करते हैं ।

3.5.0.3.1 एक परिवार द्वारा नकद हस्तांतरण : (उदाहरण के तौर पर, संबंधियों को नकद उपहार आदि, अर्थदंड़ और जुर्मानो का भुगतान, भिखारियों को दान, मंदिरों में भगवान को चढ़ावा, एवं अन्य प्रकार के दान और निर्वाह व्यय का भुगतान आदि) ये परिवार के उपभोक्ता व्यय के भाग नहीं हैं । (तथापि, भक्तों को भुगतान पर उपलब्ध करायी गई सेवा के लिए पुजारी एवं अन्य व्यक्ति को किया गया भुगतान हस्तांतरण नहीं हैं ; वे भक्तों द्वारा खरीदी गई ''उपभोग सेवाओं'' के अंतर्गत आयेंगे ।)

3.5.0.3.2 वस्तु रूपी हस्तांतरण (वस्तु रूपी उपहार या दान) : हस्तांतरण के समय कोई उपभोग नहीं होता हैं ।

(क) यदि परिवार 'जी' द्वारा परिवार 'आर' को हस्तांतरित वस्तु खंड - 9-11 के अंतर्गत (उदाहरणार्थ एक पुस्तक, एक कलम या एक घड़ी) आती है, तो उपहार देने वाले परिवार (जी) द्वारा उपहार प्राप्ति के लिए कुछ व्यय किया गया होगा । यदि यह व्यय संदर्भ अवधि के दौरान किया गया है तो उसे परिवार 'जी' के उपभोक्ता व्यय लेखा में शामिल किया जायेगा ।

(ख) यदि जी से आर को हस्तांतरित वस्तु खंड - 5 - 8 , के अंतर्गत आती है, तो यह परिवार जी का उपभोग नहीं है क्योंकि परिवार जी ने इसका प्रयोग नहीं किया । इस नियम के अपवाद हैं :

(i) जी ने भोजन बनाया और अतिथियों को या दान में परोसा । ऐसे भोजन को जी का उपभोग माना जायेगा (भोजन के अवयवों में दर्ज किया जायेगा).

(ii) बाजार से पका हुआ भोजन खरीद कर अतिथियों या दान में परोसा गया हो तो उसे जी का उपभोग माना जायेगा । (खंड - 5.2, मद -303 में दर्ज किया जायेगा)

3.5.0.4 वस्तु रूपी भुगतान : जब नकद के स्थान पर एक वस्तु का उपयोग भुगतान प्रणाली के रूप में किया जाता है, तो उपयोग का लेखा दर्ज करने के सम्बन्ध में कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है । इसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिये । कुछ मामलों में ये पिछले दौरों में दिए गए अनुदेशों से भिन्न हैं । 64 वें दौर में जो क्रिया विधि अपनायी गयी थी यहाँ उसी का पालन किया जायेगा ।

(i) मान ले परिवार 'ए' परिवार 'बी' को वस्तु के रूप में भुगतान करता है । (जैसे घरेलू नौकर या पुजारी को एक वस्तु दिया गया, जिसका बाजारी मूल्य या आरोपित मूल्य 100/ रुपए हैं) । निम्नलिखित बिन्दुओं को नोट किया जाए :-

यदि ए प्रतिदर्श परिवार हो : मद (वस्तु) जो भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है, दर्ज नहीं किया जायेगा । परिवार ए की अनुसूची की मद - "घरेलू नौकर या पुजारी" जैसा मामला हो, में 100/- रुपए दर्ज किया जायेगा ।

इस नियम का एक मुख्य अपवाद यह है कि 'ए' द्वारा भोजन को बनाना एवं भुगतान के रूप में प्रयोग करना को 'ए' द्वारा उपभोग किया गया माना जायेगा (अवयवों में प्रिविष्टियों में घरेलू नौकर/ पूजारी का भोजन शामिल किया जायेगा). परंतु इस मामले में भी उपभोग सेवा - "पुजारी या घरेलू नौकर" में प्रविष्टी की जायेगी ।

यदि 'बी' का परिवार - प्रतिदर्श परिवार हो : **मामला - 1 :** वस्तु है, भोजन जिसे ए ने बनाया । परिवार - बी में दर्ज नहीं किया जायेगा । **मामला - 2** : प्राप्त वस्तु खंड - 5 - 8 के अधीन आती है (और जिसे ए ने नहीं बनाया, बल्कि उसे बाजार से खरीदा गया हो सकता है) । इस वस्तु का उपभोग (परिवार बी ने) किया है ऐसा माना जायेगा, जब इसका प्रयोग किया गया हो । **मामला 3 :** वस्तु खंड . 9 - 11 के अंतर्गत आती है । वस्तुओं का उपभोग हुआ माना जाएगा, जब उसे लिया गया । सेवाओं की उपभोग हुआ माना जाऐगा जब उनका प्रयोग किया गया हो ।

(ii) मान लें कोई व्यक्ति 'बी', परिवार 'ए' से नहीं बल्कि एक फर्म से वस्तु के रूप में अनुलाभ के तौर पर भुगतान प्राप्त करता है जहाँ वह काम करता है (उदाहरणार्थः- समाचार - पत्र बिजली, कपडे , जुते नि'शुल्क कैन्टीन भोजन, संस्थान द्वारा भोजन की खरीद एवं निःशुल्क बांटना आदि) तब उसे परिवार - बी के लेखा में दर्ज किया जायेगा जैसे कि उपरोक्त परिस्थिति (i) में बताया गया है ।

3.5.0.5 खरीदी गई वस्तु के साथ मुफ्त प्राप्त वस्तु : उत्पादक ग्राहकों के लिए कुछ मुफ्त वस्तु अपने उत्पाद के साथ देते हैं । ऐसे मामलों में अपनायी जाने वाली विधि को स्पष्ट केरने के लिए, मान लें एक परिवार ने रु. 60 में चवल का एक पैकेट खरीदा और उस परिवार ने चावल के साथ एक पैकेट नमक मुफ्त प्राप्त की । इस मामले में, यह माना जायेगा कि उस परिवार ने रु. 60 का एक भाग नमक के लिए दिया है और शेष भाग चावल के लिए । इन दो भागों की गणना नमक और चवल के बाजार मूल्य (यदि ज्ञात न हो तो आरोपित मूल्य) के अनुपात में रु. 60 को अनुभाजित करके की जायेगी । इसके बाद यदि परिवार ने सूचित किया कि संदर्भ अवधि के दौरान चवल के 75% और नमक के 20% का उपभोग किया गया है तो उपभाग किये गये चवल और नमक के मूल्यों को दर्ज करने के लिए ऊपर निकाले गये मूल्यों पर इन प्रतिशतों को लगया जायेगा । ध्यान दें कि यदि एक पैकेट चवल के साथ एक पैकेट नमक के स्थान पर साबुन की एक टिकिया प्राप्त की गई थी तो साबुन के उपभोग का मूल्य (व्यय अभिगम) उपरोक्त अनुभाजन विधि से निकाले गये साबुन के मूल्य का 100% (न कि 20%) दर्ज किया जाना है । खरीदी गई वस्तुओं के साथ मुफ्त प्राप्त वस्तुओं के लिए स्रोत संकेतांक वास्तव में खरीदी गई वस्तुओं के समान ही 1 होगा ।
3.5.0.5.1 तथापि मोबाईल फोन खरीदने पर मुफ्त दिये गये वार्तालाप समय के मामले में पूरी राशि मद - 623 में दर्शयी जायेगी वार्तालाप समय और मोबाईल की कीमत को अलग करने की कोई कोशिश नहीं करनी है । सभी मुफ्त सेवाएँ जो वस्तुओं की खरीद में प्राप्त होती है के लिए इसी नियम का पालन किया जायेगा ।

3.5.0.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) से उपभोग : चार उपभोग वस्तुएँ - चावल, गेहूँ, चीनी और किरासन के लिए ''सा.वि.प्र. खरीद'' से उपभोग एवं ''अन्य स्रोतों'' से उपभोग को अलग-अलग मदों में दर्ज किया जाता है । इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है, जिसका अर्थ है सरकार द्वारा राशन दुकान, उचित मूल्य की दुकान और नियंत्रित दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण । ये दुकानें सरकार द्वारा, स्थानीय स्व-सरकार, एक सरकारी उपक्रम, किसी व्यवसाय के मालिक, सहकारी संस्था या गैर-सरकारी व्यक्ति (अकेले या संयुक्त रुप से) अथवा अन्य निकाय जैसे क्लब, ट्रस्ट आदि के स्वामित्वाधीन हो सकती हैं । एक *खरीद* का वर्गीकरण सा.वि.प्र. या अन्यथा के रुप में करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये ।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 'सुपर बाजार' और सहकारी भंडार सामान्यतः नहीं आयेंगे । तथापि, जब ये भी राशन के समान की बिक्री नियंत्रित दर पर राशन कार्ड धारकों को करते हैं, तो उन्हें भी उस विशेष सामान के लिए राशन की दुकान माना जायेगा ।
- किरासन के लिए, नियंत्रित दर पर किरासन बेचने वाले किरासन डीपो भी सा.वि.प्र. में शामिल होंगे ।
- कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि कुछ नियंत्रित मूल्य की वस्तुओं, जैसे किरासन का वितरण बगैर राशन कार्ड देखे किया जा सकता है । ऐसी स्थितियों को छोड़कर, बगैर राशन कार्ड के किसी अन्य खरीद को सा.वि.प्र. खरीद नहीं माना जायेगा ।
- एक खरीद के लिए परिवार ने चाहे अपने राशन कार्ड का उपयोग किया हो या अन्य किसी का, उसे सा.वि.प्र. खरीद माना जायेगा ।
- सा.वि.प्र. दुकानों से, सा.वि.प्र. मूल्यों से उच्च मूल्यों पर की गई खरीदों को भी तब तक सा.वि.प्र. खरीद माना जायेगा, जब तक कि प्रदत्त मूल्य बाजार मूल्य से प्रत्यक्षतः निम्न हो ।

3.5.0.7 खंड-5.1 और 5.2 : रा.प्र.स. के अधिकांश दौरों में, भोजन, पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थों के उपभोग को एक खंड में अर्थात् खंड-5 में दर्ज किया जाता रहा है । पर इस दौर में खंड-5 को दो भागों में विभाजित किया गया है :- खंड- 5.1 और 5.2 । तथापि, सुविधा के लिए अनुदेश में खंड- 5.1 और 5.2 दोनों के लिए कहीं कहीं खंड-5 का प्रयोग किया गया है ।

3.5.0.7.1 खंड-5.1 : पिछले 30 दिनों के दौरान खाद्य, दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद, चीनी और नमक का उपभोग : दोनों अनुसूचियों अनुसूची प्ररूप-1 और अनुसूची प्ररूप-2 के लिए संदर्भ अवधि - ''पिछले 30 दिनों'' की होगी ।

3.5.0.7.2 खंड-5.2 : खाने के तेल, अंडे, मछली और मांस, सब्जियाँ, फल, मसाले, पेय और विशेष तरीके से बनाए गए भोजन का उपभोग : इस खंड के लिए अनुसूची प्ररूप-1 की संदर्भ अवधि ''पिछले 30 दिन'' और अनुसूची प्ररूप-2 के लिए संदर्भ अवधि - ''पिछले 7 दिन'' की होगी ।

खंड-5 (5.1 + 5.2): खाद्य, पान, तम्बाकू और नशीले द्रव्य का उपभोग

सामान्य अनुदेश

3.5.0.8 आम तौर पर, खाद्य, पान, तम्बाकू और नशीले द्रव्य के लिए उपयोग अभिगम (पृष्ठ ग-3 देखें) अपनाया जाता है । तथापि उन भोजनों के लिए कुछ विशेष नियम हैं, जो प्रतिदर्श परिवार को बाहर से पके-पकाये रूप में प्राप्त होते हैं या परिवार द्वारा पकाये जाते हैं और गैर-सदस्यों को परोसे जाते हैं ।

3.5.0.9 जब एक व्यक्ति एक दूसरे परिवार में पकाये गये खाने का उपभोग करता है, तो खाना तैयार करने वाला परिवार उपभोक्ता परिवार माना जाता है । यह, स्पष्टतः उपयोग अभिगम से एक अलगाव है । इस प्रकार जब एक अतिथि या एक भिखारी को परिवार H द्वारा तैयार किया गया भोजन परोसा जाता है तो परिवार H को ही उपभोक्ता परिवार माना जाता है । फिर, यदि परिवार H एक व्यक्ति को H की रसोई में पकाया गया भोजन भुगतान के तौर पर देता है, तो इसे भी परिवार H का उपभोग माना जायेगा ।

3.5.0.10 तथापि, जब एक व्यक्ति उस भोजन का उपभोग करता है जो सरकार या खैराती संगठन से सहायता के रूप में (उदाहरणार्थ मध्य दिवस भोजन योजना के अधीन प्राप्त भोजन), या एक संगठन से वस्तु रूप में भुगतान (एक पारिवारिक उद्यम को छोड़कर, जो पारिवारिक रसोई से भोजन देता है) में प्राप्त हुआ है, तो भोजन पाने वाला व्यक्ति जिस परिवार का है उसे ही उपभोक्ता परिवार माना जायेगा । (ऐसे उपभोग को दर्ज करते समय प्राप्त भोजनों का मूल्य स्थानीय भाव पर आरोपित किया जाना है और उसे **मद 302 : सहायता या भुगतान के रुप में प्राप्त पका पकाया भोजन** में दर्ज किया जाना है |) यह प्रक्रिया 64वें दौर से अपनायी जा रही है ।

3.5.0.11 उपयोग अभिगम का उपयोग उस एक व्यक्ति (सामान्यतः छात्रावास में एक विद्यार्थी) के भोजन के लिए भी किया जायेगा, जिसके भोजनों के बिलों का भुगतान नियमित रुप से एक भिन्न परिवार के एक व्यक्ति (सामान्यतः माता/पिता) के द्वारा किया जाता है । 64वें से पहले के दौरों में, ऐसे मामलों में व्यय अभिगम को लागू माना जाता था ।

3.5.0.12 जब पका भोजन बाजार (होटल, रेस्तरां, कैंटीन या कैटरिंग एजेंसी) से खरीदा जाता है, तो खरीदने वाले परिवार को उपभोक्ता परिवार माना जाता है बगैर यह देखे कि उसे किसने खाया (मद 303 में प्रविष्टि) । यह उपयोग अभिगम से एक अलगाव है । तथापि, यदि भोजन को खरीदा गया और फिर उसका उपयोग खरीदार द्वारा भुगतान के एक साधन (सेवा प्रदान करने वाले को भुगतान) के रुप में किया गया, तो उसका लेखा भुगतान के रुप में भोजन प्राप्त करने वाले परिवार के खाते में (मद 302 में प्रविष्टि) किया जायेगा ।

3.5.0.13 गृह-उत्पाद का उपभोग : संकल्पना : खंड -5 और खंड-6 दोनों खंडों में एक जोड़ा कालम दिये गये हैं जिनमें प्रत्येक मद के कुल उपभोग का वजन और मूल्य रिकार्ड किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, एक जोड़ा कालम और हैं जिनमें प्रत्येक मद के कुल उपभोग का वजन और मूल्य (गृह-उत्पाद) को रिकार्ड किया जायेगा । नोट किया जाए कि गृह-उत्पाद का अर्थ है- कृषि-उत्पाद या पशुधन-उत्पाद (जैसेः- दूध), पर दूसरी खाद्य वस्तुओं से घर में बनायी गई अन्य भोज्य वस्तुएँ, जैसे- दूध से दही, सब्जियों से आचार, मसाले आदि, या दूध और चीनी से बनाई गई मिठाई) को गृह उत्पाद में शामिल नहीं किया जायेगा । अतः घर में बनाए गए दही, घी, आचार, तरल चाय को गृह-उत्पाद नहीं कहा जायेगा । दूसरी ओर, घर में उगाए गए गेहूँ से बना आटा,

धान से बने चिउड़ा और अन्य अनाज को गृह-उत्पाद के अंतर्गत लिया जाएगा । (पैरा 3.5.5.3 : गृह-उत्पाद और गृह-संसाधित को भी देखें)

3.5.0.14 छायांकित खाने : कुछ मदों के वजन वाले खाने छायांकित किये गये हैं क्योंकि इन वस्तुएँ के लिए वजन से संबंधि आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है । इसके अतिरिक्त, जो वस्तुएँ गृह-उत्पाद की परिभाषा से परे है या फिर इस संबंध में संग्रहित सूचना उपयुक्त न हो तो, ऐसी वस्तुएँ के वजन और मूल्य से संबंधित खानों को छायांकित किया गया है ।

3.5.1 कालम (1) और (2) : मद और संकेतांक : यह नोट किया जाय कि मदों का लेखा-जोखा रखने के लिए एक तीन अंकीय संकेतांक प्रणाली का उपयोग इन सभी खंडों में किया गया है । मदों और उनके संकेतांकों के विवरण क्रमशः कालम (1) और (2) में मुद्रित हैं ।

3.5.2 इकाई : इस खण्ड की प्रत्येक पंक्ति का संबंध उपभोग की एक खाश मद से है । कुछ मदों के मामलों में, वह इकाई जिसमें मात्रा दर्ज की जानी है कालम (1) में मद के विवरण के बाद कोष्ठकों में दिखाई गई है । जिन मदों के लिए कालम (1) में विवरण के बाद कोई इकाई विनिर्दिष्ट नहीं है, मात्रा किलो ग्राम (कि.ग्रा.) में दर्ज की जानी चाहिए ।

3.5.3 कालम (3), (4), (5) और (6): मात्रा और मूल्य : कालम (5) और (6) में संदर्भ अवधि के दौरान परिवार द्वारा कुल उपभुक्त मद को दर्ज किया जायेगा । इसके अंतर्गत, सभी उपभोग जिसे मौद्रिक या गैर-मौद्रिक रूप से खरीदे हुए और उपहार या दान के रूप में प्राप्त या निःशुल्क संग्रहित या वस्तुएं के रूप में भुगतान में प्राप्त शामिल किये जाएंगे । दूसरी ओर, कालम (3) और (4) का संबंध, गृह-उत्पाद के उपभोग के केवल आरोपित-मूल्य से है । कुछ मदों में, मात्रा खाने को छायांकित किया गया है; इसका अर्थ है : मात्रा को दर्ज नहीं किया जाना है । कुछ मदों के लिए, गृह-उत्पाद के उपभोग को रिकार्ड नहीं करना है, इन खानों को भी छायांकित किया गया है ।

3.5.3.1 कालम (3) और (5) : मात्रा : खंड 5 की अधिकांश मदों के आंकड़ों को उपयुक्त इकाई में दर्ज करने का प्रावधान रखा गया है । खंड 5 और 6 में, एक मात्रा आंकड़े के दो भाग हैं - एक पूर्णांक भाग और एक भिन्न या दशमलव भाग । यदि इकाई कि.ग्रा. या लीटर में बतायी जाती है तो पूर्णांक वाले भाग को बांयी ओर के खाने में और भिन्न वाले भाग को दाहिनी ओर के खाने में दशमलव के तीन स्थानों तक दर्ज किया जायेगा । जिन मदों की विशिष्ट इकाई ग्राम/संख्या/बक्से या मानक इकाई (कि.वाट.) है, उनके लिए मात्रा का दाहिनी वाला खाना छायांकित किया गया है, इसका अर्थ है मात्रा के लिए पूर्णांक दर्ज किया जायेगा ।

3.5.4 कालम (4) और (6) : मूल्य : पिछले दौर के समान ही मूल्य के सभी आंकड़ों को, पैसे यदि हों तो उन्हें पूर्ण (round-off) करते हुए, **रुपये की पूर्ण संख्या** में दर्ज किया जाना है ।

3.5.5 कालम (7) : स्त्रोत संकेतांक : पिछले 30 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी एक मद का उपभोग ऊपर के अनुच्छेद में दिये गये एक या अधिक स्त्रोतों से हो सकता है । जिस स्त्रोत से मद की प्राप्ति हुई और उसका परिवार द्वारा उपभोग किया गया, उसे संकेतांकों में दर्ज किया जायेगा । उपयोग किये जाने वाले संकेतांक हैं :

केवल खरीद	1	वस्तुओं और सेवाओं का केवल विनिमय	5
केवल गृह-उत्पादित वस्तुओं का स्टॉक	2	केवल उपहार/दान	6
खरीद और गृह-उत्पादित स्टॉक दोनों	3	अन्य	9
केवल निःशुल्क संग्रह	4		

3.5.5.1 संकेतांक 3 तभी लागू होगा जब उपभोग नकद खरीद और गृह-उत्पादित मदों के स्टॉक दोनों द्वारा, किसी अन्य स्त्रोत द्वारा नहीं, किया गया हो । स्त्रोतों के अन्य किसी भी सम्मिश्रण के लिए संकेतांक 9 होगा । स्थानांतरण प्राप्ति या वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में प्राप्त पण्यों में से किये गये उपभोग के लिए भी संकेतांक 9 दर्ज किया जायेगा ।

3.5.5.2 खाद्य का गृह संसाधन : खण्ड 5 में सूचीबद्ध मदों को खण्ड 5 के ही अन्य खाद्य मदों द्वारा बनाया गया हो सकता है । उदाहरण के लिए घी (मद 164) को दूध : तरल (मद 160) से घर में ही बनाया जाता है । घर में ही मिर्च, आम नमक आदि से आचार (मद 305) भी बनाए जाते हैं । ऐसे सभी मामलों में ऐसे खाद्य पदार्थ के उपभोग को कहां दर्ज किया जाए सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर यह है : संघटक मदों के सामने । इस प्रकार खरीदा गया घी (या उपहार में प्राप्त किया गया घी का उपभोग) 'घी' के सामने दर्ज किया जाता है परन्तु गृह-निर्मित घी 'दूघ : तरल' के सामने दर्ज किया जाता है; खरीदी गयी मूड़ी के उपभोग को 'मूड़ी' में दर्ज किया जाता है परन्तु गृह-निर्मित मूड़ी को चावल में; खरीदे गए अचार के उपभोग को 'अचार' में दर्ज किया जाता है परन्तु गृह-निर्मित अचार को 'नमक', 'आम', 'मिर्च' आदि में । उसी तरह, घर में ईख से बनाया गया गुड़ खंड-5.1 में ''गुड़'' के अंतर्गत दर्ज नहीं किया जायेगा बल्कि उसे खंड- 5.2 'अन्य ताजे फल' (मद-268) के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा ।

3.5.5.3 गृह उत्पाद और गृह संसाधित : ऊपर के अनच्छेद 3.5.0.13 में जो बताया गया है उसको दोहराते हुए, उत्पाद का अर्थ है- कृषि-उत्पाद या पशुधन उत्पाद (जैसे दूध) पर घर पर ही अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य खाद्य पदार्थों से संसाधित किसी अन्य खाद्य मद को घरेलू उत्पाद नहीं माना जायेगा । अतः घर में बनाया गया- दही, घी, तरल चाय घरेलू उत्पाद के अंतर्गत नहीं आएंगे । यद्यपि, चिउड़ा, खोई और चावल जो घर के धान से बनाए जाते हैं फिर भी उन्हें गृह-उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जायेगा क्योंकि धान अनुसूची की एक सूचीबद्ध मद नहीं है ।

3.5.5.4 उपरोक्त से यह ज्ञात होता है कि स्त्रोत संकेतांक-2 (केवल गृह उत्पादित स्टॉक से उपभोग), 3 (खरीद एवं गृह उत्पादित-स्टॉक दोनों से उपभोग) 4 (निःशुल्क संग्रह से उपभोग) खंड 5 की मदों जैसे मुड़ी, दही, घी, मक्खन, आइस, गुड़, आचार, तरल-चाय(कप) आदि, जिन्हें खंड-5 की अन्य मदों (चालव, दूध, चीनी, ईख, सब्जियाँ, फल, नमक आदि) से बनाया जाता है, के लिए उपयुक्त नहीं हैं । केवल स्रोत संकेतांक 1, 5, 6 और 7 को ही इन मदों में दर्ज किया जा सकता है । अनुसूची 1.0 में, ऐसी मदों पर स्रोत संकेतांक कालम में एक (*) चिन्ह लगाया गया है । ध्यान में रखा जाए की (*) चिन्ह का उद्देश्य संकेतांक कालम दर्ज करने से रोकना नहीं है अपितु अन्वेषक को याद दिलाने के लिए है कि स्रोत-संकेतांक 2, 3 और 4 इन मदों के लिए उपयुक्त नहीं है (चिन्ह * पाठक को पृष्ठ के नीचे एक पादटिप्पणी की ओर ले जाता है जिसमें इसका उल्लेख है) ।

3.5.6 उपभोग से पहले गृह-संसाधित खाद्य का भंडारण : उपभोग से पहले घर में बनायी गयी कुछ वस्तुओं, जैसे आचार और घी का घर में कई महीनों तक भंडारण किया जाता है । ऐसे में किसी एक महीने में उपभोग से संबंधित आंकड़े एकत्र करना बड़ा कठिन होता है । आंकड़ों के संग्रहण को सरल बनाने के लिए, खाद्य उत्पाद को बनाने के लिए उपयोग किये गये अवयवों पर ही विचार किया जायेगा । यह नियम खंड-5 की उन सभी मदों पर लागू होगा जो खंड-5 की ही अन्य मदों से घर पर ही बनाए गए हों । इससे यह स्पष्ट होता है कि, घर में बनायी गयी वस्तुएँ जैसे घी और आचार जो प्रतिदर्श परिवार ने उपहार के रूप में दूसरे परिवार से प्राप्त किये हैं एवं उनका उपभोग किया है, उन्हें प्रतिदर्श परिवार के उपभोग के लेखा में शामिल नहीं किया जायेगा ।

3.5.7 मूल्य का आरोपण : जिन वस्तुओं का उपभोग किया गया, किन्तु जो खरीदी नहीं गई के मूल्यों को आरोपित करने की विधि पैरा 3.0.1.14 में दी गई है ।

3.5.8 उपभोग के दौरान खाद्य की बरबादी या फेंकना : यह उल्लेखनीय है कि खण्ड 5.1/5.2 में सभी मदों के लिए, वास्तव में किए गए उपभोग की मात्रा को ही दर्ज किया जायेगा । पर दैनंदिन के सामान्य कूड़े, जैसे फेंके गये पके-पकाये भोजन को उपभोग की मात्रा में से घटाया नहीं जायेगा । इसीप्रकार, मात्रा मापते समय सामान्य सफाई करने तथा छीलने आदि के कारण हुई कमी पर ध्यान नहीं दिया जायेगा । परंतु अशुद्ध मद, जैसे भूसी मिले चावल, की वास्तविक (नेट) मात्रा निकाली जायेगी अर्थात् चावल की वास्तविक मात्रा पर ही विचार किया जाना चाहिए, यद्यपि चावल का मूल्य अपरिवर्तित रहेगा । उदाहरणार्थ, यदि चावल और भूसी के मिश्रण

का भार 10 कि ग्रा था जो कि सफाई आदि के बाद केवल 8 कि ग्रा रह गया तो दर्ज की जाने वाली उपभुक्त चावल की मात्रा केवल 8 कि ग्रा है । तथापि, चावल का मूल्य अपरिवर्तित रहेगा ।

3.5.9 खाद्य की क्षति : दूसरी ओर, वह मद जो उपभोग प्रक्रिया में नहीं आयी है उसे उपभुक्त नहीं माना जायेगा । उदाहरणार्थ, मान लें उपभोग के लिए 10 कि ग्रा चावल रु. 100 में खरीदा गया, जिसमें से 5 कि ग्रा का तो उपभोग किया गया पर शेष 5 कि ग्रा या तो चोरी हो गया या चूहों, कीटों, संक्रमण आदि के कारण नष्ट हो गया; तो उपभोग की मात्रा 5 कि ग्रा होगी और उपभोग का मूल्य रु. 50 होगा ।

3.5.10 मद 101 और 102 : चावल : चावल उस अनाज को कहते हैं जो धान से भूसी अलग करके एवं उसे साफ करने के बाद प्राप्त होता है ।

3.5.11 मद 103 - 106 : चावल से बनी वस्तुएं जैसे चिउड़ा, खोई, लावा, मूढ़ी, चावल का आटा आदि जो चावल को कूट कर, भून कर, पीस कर, सुखा कर बनायी जाती हैं, इन मदों में शामिल की जायेंगी । तथापि, यदि ऐसे उत्पाद (यथा मूढ़ी) चावल से घर पर ही बनाया गया है तो उनके उपभोग को 'चावल' (मद 101 या 102) में दर्ज किया जायेगा न कि चावल उत्पाद में । चावल से बनाए गए खाद्य-पदार्थ जैसे, पैस्ट्रीज, केक, मिठाईयाँ, आदि चावल के उत्पाद में नहीं समझे जाने चाहिए । ये मदें खाद्यान्न समूह, पेय आदि की उपयुक्त मदों में दिखायी जायेंगी, बशर्ते की वे घर पर ही बनायी न गयी हों, जिस मामले में उपभोग को अवयवों (चावल, चीनी आदि) के नाम दर्ज किया जायेगा ।

3.5.12 मद 107 और 108 : गेहूँ/आटा : इसका तात्पर्य भोजन बनाने में उपयोग हुए गेहूँ के पूरे दाने, खंडित गेहूँ (पावडर नहीं) और आटा से है ।

3.5.13 मद 110 - 114 : मैदा : मैदा गेहूँ का आटा है, अर्थात् पीसा हुआ गेहूं (जिसे मैदा के रुप में खरीदा गया) को मद 110 (मैदा) के अंतर्गत शामिल किया जायेगा । गेहूँ से बनी अन्य वस्तुओं को या तो विशिष्ट सूचीबद्ध मदों में गिना जायेगा या मद 114 (अन्य गेहूँ उत्पाद) में । यह नोट किया जाय कि बेकरी की बनी हुई पावरोटी के उपभोग को मद 113 में दर्ज किया जायेगा जबकि गेहूँ से बनी अन्य वस्तुएं जैसे बिस्कुट, केक आदि को खाद्यान्न समूह पेय आदि (मद 290 से 308) में गिना जायेगा ।

3.5.14 मद 115 - 122 : मदों की यह श्रृंखला ज्वार, बाजरा, मकई, जौ, कोदो, रागी के उपभोग से संबंधित ब्यौरों को दर्ज करने के लिए दी गई है । इन प्रत्येक मद के उत्पादों को भी शामिल किया जायेगा । मक्का (मद 117) में पापकॉर्न भी शामिल होगा । जौ को भूनकर और पीसकर बने सत्तु को मद 118 (जौ और उसके उत्पाद) में दर्ज किया जायेगा । चावल से तैयार किये गये खाद्यान्न के समान ही इन अनाजों से बने खाद्यान्नों को खाद्यान्न समूह : पेय आदि की उचित मदों के अधीन दर्ज किया जायेगा ।

3.5.15 मद 129 : अनाज : उप जोड़ : यह एक उप-जोड़ मद है (उ.जो. का अर्थ उप-जोड़ है) । सभी अनाज मदों का योग कालम (3) से (4) के लिए निकाला जायेगा और उन योगफलों को इस पंक्ति के उपयुक्त कालमों में दर्ज किया जायेगा । दूसरे शब्दों में यह प्रविष्टि प्रत्येक संघटक मदों (अनाज और अनाज उत्पाद) के सामने उस कालम में दर्ज प्रविष्टियों का योग होगी । इसी तरह, अन्य सभी उप-जोड़ मदों को निकाला जायेगा ।

3.5.16 मद 139 : अनाज प्रतिस्थापक (कसावा, आदि) : अनाज सामान्यतः एक व्यक्ति का मुख्य भोजन है । किन्तु कभी-कभी यह संभव है कि अपनी पसन्द अथवा दुर्लभता के कारण कोई व्यक्ति अनाज का अधिक उपभोग नहीं करता अथवा उसका उपभोग बिलकुल ही नहीं करता । ऐसे मामलों में भोजन की आवश्यकता अंशतः अथवा पूर्णतः उस पदार्थ से पूरी की जाती है जो अनाज का प्रतिस्थापक हो सकता है । उदाहरण के लिए, देश के कुछ भागों में कसावा (टैपिओका) का उपभोग अनाज के प्रतिस्थापक के रुप में होता है । इसी प्रकार कटहल के बीजों, महुआ आदि का उपभोग भी अनाज के प्रतिस्थापक के रुप में किया जाता है । तथापि अनाज के प्रतिस्थापक के रूप में उपभोग किए जाने वाले आलू या शकरकंद को यहाँ नहीं दिखाया जायेगा । इन्हें सब्जियों के समूह के अन्तर्गत दर्ज किया जायेगा । कभी-कभी मिश्रित अनाज का आटा, जैसे इडली का आटा जो अनाजों, दालों एवं मसालों का मिश्रण होता है, खरीदा एवं उपभोग किया जाता है । ऐसे मामले में यदि मिश्रण

के विभिन्न अवयवों का अनुपात मालूम न हो/या जिसे मालूम करना कठिन हो, तो इसकी मात्रा एवं मूल्य उस खाद्यान्न अवयव के सामने दर्ज किया जायेगा जिसकी अधिक मात्रा इस मिश्रित आटे में विद्यमान है ।

3.5.17 मद 150 : चना उत्पाद : यह सत्तु जैसी वस्तु से संबंधित है जो चने को भूनकर एवं पीसकर बनाया जाता है । परन्तु चने से बनाये गये बेसन पर यहाँ विचार नहीं किया जायेगा । बल्कि, उसे मद 151 (बेसन) में दर्ज किया जायेगा ।

3.5.18 मद 152 : अन्य चना उत्पाद : इसके अंतर्गत सोयाबीन भोजन और सोयबीन आटा शामिल है ।

3.5.19 मद 160 - 167 : दूध और दुग्ध उत्पाद : ये मदें तरल दूध, शिशु आहार और दूध को गर्म करके, मथकर या अम्ल रसायनों की बूँदें अथवा जामन मिलाकर घी मक्खन, दही, छेना, छाछ आदि के रुप में प्राप्त दुग्ध उत्पादों से संबंधित है । □संदेशरु, □रसगुल्ला”, □पेड़ा” आदि जैसी मिठाईयां जो खरीदे गए अथवा घर में ही उपलब्ध दूध से घर में ही बनवाई गई हों, दुग्ध उत्पाद नहीं मानी जायेंगी और इसलिये इन मदों में इन्हें नहीं गिना जायेगा । यदि एक परिवार इन मिठाइयों को तरल दूध से तैयार करता है तो इसका उपभोग दूध : तरल (मद 160) में दर्ज किया जायेगा । इसी प्रकार, परिवार द्वारा दुग्ध उत्पाद, जैसे घी, मक्खन, दही आदि तरल दूध से बनाये गये हों और उनका उपभोग किया गया है, तो इसे दूध : तरल के सामने दर्ज किया जायेगा न कि दूध से बनी किसी विशेष वस्तु के सामने । उदाहरण के लिए, मान लें किसी परिवार ने 30 लीटर दूध का उपभोग किया है, जिसमें से 15 लीटर दूध को दही बनाकर उपभोग किया गया है । इस मामलें में 30 लीटर दूध को केवल दूध : तरल के सामने दिखाया जायेगा । परन्तु यदि परिवार द्वारा दूध से बनी कोई वस्तु बाजार से खरीद कर उपभोग की गई है, तो इसकी मात्रा एवं संबंधित मूल्य को उस दुग्ध-उत्पाद के सामने दर्ज किया जायेगा ।

3.5.20 मद 160 : दूध : तरल : इसका तात्पर्य गाय, भैंस, बकरी अथवा अन्य किसी भी पशुधन से सीधे प्राप्त दूध से है । बोतलों अथवा पोली पैकों में बेचा जाने वाला दूध भी □दूध : तरलरु माना जायेगा । दूध : तरल की मात्रा की इकाई □लीटर” है । पिए जाने के लिए तैयार सुस्वादु एवं बोतल में भरा दूध भी दूध : तरल माना जायेगा एवं इसे भी इस मद में शामिल किया जाना चाहिए । उपभोग के उद्देश्य से दूध से तैयार किए गये और संदर्भ अवधि में वास्तव में उपभोग किये गये दही, छेना, घी आदि को भी इस मद में शामिल किया जायेगा । यदि दूध : तरल से घी घर पर ही बनाया गया और उसका कुछ भाग संदर्भ अवधि के दौरान उपभोग किया गया तो वास्तव में उपभोग किये गये घी को बनाने के लिए आवश्यक दूध : तरल की मात्रा और मूल्य को मद 160 में (दूध : तरल) में दर्ज किया जायेगा । परंतु कभी-कभी परिवार द्वारा प्रतिदिन दूध की मलाई निकाल कर जमा किया जाता है और उससे घी बनाया जाता है । ऐसे घी के उपभोग को छोड़ दिया जायेगा ।

3.5.21 मद 161 : शिशु आहार : इसका तात्पर्य ऐसे शिशु आहारों से है जिसका प्रमुख घटक दूध है, जैसे लैक्टोजेन, मिल्क केयर, अमूलस्प्रे आदि । शिशु आहार जिनका प्रमुख घटक दूध नहीं है जैसे फेरेक्स, सेरेलेक, आदि को यहाँ शामिल नहीं किया जायेगा, ऐसी वस्तुओं को □अन्य संसाधित आहाररु (मद 308) के सामने दर्ज किया जाना चाहिए ।

3.5.22 मद 166 : आईस-क्रीम : आईस-क्रीम जिसका मुख्य घटक दूध है इस मद में शामिल की जायेगी । सिरॅप से बनी आईस क्रीम जिसमें दूध नहीं होता और जो ग्रामों में आईस-क्रीम की तरह बेचा जाता है, उसे इस मद में शामिल नहीं किया जायेगा । बल्कि उसे मद 298 (अन्य पेय) में गिना जायेगा ।

3.5.23 मद 171 : चीनी : अन्य स्त्रोत : कंदसारी को इसके अंतर्गत शामिल किया जायेगा ।

3.5.24 मद 189 : नमक : इसके अंतर्गत सभी खाने वाले नमक शामिल किये जायेंगे, चाहे वे (iodised) आईडिन-युक्त हों या नहीं ।

3.5.25 मद 190 से 194 : खाद्य तेल : भोजन बनाने में प्रयुक्त तेल □खाद्य तेलरु समझे जायेंगे जैसे सरसों का तेल, मूँगफली का तेल, आदि । श्रृंगार प्रसाधन के उद्देश्य से व्यवहृत तेल, इस खण्ड की किसी भी मद में शामिल नहीं किये जायेंगे, उन्हें खंड 10 की मद 453 (केश तेल, लोशॅन, शेम्पू, हेयर-क्रीम) या मद 457 (अन्य श्रृंगार प्रसाधन) में दर्ज किया जायेगा ।

3.5.26 कुछ खाद्य तेल जैसे मूँगफली का तेल आदि को इसके बीजों को पेर कर निकाले गए कच्चे तेल को उदासीनीकरण, विरंजन एवं रंगविहीन करने की कुछ रासायनिक विधियों द्वारा परिशोधित करके बाजार में बेचा जाता है । ऐसे परिशोधित तेल और कच्चे तेल के बीच में कोई भेद नहीं माना जायेगा ।

3.5.27 मद 242 : अन्य सब्जियाँ : इसमें अनुसूची में सूचीबद्ध सब्जियों के अलावे अन्य हरे फल जैसे आम, तरबूज आदि शामिल हैं जिनको संसाधित खाद्य बनाकर उपभोग किया जाता है ।

3.5.28 मद 268 : अन्य ताजे फल : इसमें सभी ताजे फल, जो अनुसूची में सूचीकृत नहीं हैं, शामिल किया जायेगा । फल के रुप में उपभोग किये गये गन्ने को भी इसमें शामिल किया जायेगा । इसके अंतर्गत गन्ना शामिल किया जायेगा जिससे परिवार गण गुड़ बनाते हैं ।

3.5.29 मद 272 : खजूर : इस मद के अंतर्गत खजूर को शामिल किया जायेगा जिसके द्वारा परिवार गुड़ बनाते हैं ।

3.5.30 मद 280-288 : मसाले : भोजन बनाने में साधारणतः अनेक प्रकार के मसालों का उपयोग किया जाता है । इनमें से हल्दी और लाल मिर्च का उपयोग आम है । जिनका सूचीकरण यहाँ नहीं किया गया है उन मदों की खरीद ग्रामों में ज्यादातर मिश्रित मसालों के रुप में की जाती है एवं इन मिश्रित मसालों में से प्रत्येक का अलग-अलग कितना उपभोग किया गया एवं प्रत्येक मसाले पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ यह ज्ञात करना कठिन है । अतः ऐसे मसालों के लिए मद 288 (अन्य मसाले) उपलब्ध करायी गयी है ।

3.5.31 मद 294 : खनिज जल : 'खनिज जल' का तात्पर्य सभी पैक किये गये जल से है, चाहे उसमें खनिज अंश हो या न हो ।

3.5.32 मद 295 : ठंडा पेय - बोतलबंद/डिब्बाबंद : इसमें ठंडा पेय जैसे, थम्सअप, पेप्सी, कोका-कोला, फ्रूटी आदि शामिल होंगे । इस मद और मद 296 (फल का रस और शेक) के लिए मात्रा की इकाई 'लीटर' होगी ।

3.5.33 मद 297 : अन्य पेय (कोका आदि) : इसमें सोडा वाटर शामिल होगा, पर पैक किया हुआ पेय जल (खनिज जल) नहीं, जिसे मद 294 में दर्ज किया जायेगा ।

3.5.34 मद 298 : बिस्कुट : इस मद के अंतर्गत केवल बिस्कुट ही नहीं बल्कि कंफेक्शनरी जैसे चाकलेट, टॉफी, लाजेंस आदि और चीनी के प्रतिस्थापी जैसे सैक्रीन, चीनी रहित मिठास आदि को शामिल किया जायेगा ।

3.5.35 मद 300 : केक, पेस्ट्री आदि : यह एक अलग मद है जिसके अंतर्गत बिस्कुट को शामिल नहीं किया जायेगा । मात्रा की इकाई कि.ग्रा. होनी चाहिए, न कि 'संख्या' ।

3.5.36 मद 301 : तैयार मिठाइयां : इस मद में वे मिठाइयां शामिल होंगी जो खरीदी हुई या उपहार द्वारा प्राप्त चीनी, अनाज, दूध, नारियल आदि से बनायी गयी थी । घर में बनायी गयी मिठाई को इस मद में नहीं बल्कि उसके अवयवों की मदों में दर्ज किया जायेगा ।

3.5.37 मद 302 और 303 : पका भोजन : इसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा । कुछ मामलों में ये पूर्व में अपनायी गई क्रियाविधियों से भिन्न हैं । ध्यान रहे कि यहां ‘पके भोजन’ का तात्पर्य प्रतिदर्श परिवार या किसी अन्य परिवार में पकाये गये खाने से नहीं है । वैसे खाने को हमेशा जहां वे पकाये जाते हैं उस परिवार में संघटकों के नाम के सामने दर्ज किया जाता है ।

3.5.38 मद 302 : सहायता या भुगतान के रुप में प्राप्त पका-पकाया भोजन : इस मद में निम्नलिखित स्थितियों में प्रविष्टियां (पके भोजनों की संख्या और आरोपित मूल्य) दर्ज की जायेंगी :

- ऐसे कारखाने और कार्यालय हैं जो अपनी कैंटीनों द्वारा कर्मचारियों को भोजन प्रदान करते हैं । ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा कैंटीन के भोजन का उपभोग, यदि वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं, परिलब्धियां माना जायेगा और उनकी संख्या और आरोपित मूल्य को कर्मचारी के परिवार के नाम **मद 302** में दर्ज किया जायेगा । यह प्रक्रिया 64वें दौर से अपनायी गयी है ।
- उन छात्रावासों के सहवासियों के लिए, जहां भोजन छात्रावास चलाने वाली सरकार या अन्य संगठन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है, भोजनों का मूल्य स्थानीय मूल्य पर आरोपित किया जायेगा और **मद 302** में विद्यार्थी के परिवार (एकल-सदस्य) के नाम दर्ज किया जायेगा । यह प्रक्रिया भी 64वें दौर से अपनायी गयी है ।
- सरकारी सहायता के रुप में (उदाहरणार्थ मध्य-दिवस भोजन योजना के अधीन) प्राप्त पके-पकाये भोजनों की संख्या और आरोपित मूल्य **मद 302** में दर्ज किया जायेगा । पुनः यह प्रक्रिया 64वें दौर से अपनायी जा रही है ।

3.5.39 मद 303 : खरीदे हुए पके-पकाये भोजन : बाजार से अर्थात् होटल, रेस्तरां, कैंटीन, कैटरिंग एजेंसी आदि, से खरीदे गये पके-पकाये भोजनों के लिए, प्रविष्टि **मद 303** में पका-पकाया भोजन खरीदने वाले परिवार के नाम की जायेगी । इन भोजनों का उपभोग परिवारिक सदस्यों, अतिथियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया हो सकता है । यह सामान्यतया खाद्य के लिए अपनाये जाने वाले □उपयोग अभिगमङ्ग से एक अलगाव है । तथापि, यदि ऐसे भोजन परिवार द्वारा संचालित एक उद्यम के कर्मचारियों को दिये जाते हैं, तो वे कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के साधन माने जायेंगे, और पैरा 3.5.0.4 में दी गई क्रियाविधि के अनुसार उन्हें **मद 302** में कर्मचारियों के परिवारों का उपभोग माना जायेगा । होस्टल के एक विद्यार्थी द्वारा होस्टल की मेस से भुगतान पर प्राप्त भोजन मद-303 में विद्यार्थी के परिवार में दर्ज किया जायेगा (भले ही प्रत्यक्षतः उसका भुगतान विद्यार्थी के माता-पिता ने किया हो) ।

3.5.40 मद 305 से 307 : अचार, चटनी, मुरब्बा, जेली : अचार (305), चटनी (306) और मुरब्बा/जेली (317) खरीदी हुई या घर में बनाई हुई हो सकती है । गृह-निर्मित मुरब्बा(जैम), अचार, आदि के लेखा के लिए सामान्य संघटक अभिगम का पालन किया जायेगा (पैरा 3.5.5.2 को देखें) यद्यपि, रिपोर्टिंग का सरलीकरण करने के लिए, संघटक का उपभोग (जैसे चीनी) उसी समय हुआ माना जायेगा जब उस खाद्य उत्पाद (जैसे अचार) को बनाने में संघटकों का उपयोग किया गया, न कि तब जब उस खाद्य उत्पाद को वास्तव में खाया गया या खिलाया गया (देखें पैरा 3.5.6)।

3.5.41 मद 308 : अन्य संसाधित खाद्य पदार्थ : नाश्ता (स्नैक्स), टिफिन, भोजन के पैकेट, चाउमिन, सूप आदि, जो भोजन की मदों की सूची की मद 298-307 में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें इस मद में दर्ज किया जायेगा ।

3.5.42 मद 312 : पान के संघटक : इसके अंतर्गत, सुपारी, चूना, कत्था और अन्य सभी संघटक शामिल किए जायेंगे, जिनसे पान तैयार किया जाता है । बाजार में सुपारी अनेक रुप में मिलती है, जैसे, ताजी सुपारी, खमीरी सुपारी, धूप में सुखाई गई सुपारी, उबाली और रंगी हुई सुपारी एवं सुगंधित सुपारी । उपरोक्त किसी भी तरह की सुपारी के उपभोग को इस मद में गिना जायेगा । तंबाकू, जर्दा, सुर्ती, किमाम आदि जो पान के साथ खाए जाते हैं, इस मद में शामिल नहीं किए जायेंगे । इन्हें तंबाकू समूह में दर्ज करने का प्रावधान रखा गया है । तथापि पान पराग (पान मसाला) को इसी मद में शामिल किया जायेगा ।

3.5.43 मद 321 : सिगरेट : कभी-कभी सिगरेट बनाने के लिए सिगरेट कागज और तंबाकू अलग-अलग खरीदे जाते हैं । ऐसे मामलों में दर्ज किए जाने वाले मूल्य में तंबाकू और कागज दोनों के मूल्य शामिल होंगे । वास्तव में निर्मित और उपभुक्त सिगरेटों की संख्या दर्ज की जायेगी । कभी-कभी गांजा का उपभोग सिगरेट के रुप में किया जाता है । ऐसी सिगरेटों पर मद 330 : गांजा के अधीन विचार किया जायेगा ।

3.5.44 मद 322 : पत्ती तंबाकू : इसमें संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी रुप में उपभोग किये गये सभी तरह के पत्ती तंबाकू शामिल किये जायेंगे । पत्ती तंबाकू का उपयोग दाँत मांजने के लिए जलाकर और पीसकर किया गया है तो उसे भी इस मद में शामिल किया जायेगा ।

3.5.45 मद 330 : गांजा : इसमें सिगरेट के रुप में उपभोग किया गया गांजा भी शामिल किया जायेगा ।

3.5.46 मद 332 : देशी शराब : इसमें संघटकों से घर पर ही बनायी गई और उपभोग की गई देशी शराब शामिल नहीं की जायेगी । इसके उपभोग की प्रविष्टियां संघटकों के खानों में की जायेंगी ।

3.5.47 मद 335 : अन्य मादक द्रव्य : इसमें नशे के लिए उपयोग किये गये ड्रग को शामिल किया जायेगा परंतु औषधि के तौर पर उपयोग किये गये ड्रग को शामिल नहीं किया जायेगा ।

खण्ड 6 : पिछले 30 दिनों के दौरान ऊर्जा (ईंधन, प्रकाश, घरेलू उपकरण) का उपभोग

3.6.0.0 इस खंड में, सर्वेक्षण तिथि से पिछले 30 दिनों के दौरान खाना पकाने, प्रकाश करने और परिवहन को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए ईंधन के उपभोग से सम्बन्धित सूचना दर्ज की जायेगी । यहां के कालम खंड 5 के कालमों के समान ही हैं । ''गृह-उत्पाद से उपभोग'' के अधिकांश कालमों को छायांकित रखा गया है ।

3.6.0.1 इस खंड में, केवल ऊर्जा के लिए उपयोग होने वाले हिस्से, वाहनों में उपयोगों को छोड़कर, को दर्ज किया जायेगा । वाहनों में उपयोग किये गये पेट्रोल, किरासन आदि की राशि खंड 10 के उप-समूह यात्रा के अधीन दर्ज की जायेगी । सफाई के लिए उपयोग हुई राशि खंड 10 के उप- समूह 'पारिवारिक उपभोज्य' की मद 473 में दर्ज की जानी चाहिए ।

3.6.1 मद 342 : विद्युत् : उपयोग में विधुत् के लिए मीटर किराया और अधिभार को भी शामिल किया जायेगा । जहां तक संभव हो, संदर्भ अवधि के दौरान वास्तव में उपभुक्त मात्रा 'मानक इकाई' (kwh) में ज्ञात की जानी है । सामान्यतः परिवार मासिक व्यय ही सही-सही बताने में समर्थ होते है न कि इकाइयों की संख्या। ध्यान रहे कि विधुत् सहित खरीदी गई सभी पण्यों के मूल्य खरीद मूल्य पर ज्ञात किये जाने हैं । इसका अर्थ है कि मूल्य कालम में प्रविष्टि वास्तव में उठाया गया व्यय होगा, यदि यह खरीद का एक मामला हो । ('हूकिंग' खरीद नहीं है ।) खरीद के दो विशेष आम मामलों की चर्चा नीचे की गई है :

(क) कभी-कभी विधुत् बोर्ड या आपूर्ति एजेंसी द्वारा पूर्व सूचना का उपयोग करके या अन्य तरह से एक औसत उपभोग स्तर की गणना कर ली जाती है और उसके आधार पर परिवार से प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि वसूल की जाती है । उदाहरणार्थ, प्रत्येक महीने का बिल खपत 50 इकाई और शुल्क रु.150 दिखा सकता है । ऐसे मामले में मूल्य कालम में प्रविष्टि रु.150 होगी । मात्रा के लिए, यदि परिवार जानता है कि पिछले 30 दिनों के दौरान खपत लगभग 80 इकाई की हुई है न कि 50 इकाई की, तो 80 दर्ज किया जायेगा । दूसरी ओर, यदि उपभुक्त इकाइयों की संख्या के बारे में परिवार को कोई अंदाजा नहीं है, तो 50 दर्ज किया जा सकता है ।

(ख) कभी-कभी मीटर मकान-मालिक के साथ ही होता है और मकान-मालिक प्रतिदर्श परिवार से प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि X लेता है । यह मकान-मालिक से विद्युत् खरीद का एक मामला है । यहां X मूल्य कालम में दर्ज किया जायेगा और जहां तक संभव हो वास्तव में उपभुक्त इकाइयों की संख्या सुनिश्चित की जायेगी और उसे मात्रा कालम में दर्ज किया जायेगा । यदि परिवार को मात्रा के बारे में कोई अंदाजा नहीं है तो यह मान लिया जायेगा कि मकान मालिक विद्युत् बोर्ड या आपूर्ति एजेंसी वाली दर पर ही शुल्क ले रहा है। इस दर को ज्ञात किया जाना चाहिए और इसका उपयोग उपभुक्त मात्रा की गणना में किया जाना चाहिए ।

3.6.1.1 हूकिंग : 'हूकिंग' के मामले में, लगभग मात्रा सुनिश्चित की जायेगी और उसे दर्ज किया जायेगा । इस मात्रा के मूल्य का आरोपण स्थानीय कीमत पर किया जायेगा अर्थात् वह मूल्य जो वैध रुप से ली गई विद्युत् के लिए लिया जाता है ।

3.6.1.2 विद्युत् का उत्पादन : उस एक परिवार के लिए, जिसे उन व्यक्तियों या एजेंसी द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है जो एक जेनरेटर के द्वारा विद्युत पैदा करते हैं, विद्युत शुल्क मद 342 : विद्युत के अधीन दर्ज किया जायेगा । परंतु यदि परिवार द्वारा स्वयं एक डीजल या पेट्रोल जेनरेटर का उपयोग करके बिजली पैदा की जाती

है, तो ईंधन शुल्कों को क्रमशः 'डीजल' या 'पेट्रोल', में दिखाया जायेगा । ऐसे जेनरेटरों की मरम्मत और रखरखाव के शुल्क खंड 11 में मद 591 मद 601 (अन्य रसोई/पारिवारिक उपकरण), निर्माण और मरम्मत के लिए सामग्रियों और सेवाओं की लागत के लिए कालम(मों) में दिखाये जायेंगे (अनु. प्ररूप 1 के लिए कालम (7) और (13), अनु. प्ररूप 2 के लिए कालम (7) ।

3.6.2 मद 341 : जलाऊ लकड़ी : यह नोट किया जाए कि जलाऊ लकड़ी और चिप्स, जिसे जंगल से मुफ्त संग्रह किया गया, गृह-उत्पाद से उपभोग में नहीं दिखाया जायेगा ।

3.6.3 मद 348 : एल.पी.जी. : सामान्यतया एक गैस सिलिंडर में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) की एक निश्चित मात्रा भरी जाती है और वह घरेलू उपभोग के लिए सप्लाई की जाती है । संदर्भ अवधि के दौरान एल.पी.जी. के उपभोग का मूल्य प्राप्त करने के लिए, पहले यह ज्ञात किया जायेगा कि परिवार एक पूरे भरे गैस सिलिंडर का उपभोग कितने दिनों तक करता है । मान लें कि एक भरे सिलिंडर का मूल्य रु. V है और परिवार सामान्यतया 'D' दिनों तक उसका उपभोग करता है । तो पिछले 30 दिनों के दौरान उपभुक्त गैस के मूल्य को इस प्रकार निकाला जायेगा (V x 30)/D । इसे दशमलव के दो स्थानों तक निकाला जायेगा । तथापि एक गैस सिलिंडर लेने के लिए जमा की गई जमानती राशि को उपभोक्ता व्यय के रुप में नहीं गिना जायेगा और उसकी प्रविष्टि इस अनुसूची में नहीं होगी ।

3.6.4 मद 352 : गोबर गैस : गोबर गैस के विनिर्माण के लिए उपयोग किये गये निवेश के मूल्य के आधार पर गोबर गैस के मूल्य को आकलित किया जायेगा ।

3.6.5 मद 353 : पेट्रोल (लीटर) और मद 354 : डीजल (लीटर) : यहां प्रकाश, पंखे आदि के लिए विद्युत् उत्पन्न करने के लिए काम आने वाले पेट्रोल, डीजल आदि को दर्ज किया जायेगा, पर किसी के वाहन के लिए उपयोग होने वाले ईंधन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

3.6.6 मद 355 : अन्य ईंधन : इसमें उस अन्य मद को शामिल किया जायेगा जिसका उपयोग ईंधन के रूप में खाना पकाने, प्रकाश या अन्य पारिवारिक उद्देश्यों के लिए किया गया । इसमें पूजा आदि के लिए उपयोग हुआ ईंधन भी शामिल होगा पर किसी के वाहन में उपयोग हुआ ईंधन नहीं ।

खण्ड 7 : वस्त्र, बिस्तर आदि पर उपभोग-व्यय

3.7.0 इस खंड में अनुसूची प्ररूप-2 के लिए संदर्भ अवधि पिछले 365 दिनों की होगी । अनुसूची प्ररूप-1 में सूचनाओं को दो संदर्भ अवधियों- ''पिछले 30 दिनों'' एवं ''पिछले 365 दिनों'' में दर्ज किया जायेगा ।

3.7.0.1 वस्त्र, बिस्तर और जूते की मदों के लिए एक मद का उपभोग तब हुआ माना जाता है जब उसका पहली बार उपभोग किया जाता है । उपभोग का लेखा उस व्यक्ति के परिवार के नाम से किया जाता है जो पहला उपयोग करता है ।

3.7.0.2 सैकेण्ड हैण्ड खरीद : वस्त्र और जूतों की सैकेण्ड हैण्ड खरीद के मामले में एक अपवाद रखा गया है । वस्त्र या जूते की सैकेण्ड हैण्ड खरीद तब हुई समझी जाती है जब वस्त्र की एक मद की खरीद किसी अन्य परिवार द्वारा उसका उपयोग कर लिये जाने के बाद बगैर कोई बदलाव किये की जाती है । जब ऐसी एक खरीद की जाती है तब हम कहते हैं कि उपभोग (सैकेण्ड हैण्ड खरीद में से) खरीद के समय ही कर लिया जाता है । अर्थात् सैकेण्ड हैण्ड खरीद के मामले में उपयोग अभिगम को नहीं अपनाया जाता है, दूसरे शब्दों में खरीदी गई मद का उपयोग खरीदने के बाद किया गया या नहीं उस पर विचार नहीं किया जाता है ।

3.7.0.3 वस्त्र की मदों के उपभोग के संबंध में प्रविष्टियां खरीदने से, गृह उत्पादन में से, हस्तांतरण प्राप्तियां जैसे उपहार, दान में से और वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में प्राप्तियों से किए गए कुल उपभोग से सम्बन्धित होगी । तथापि पारिवारिक उद्यमों के लिए की गयी खरीदों को शामिल नहीं करने में सावधानी रखी जानी चाहिये ।

3.7.0.4 नए वस्त्रों की खरीद को मद 360 से 373 में दर्ज किया जाएगा । सैकेण्ड हैण्ड खरीद के मामले में खरीदे गए सैकेण्ड हैण्ड वस्त्रों की खरीद का कुल मूल्य मद 374 में दर्ज किया जाएगा ।

3.7.0.5 आयातित सैकेण्ड हैण्ड रेडीमेड वस्त्रों को सैकेण्ड हैण्ड नहीं बल्कि फर्स्ट हैण्ड खरीद माना जाएगा और इन्हें मद 368 में शामिल किया जाएगा ।

3.7.0.6 नियोक्ता द्वारा दी गई वर्दी को भी लेखा में शामिल किया जाएगा, भले ही उसका उपयोग केवल कार्य अवधि के दौरान किया जाता है ।

3.7.0.7 संदर्भ अवधि के दौरान गृह उत्पादन में से वस्त्र के उपभोग का मूल्यांकन उत्पादक के मूल्य पर किया जाएगा । परन्तु हस्तांतरण प्राप्तियों और वस्त्रों तथा सेवाओं के विनिमय से प्राप्तियों में से वस्त्र मदों के उपभोग का मूल्यांकन स्थानीय बाजार में प्रचलित खुदरा मूल्य पर किया जाएगा ।

3.7.0.8 सिले-सिलाये वस्त्रों के लिए मात्रा की इकाई संख्या होगी । किन्तु यदि किसी परिवार ने खरीदे गए कपड़े से वस्त्र तैयार किया है तो उपभोग की मद □कपड़े" के रुप में तथा मात्रा □मीटरों" में दर्ज की जाएगी । जब कोई वस्त्र परिवार के किसी सदस्य द्वारा घर में सिला गया हो, इसका मूल्य केवल कपड़े का मूल्य माना जायेगा । वस्त्र की सिलाई की कोई मजदूरी तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिदर्श परिवार की अपनी सिलाई की दुकान न हो । यदि परिवार की अपनी सिलाई की कोई दुकान हो एवं वस्त्र वहाँ सिलाया गया हो, तो कपड़े का मूल्य मद 362 या 363 में और सिलाई की मजदूरी खण्ड 10 की मद 485 में दर्ज की जाएगी । इसी प्रकार मकान में तैयार की गई रजाई के लिए, जिसके लिए सामग्रियाँ (जैसे, कपड़ा, रुई, धागा आदि) खरीदी गईं हैं, व्यवहृत सामग्रियों की मात्रा एवं मूल्य संबंधित मदों में दर्ज किए जायेंगे । रजाई बनाने के लिए किसी भाड़े के व्यक्ति को दी गई मजदूरी को खण्ड 10 की मद 485 में 'सिलाई की मजदूरी' के रुप में दर्ज किया जायेगा ।

3.7.1 कालम (1) और (2) : इन दो कालमों में वस्त्रों की मदों के विवरण और मद संकेतांक पहले से मुद्रित हैं । एक मद की मात्रा की इकाई सूची में मद के नाम के सामने कोष्ठकों में दिखायी गयी है ।

3.7.2 कालम (3) से (4)/(6) : मात्रा और मूल्य : अनुसूची प्ररूप-2, जिसकी संदर्भ अवधि 365 दिन है, में कालम (3) का संबंध कुल उपभोग की मात्रा से है और कालम (4) का पिछले 365 दिनों के अनुरूपी मूल्य से है । अनुसूची प्ररूप-1 में कालम (3) - (4) पिछले 30 दिनों के दौरान उपभोग की मात्रा और मूल्य को दर्ज करने के लिए तथा कालम (5)-(6) पिछले 365 दिनों के दौरान उपभोग की मात्रा और मूल्य को दर्ज करने के लिए हैं ।

3.7.3 कालम (3)/(5): मात्रा : खंड-7 की अधिकांश मदों में मात्रा कालमों में मात्रा के अंकों को उचित इकाइयों में दर्ज करने का प्रवधान है । अधिकांश मदों के लिए, इकाई है - ''संख्या'' या ''ग्राम'' एवं मात्रा प्रकोष्ठ का दशमलव भाग को छायांकित किया गया है, अर्थात प्रविष्टि केवल पूर्णांक में दर्ज की जानी है । कुछ मदों के लिए, मात्रा की इकाई ''मीटर'' है, यहां पूर्णांक वाले भाग को बायी ओर के खाने में और भिन्न वाले भाग को दाहिनी ओर के खाने में दशमलव के तीन स्थानों तक दर्ज किया जायेगा । कुछ मदों के लिए मात्रा को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी मदों के मात्रा खानों को छायांकित कर दिया गया है ।

3.7.4 मद 360 : धोती और मद 361 : साड़ी : इन दोनों मदों के लिए मात्रा 'संख्या' में दी जायेगी ।

3.7.5 मद 374 : वस्त्र (सैकेण्ड हैंड) : सभी वस्त्र से संबंधित मदें : जैसे- धोती, साड़ी, तैयार वस्त्र आदि जो सैकेण्ड-हैण्ड रूप में संदर्भ अवधि के दौरान खरीदे गए हों, यह लिहाज किए बिना कि खरीदारी के बाद प्रयोग किया गया अथवा नहीं, को यहाँ दर्ज किया जायेगा ।

3.7.6 मद 384 : **मच्छरदानी :** मच्छरदानी बनाने के लिए खरीदे गये कपड़े को भी इस मद में शामिल किया जायेगा । मात्रा में, कितनी मच्छरदारियां बनाई गईं या बनाने का विचार है, को दर्ज किया जायेगा ।

खण्ड 8 : जूतों का उपभोग

3.8.0 जूतों की खरीद और उनके उपभोग पर इस खण्ड को भरते समय वस्त्र वाले खण्ड के भरने के लिए दिये गए सामान्य अनुदेशों को ही अपनाया जायेगा । दर्ज की जाने वाली मात्रा (जोड़ों की संख्या) और मूल्य (रु.) केवल पूर्ण अंकों में दर्ज किये जाने हैं । सभी सैकेण्ड-हैण्ड जूतों की खरीदारी- □जूते : सैकेण्ड-हैण्ड" (मद 395) में दर्ज की जायेगी । खंड-7 के समान खंड-8 संदर्भ अवधि अनुसूची प्ररूप-2 में पिछले 365 दिनों की एवं अनुसूची प्ररूप-1 में दो संदर्भ अवधियां हैं - पिछले 30 दिनों की और पिछले 365 दिनों की, जिसके लिए इस खंड में अनुसूची प्रकार-1 में दो अतिरिक्त कालम दिये गये हैं ।

टिप्पणी :
1. यदि सामग्रियां खरीदी जाती हैं और उनसे एक मोची से जूते बनवाये जाते हैं, तो उन जूतों का मूल्य सामग्रियों के मूल्य और मोची को दिये गये सेवा शुल्क को जोड़कर निकाला जायेगा ।
2. यदि एक पैर का व्यक्ति केवल एक जूता खरीदता या बनवाता है, तो मात्रा एक जोड़ा मानी जायेगी ।
3. प्लास्टिक जूतों को मद 393 : रबड़/पी.वी.सी जूते में शामिल किया जायेगा ।
4. चप्पलों के फीतों को इस खण्ड में शामिल नहीं किया जायेगा । ऐसी मदों को खण्ड 10 (मद 473 : अन्य गौण वस्तुयें) में शामिल किया जायेगा ।

खण्ड 9, 10 और 11 : सामान्य अनुदेशों

3.9.0.0 **खण्ड 9, 10 और 11** का सम्बन्ध शिक्षा और चिकित्सकीय देखभाल, विविध वस्तुएं और सेवाएं और टिकाऊ वस्तुओं से सम्बन्धित है । ये तीनों खण्ड व्यय अभिगम द्वारा शासित हैं । व्यय अभगम कहता है कि इन मदों का उपभोग उसी समय हो जाता है जब इन मदों (वस्तु या सेवा) पर व्यय किया जाता है । व्यय करने वाला परिवार उपभोक्ता परिवार है । भले ही उस मद का उपयोग उस परिवार द्वारा किया गया हो या नहीं ।

3.9.0.1 जब एक परिवार H एक मद उपहार या दान द्वारा या निःशुल्क संग्रह द्वारा प्राप्त करता है तो उस मद पर परिवार H द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जाता है ।

3.9.0.2 <u>जब एक परिवार W नियोक्ता से उसके द्वारा दी गई सेवा के बदले परिलब्धि के रुप में या एक परिवार अथवा उद्यम से वस्तु में भुगतान के रुप में एक मद प्राप्त करता है, तो परिलब्धि या वस्तु में भुगतान के रुप में प्राप्त मद पर W द्वारा एक व्यय किया हुआ माना जाता है ।</u> स्थानीय खुदरा मूल्य पर उस मद के मूल्य को W द्वारा किए गए व्यय की राशि माना जाता है । उदाहरण है : नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को मुफ्त में दिया गया आवास, समाचार-पत्र और टेलीफोन सुविधा और घरेलू खाते पर किया गया कोई व्यय जैसे कि चिकित्सा व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है । छुट्टी यात्रा रियायत (L.T.C.) परिलब्धियों का एक अन्य उदाहरण है ।

3.9.0.3 **उधार खरीद :** खंड 9, 10 या 11 की किसी मद की उधार खरीद के मामले में, संदर्भ अवधि के दौरान किया गया वास्तविक व्यय दर्ज किया जायेगा । यदि किसी पिछली उधार खरीद का भुगतान संदर्भ अवधि के दौरान किया गया है तो उस राशि को भी शामिल किया जायेगा । यदि परिवार द्वारा कई मदों की उधार खरीद के लिए एक मुश्त भुगतान किया गया है तो प्रत्येक मद के लिए उसके मूल्य के अनुपात में प्रभाजन किया जायेगा ।

3.9.0.4 जब एक परिवार H एक वस्तु नकद खरीद द्वारा लेता है तो उस पर किए गए खर्च का समय स्पष्ट है । चेक अथवा क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए भुगतान के मामले में परिवार द्वारा उसी क्षण व्यय किया गया माना जाता है जब चेक दिया गया (या डाक द्वारा भेजा गया) या विक्रेता को भुगतान के माध्यम के रुप में क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत किया गया ।

खण्ड 9 : शिक्षा और चिकित्सा (संस्थागत) वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय

3.9.1 अनुसूची प्ररूप-2 के लिए इस खण्ड में संदर्भ अवधि पिछले 365 दिनों की है । अनुसूची प्ररूप-1 के लिए सूचना दो संदर्भ अवधियों के लिए दर्ज की जायेंगी : ''पिछले 30 दिनों के लिए'' एवं ''पिछले 365 दिनों'' के लिए । इस खंड में, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा पर किये गये व्यय से सम्बंधित सूचना एकत्र की जायेगी । संस्थागत कोटि में गैर-सरकारी और सरकारी दोनों प्रकार की चिकित्सा संस्थाओं जैसे नर्सिंग-होम, अस्पताल आदि में एक अंतरंग रोगी के रूप में उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं के बदले किए गए भुगतान शामिल होंगे । अन्य सभी चिकित्सा व्यय गैर-संस्थागत कोटि के माने जायेंगे और उनको अलग से खंड 10 में दर्ज किया जायेगा ।

3.9.2 कालम (1) और (2) : इन दो कालमों में मद विवरण और मद संकेतांक छपे हुए हैं ।

3.9.3 कालम (3)/(4) : मूल्य (रु.) : इस खण्ड में अनुसूची प्ररूप-1 के लिए दो मूल्य कालम दो संदर्भ अवधियों के लिए होंगे, पर अनुसूची प्ररूप-2 के लिए एक होगा । व्यय में नकद और वस्तु रूप दोनों शामिल होंगे ।

3.9.4 मद 400-408 : शिक्षा : यह मद शिक्षा से संबंधित खर्चों को दर्ज करने के लिए है । इसमें शैक्षिक कार्यों के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं, समाचार-पत्र, पेंसिल आदि वस्तुओं की खरीद पर किए गये खर्च शामिल होंगे । इसमें शैक्षिक संस्थाओं (जैसे, स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय आदि) को दिये गये शिक्षा-शुल्क और शुल्क जैसे खेल-कूद शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, विकास शुल्क आदि और निजी शिक्षक को दिये गये भुगतान भी शामिल होंगे ।

3.9.5 दान : स्वैच्छिक रूप किसी धर्मार्थ संस्थान को दान की हुई राशि परिवारिक उपभोक्ता व्यय से अलग होगी । वास्तविक दान (स्वैच्छिक) हस्तांतरण भुगतान है एवं इसे अनुसूची के किसी भी भाग में दर्ज नहीं किया जायेगा । शैक्षिक संस्थानों द्वारा साधारणतः, भर्ती के समय अनिवार्य भुगतान और नियमित शुल्क लिया जाता है जिसे संस्थानों द्वारा ''दान(डोनेशन)'' कहा जाता है । ये सही तौर पर दान नहीं होते, क्योंकि ये स्वैच्छिक रूप से नहीं दिये जाते हैं । अतः इसे (मद-405) ''शिक्षा और अन्य शुल्क'' के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा । गरीब छात्रों की सहायतार्थ चंदे के रूप में विद्यार्थी द्वारा स्कूल को दिए गए अनियत भुगतान; यदि स्कूल द्वारा मांगा गया हो, को यहां शामिल नहीं किया जायेगा । यह शिक्षा के लिए प्रदत्त मूल्य का एक हिस्सा है और इसे अन्य शैक्षिक व्यय (मद-408)के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा

3.9.6 मद 400 और 401 : पुस्तकें, जर्नल : फस्ट हैण्ड और पुस्तकें, जर्नल आदि : सैकेण्ड-हैण्ड : ध्यान रहे कि सभी प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएँ, जर्नल आदि जैसे उपन्यास और अन्य कथा साहित्य इस मद के अंतर्गत शामिल किए जायेंगे । समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ जो सैकेण्ड-हैण्ड खरीदे गए हों उन्हें भी मद-401 में दर्ज किया जायेगा, इसे मद-402 में दर्ज नहीं किया जायेगा । अतः सभी प्रकार की सैकेण्ड-हैण्ड खरीदारी, जैसे पुस्तकें, जर्नल, समाचार-पत्र, और पत्रिकाओं की खरीद को मद-401 में दर्ज किया जायेगा ।

3.9.7 फोटोकॉपी का शुल्क : शिक्षा के लिए करायी गई फोटोकापी मद-404 में दर्ज की जायेगी । पिछले 30 दिनों के अन्य फोटोकापी शुल्कों को खंड-10, मद 491 में दर्ज किया जायेगा ।

3.9.8 मद 407 : शैक्षिक सी.डी. : इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सीडी, जो शिक्षा के लिए खरीदी या किराये पर ली गई हो को शामिल किया जायेगा ।

3.9.9 मद 408 : अन्य शैक्षिक व्यय : इसके अंतर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, इंटरनेट (टेलीफोन शुल्क को छोड़कर), संगीत, नृत्य, तैराकी स्कूल आदि, टाइपिंग, शॉर्टहैंड स्कूलों आदि के शुल्क और फिजियोथेरापी, नर्सिंग आदि के प्रशिक्षण पर हुए व्यय को शामिल किया जायेगा ।

3.9.10 माता पिता के परिवार से अध्ययन के लिए दूर रहने वाले एक बेटे या बेटी को माता-पिता द्वारा भेजी गयी राशि एक प्रेषित धन और इसकी प्रविष्टि माता-पिता के परिवार के नाम नहीं की जानी चाहिये, भले ही

माता-पिता को ज्ञात हो कि उस धन को कहां व्यय किया गया है । इसके अतिरिक्त इस दौर से एक होस्टल में रहने वाले एक बच्चे का शिक्षा शुल्क माता-पिता के परिवार के नाम दर्ज नहीं किया जाना है भले ही माता-पिता (या अभिभावक) द्वारा शैक्षिक संस्थान को सीधे भुगतान किया जाता हो । इनकी प्रवृष्टि विद्यार्थी के परिवार में की जानी है । परिवार से यह जानने के लिए उपर्युक्त प्रश्न पूछे जाने चाहिये कि क्या इसके द्वारा बताये गए शैक्षिक व्यय में एक गैर-पारिवारिक सदस्य के शिक्षा शुल्क पर किया गया कोई व्यय (नियमित आधार पर किया गया) शामिल है, जिससे ऐसे व्यय को छोड़ा जा सके । यह सामान्यतः शिक्षा के लिए अपनाये जाने वाले व्यय अभिगम का एक अपवाद है ।

3.9.11 मद 410-424 : **चिकित्सा (संस्थागत एवं गैर-संस्थागत) :** विभिन्न प्रकार की दवाओं और चिकित्सा वस्तुओं पर किए गये खर्च, डाक्टर, नर्स आदि को उनके व्यवसायिक शुल्क के रुप में दिये गये भुगतान और चिकित्सा के लिए अस्पताल, परिचर्या-गृह आदि को दिये गये भुगतान इस मद के अंतर्गत आते हैं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के औषधालयों से दवायें और चिकित्सा सेवायें प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनके द्वारा किये जा रहे मासिक अंशदान को दर्ज किया जायेगा । तथापि, यदि संदर्भ अवधि के दौरान कुछ दवायें या सेवायें बाहर से खरीदी गई हों तो उसे यहां शामिल किया जाना है, भले ही उस खर्च की प्रतिपूर्ति प्राप्त हो चुकी हो । ऊपर पैरा 3.9.1 में उल्लिखित संस्थागत और गैर-संस्थागत चिकित्सा खर्चों में अंतर इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह खर्च एक चिकित्सा संस्थान में अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा करवाने पर किया गया या दूसरे रूप में ।

3.9.12 निदान संबंधी जांच, एक्स-रे आदि पर किए गये खर्च मद 411 या 421 (एक्स-रे, ई.सी.जी., नैदानिक जांच आदि) में दर्ज किये जायेंगे । डॉक्टरी गर्भपात (एम.टी.पी.) पर व्यय को मद 414 या मद 424 में दर्ज किया जायेगा जो इस पर निर्भर करेगा कि डॉक्टरी गर्भपात के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरुरी था या नहीं ।
3.9.13 एम्बुलेंस का किराया इसी प्रकार मद 414 या 424 में दर्ज किया जायेगा । एम्बुलेंस के किराये के अलावे अन्य परिवहन शुल्कों को चिकित्सा व्यय न मानकर यात्रा व्यय माना जायेगा ।

3.9.14 चिकित्सा बीमा- प्रीमियम पर व्यय को उपभोक्ता व्यय नहीं माना जायेगा । दूसरी ओर, जब एक बीमा कंपनी द्वारा परिवार के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए दावे को निपटाने में प्रतिदर्श परिवार को (या ''नकद रहित'' प्रणाली के आधीन एक अस्पताल को सीधे) एक भुगतान किया जाता है तो वह राशि परिवार के चिकित्सा व्यय के रूप में मद-410 से 414 में दर्शायी जानी है । दूसरे शब्दों में, चिकित्सा वस्तुएं और सेवाएं जिन पर व्यय किया गया है, का मूल्य खण्ड-9 या खंड-10 में दर्ज किया जाएगा :-

- ➢ यदि इसका वहन स्वयं परिवार द्वारा किया गया है भले ही उसकी प्रतिपूर्ति नियोक्ता या बीमा कंपनी द्वारा की गई हो या न हो, या
- ➢ यदि नियोक्ता या बीमा कंपनी द्वारा सीधे अस्पताल को प्रदत्त किया गया हो ।

खंड 10 : पिछले 30 दिनों के दौरान चिकित्सा (गैर-संस्थागत), किराये और करों सहित विविध वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च

3.10.0 इस खण्ड में, विविध वस्तुएं एवं सेवाओं से संबंधित खरीद पर सर्वेक्षण तिथि से पिछले 30 दिनों के दौरान किये गये खर्च संबंधी सूचना एकत्र की जाएगी । यदि कुछ वस्तुयें उपहार में देने या हस्तांतरित करने के लिए खरीदी गईं, तो इसकी गणना देने वाले के खाते में की जायेगी न कि पाने वाले के ।

3.10.1 कालम (3) : मूल्य (रु.) : पूछताछ की तारीख से पिछले 30 दिनों के दौरान किसी मद पर किए गए खर्च की राशि इस कालम में दर्ज की जाएगी । खण्ड 9 की तरह ही, खर्च में नकद और वस्तु रूप दोनों शामिल किए जायेंगे । कुछ मदों के लिए, यद्यपि, एक भिन्न अभिगम अपनाया गया है । इस कोटि की मदों में ''टेलीफोन शुल्क : लैण्ड लाईन'' (मद-487), ''घर का किराया, गैरेज-किराया'' (मद-520), ''आवसीय भूमि का किराया'' (मद-522), ''पानी-शुल्क'' (मद-540), और ''अन्य उपभोग कर'' (मद-541) शामिल होंगे । इन मदों के लिए दर्ज की जाने वाली राशि, पिछली प्रदत्त राशि को महीनों की संख्या जिसके लिए राशि दी गई, से भाग

देकर निकाली जायेगी । **अतः पिछले 30 दिनों में कोई व्यय न हुआ हो, तो भी इन मदों में प्रविष्टियां धनात्मक हो सकती हैं ।**

3.10.2 मद 420 : **दवा (गैर-संस्थागत) :** पिछले दौर की तरह, दवा पर गैर-संस्थागत व्यय को मद-420 में दर्ज किया जायेगा, यह ध्यान में नहीं रखा जायेगा कि वह किस प्रकार की दवा है या किस चिकित्सा पद्धति से संबंधित है । ध्यान दिया जाये कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों से डाक्टर परामर्श और दवा, जो वे रोगी को देते हैं, दोनों के बदले एक समेकित राशि लेते हैं । ऐसे मामलों में, कुल राशि को मद 420 में दर्ज किया जायेगा ।

3.10.3 मद 423 : **परिवार नियोजन के साधन :** इसके अंतर्गत गर्भ-निरोधक, आई.यू.डी., खाने की गोलियाँ जैसे माला-डी, माला-एन आदि, डाइफ्राम, स्पर्मिसाइड (जेली, क्रीम, फोम गोलियां) आदि शामिल की जायेंगी ।

3.10.4 मद 430-438 : **मनोरंजन :** इसका तात्पर्य मनोरंजन एवं खेल-कूद से है । यहाँ उपभोग का तात्पर्य मनोरंजन प्रदान करने वाली मनोरंजन सेवाओं या वस्तुओं की खरीद से है । संभव है कि खेल-कूद या सिनेमा/वीडियो देखने जाने के लिए यात्रा और वाहन तथा नाश्ते पर भी कुछ व्यय हुआ हो । इस प्रकार के व्यय को इस मद समूह में शामिल नहीं किया जायेगा और इन्हें अनुसूची में इनके लिए अलग से दिए गए उपयुक्त कालमों में दर्ज किया जायेगा । छायाचित्र फिल्मों की धुलाई एवं प्रिंटिंग आदि पर हुए खर्च को मद 435 में दर्ज किया जायेगा । वी.सी.डी./डी.वी.डी. प्लेयर और कैसेट को किराए पर लेने के लिए किए गये खर्च को मद 436 में दर्ज किया जायेगा । किन्तु वीडियो शो देखने पर किए गए खर्च को मद 430 (सिनेमा, थियेटर) में दर्ज किया जायेगा । मद 433 (क्लब शुल्क) के लिए, पिछले किए गए भुगतान को जितने महीनों के लिए भुगतान किया गया उन महीनों की संख्या से भाग देकर ज्ञात राशि को दर्ज किया जायेगा । डिश एन्टेना, केबुल टी.वी. आदि सुविधाओं के उपभोग पर हुए खर्च को मद 437: अन्य मनोरंजन में शामिल किया जायेगा ।

3.10.5 मद 457 : **अन्य सौन्दर्य प्रसाधन :** इसमें कूलर परफ्यूम, बॉडी परफ्यूम, रुम परफ्यूम आदि शामिल किए जायेंगे ।

3.10.6 मद 467 : **धुलाई साबुन/सोडा :** इसमें कपड़ा धोने के साबुन - टिकिया के रुप में, पाउडर के रूप में और तरल रुप में - डिटरजैंट पाउडर और धोने का सोडा भी शामिल किया जायेगा ।

3.10.7 मद 468 : **धुलाई की अन्य वस्तुएँ :** इसमें ब्रश, बर्तन धोने का क्लीनर, स्टील वूल आदि शामिल किया जायेगा ।

3.10.8 मद 481 : **घरेलू नौकर/रसोइया :** घरेलू नौकर/रसोइया को दी गई मजदूरी इस मद में दर्ज की जायेगी । इसमें नकद और वस्तु रुपी दोनों भुगतान के मूल्य शामिल किये जायेंगे । (यह पिछले दौरों में दिये गये अनुदेशों से एक अलगाव है) । तथापि, परिवार में तैयार किया गया और घरेलू नौकर द्वारा उपभुक्त भोजन को संघटकों के नाम दर्ज किया जायेगा और उन्हें मद 481 में घरेलू नौकर/रसोइये को किये गये भुगतान के रूप में अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं है । जिन मदों का उपयोग एक घरेलू नौकर/रसोइये को भुगतान (वस्तु रूपी) के साधन के रूप में हुआ है जैसे वस्त्र और विविध वस्तु, की प्रविष्टि घरेलू नौकर/रसोइये के परिवार के खाते में की जायेगी नियोक्ता परिवार के खाते में नहीं ।

3.10.9 मद 482 : परिचारक : यह मद परिवार में एक बीमार सदस्य, या एक बच्चे, या एक वृद्ध व्यक्ति की देखभाल के लिए परिवार द्वारा रखे गये व्यक्तियों पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए है । तथापि, एक नर्स द्वारा दी गई चिकित्सकीय सेवा, भले ही वह सेवा परिवार के बीच रहकर की गई हो, को मद 424 (अन्य चिकित्सकीय व्यय) में दर्ज किया जायेगा । यदि एक व्यक्ति सामान्यतः घरेलू नौकर के कार्यों के साथ साथ एक परिचारक के कार्यों को भी करता है, तो उसे दिये गये भुगतान मद 482 में दर्ज किये जा सकते हैं ।

3.10.10 मद 483 : **नाई, ब्यूटिसियन आदि :** नाई, ब्यूटिसियन आदि की सेवाओं के लिए किया गया खर्च परिवार का उपभोक्ता खर्च माना जायेगा । नकद एवं वस्तु दोनों ही रुप में किए गए खर्च को इसमें शामिल किया जायेगा । ग्रामों में नाई की सेवा के लिए वस्तु-रुप में वार्षिक आधार पर शुल्क दिया जाता है । ऐसे मामलों में, वस्तु-रुप में किसी वर्ष के लिए कोई शुल्क यदि संदर्भ महीने के दौरान दिया गया है तो समग्र

भुगतान को स्थानीय खुदरा मूल्य के अनुसार ज्ञात करके दर्ज कर लिया जायेगा । इसके विपरीत यदि संदर्भ महीने के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया तो कोई भी खर्च दर्ज नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी : यदि एक प्रतिदर्श परिवार एक नाई की दुकान चला रहा है और परिवार का एक सदस्य उस सेवा का लाभ लेता है तो चालू दर के हिसाब से सेवा-शुल्क परिकलित कर के मद 483 के सामने दर्ज किया जायेगा ।

3.10.11 मद 487 : टेलीफोन शुल्क : लैण्ड लाइन : घर में स्थापित लैंड लाइन टेलीफोन के लिए, प्रदत्त अंतिम टेलीफोन-बिल की राशि को उसकी अवधि के महीनों से विभाजित किया जायेगा और प्राप्त भाग-फल (अर्थात् मासिक औसत शुल्क) को इस मद में दर्ज किया जायेगा, भले ही यह खर्च 30 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान न किया गया हो । टेलीफोन को स्थापना करने के लिए सिक्यूरिटि-जमा के रूप में किये गये व्यय को बाहर रखा जायेगा । नए टेलीफोन, जिसके लिए सर्वेक्षण की तारीख तक कोई शुल्क अदा नहीं किया गया है, से संबंधित मामलों को छोड़ दिया जाय । पर टेलीफोन विभाग को, स्थापना शुल्क, श्रमिक शुल्क, तार की रकम आदि का भुगतान इस मद में दर्ज किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, पिछले 30 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान, एस.टी.डी/पी.सी.ओ. बूथों पर या दूसरे लोगों के टेलीफोन द्वारा टेलीफोन करने पर हुए व्यय को इस मद में शामिल किया जायेगा ।

3.10.12 मद 488 : टेलीफोन शुल्क : मोबाइल : मोबाइल फोन के लिए, महीने में जो व्यय हुआ उसी को दर्ज किया जायेगा । पिछले अनुच्छेद में जो क्रियाविधि लैण्ड-लाईन के लिए अपनायी बतायी गई है, उसी का पालन यहां भी किया जायेगा । आंकड़ों के संग्रह को सरल बनाने के लिए, इस क्रियाविधि को इस दौर में अपनाया गया है । मोबाइल फोन (उपकरण) खरीदने पर हुए खर्च को इस मद में शामिल नहीं किया जायेगा । इसके बदले, इसे खंड-11 की मद 623 में शामिल किया जाएगा ।

3.10.13 मद 491 : विविध व्यय : इस मद में विविध व्यय शामिल किये जायेंगे जैसे रोजगार आदि के लिए आवेदन शुल्क, सोसाइटी और वैसे ही संगठनों के चंदे, और सामान्यतया इस खंड से संबंधित अन्य 'विविध' मद जो मदों की सूची में शामिल नहीं हैं । यदि पानी टैंकर, भारिक आदि से खरीदा जाता है तो उसके व्यय को भी यहां दर्ज किया जायेगा । इसमें ई-मेल शुल्क, फैक्स शुल्क, फोटो कॉपिंग शुल्क आदि भी शामिल किये जायेंगे । बीमा प्रीमियम भुगतान को दर्ज नहीं किया जायेगा ।

3.10.14 मद 493 : **कानूनी खर्च :** इसके अन्तर्गत वकील का शुल्क, कानूनी और न्यायालय के शुल्क आदि आयेंगे ।

3.10.15 मद 494 : **गैर-टिकाऊ वस्तुओं का मरम्मत-शुल्क :** विविध वस्तुओं में से किसी एक वस्तु, जिसका उपयोग उत्पादक उद्देश्यों में नहीं बल्कि घरेलू उपभोग की वस्तु के रुप में होता है, की मरम्मत के लिए किसी कारीगर को दिये गये सेवा शुल्क को यहां शामिल किया जायेगा ।

3.10.16 मद 495 : **पालतू पशु (पक्षी, मछली सहित) :** इस मद के अन्तर्गत पालतु पशुओं की खरीद एवं उनके पालन-पोषण पर किये गये खर्च आयेंगे । पालतु पशु में बिल्लियां, कुत्ते, खरगोश, बंदर, नेवला, पक्षी, मछली आदि शामिल हैं परंतु फार्म पशु या कुक्कुट नहीं । पालन-पोषण के खर्च में उनके भोजन का मूल्य, चिकित्सा खर्च आदि शामिल होंगे ।

3.10.17 मद 496 : यात्रा व्यय को छोड़कर अन्य उपभोक्ता सेवायें : यात्रा व्यय को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ता सेवायें यहां दर्ज की जायेंगी । उदाहरण निम्नलिखित हैं : (i) ड्राइवर, कोचवान, क्लीनर, मोची, लोहार, अकुशल श्रमिक आदि की सेवायें, (ii) सेकेंड-हैंड कार/स्कूटर की खरीद या बिक्री के लिए दलाल को दिया गया कमीशन, (iii) इलेक्ट्रिक/टेलीफोन लाइन के रीकनेक्शन का शुल्क ।

3.10.18 मद 500 - 513 : **परिवहन :** वायुयान, रेल, बस, ट्राम, स्टीमर, मोटर गाड़ी (या टैक्सी), मोटर साइकिल, ओटो रिक्सा, साईकिल, रिक्सा (हाथ वाला और साईकिल), बग्घी, बैलगाड़ी, ठेला, कुली या अन्य किसी भी परिवहन के साधन द्वारा की गई यात्रा और/या सामानों के परिवहन पर किये गये खर्च को उपयुक्त परिवहन मदों के सामने दर्ज किया जायेगा । यह खर्च वास्तविक रुप से चुकाया गया किराया होगा ।

पारिवारिक सदस्यों द्वारा सरकारी यात्राओं के एक हिस्से के रुप में की गई यात्रा को परिवार का उपभोक्ता व्यय नहीं माना जायेगा । परंतु कार्यालय जाने और आने की यात्राओं को शामिल किया जायेगा । छुट्टी-यात्रा रियायत आदि के अंतर्गत की गई यात्रा का खर्च शामिल किया जाना है ; भले ही उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा चुकी हो । स्वयं का वाहन होने पर पेट्रोल और डीजल की लागत क्रमशः मद 508 और मद 510 में दिखाई जायेगी जबकि अन्य ईंधन (पेट्रोल, ल्युब्रिकैंट और अन्य ईंधन जैसे सी एन जी आदि) का खर्च मद 511 में दर्ज किया जाना है । पशुचालित गाड़ी, जिनका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए होता है, के लिए पशु खुराक का खर्च मद 513 में दर्ज किया जायेगा । मद 501 (रेल किराया) के लिए, एक महीने से अधिक के लिए लागू अवधि-टिकट को अन्य रेल किराया से भिन्न माना जायेगा । परिवार द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान एक महीने से अधिक के लिए लागू अवधि-टिकट के मूल्य को टिकट की वैधता के महीनों की संख्या से भाग देकर दर्ज की जाने वाली राशि ज्ञात की जाएगी । अन्य सभी रेल किराया खर्च के लिए, संदर्भ अवधि के दौरान वास्तव में किए गए भुगतान को दर्ज किया जायेगा ।

3.10.19 मद 502 : बस/ट्राम का किराया : संदर्भ अवधि के दौरान सार्वजनिक/निजी/सरकारी बस/ट्राम में व्यक्तिगत यात्री के तौर पर हुए खर्च को यहाँ शामिल किया जायेगा । यदि प्रतिदर्श परिवार द्वारा मेहमानों को लाने के लिए बस भाड़े पर लिया गया है तो भाड़े के शुल्क को इस मद में शामिल नहीं किया जायेगा, बल्कि उसे मद 513 (अन्य परिवहन व्यय) में लिखा जायेगा ।

3.10.20 संदर्भ अवधि के दौरान अंशतः पारिवारिक उद्यम और अंशतः घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाये गये एक वाहन पर किये गये खर्च से प्रत्येक प्रकार के उपयोग के लिए की गई यात्रा के किलोमीटर के आधार पर खर्च को उचित अनुपात में बांट लिया जायेगा । यदि की गई यात्रा की दूरी की जानकारी उपलब्ध न हो तो उद्यम और घरेलू उद्देश्य के लिए उपयोग की अवधि, जैसे धंटे या दिनों की संख्या, के आधार पर खर्च को उचित अनुपात में बांट लिया जायेगा । यदि उद्यम या घरेलू कार्यों में वाहन के उपयोग के दिनों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी उपलब्ध न हो तो इसका निर्धारण "सामान्य उपयोग" के आधार पर किया जायेगा । "सामान्य" शब्द संदर्भ अवधि के बाद की एक अवधि को दर्शाता है ।

3.10.21 मद 520 : मकान किराया, गैरेज किराया (वास्तविक) : इस मद के अन्तर्गत आवासीय भवन का किराया और परिवार के नीजी वाहन के लिए गैरेज का किराया आता है । पिछली दी गई राशि को, जितने महीनों के लिए भुगतान किया गया उनकी संख्या से विभाजित करके प्राप्त भागफल यहाँ दर्ज किया जायेगा। सरकारी आवास का किराया वह राशि होगी जो प्रति माह कर्मचारी को मकान किराया भत्ता के रूप में नहीं दी जाती है (अर्थात् जब्त कर ली जाती है) और उसके वेतन से प्रति माह लाइसेंस शुल्क के रुप में जो राशि काटी जाती है । यदि नियोक्ता एक निजी क्षेत्र का फर्म है तो मकान किराये के आरोपण हेतु यही विधि अपनायी जायेगी । यहां, नियोक्ता द्वारा दिए गए आवास में रहने से कर्मचारी के वेतन से कटने वाली राशि के बारे में सूचक के निर्णय पर विश्वास करना आवश्यक है । मकान किराये पर लेते समय यदि कुछ राशि अग्रिम के रूप में दी गई थी, तो दिये गये अग्रिम में से जो आंशिक राशि प्रति माह कट जाती है उसे मकान किराया के रूप में प्रति माह दी जाने वाली वास्तविक राशि में जोड़ कर प्राप्त कुल राशि को मकान किराया के रूप में दर्ज किया जायेगा । सलामी/पगड़ी को अनुसूची में कहीं भी नहीं लिया जायेगा ।

3.10.22 एक आश्रित जो एक भिन्न परिवार बनाता है, को प्रेषक के परिवार से भेजा गया धन एक प्रेषित रुपया है और इसे प्रेषक परिवार के नाम दर्ज नहीं किया जाना चाहिये, भले ही उस धन को कहां खर्च किया गया है उसका पूर्ण विवरण प्रेषक के पास क्यों ना हो । इसके अतिरिक्त एक आश्रित जो कि एक गैर-पारिवारिक सदस्य है, के लिए नियमित रुप से प्रदत्त किराया, भुगतान करने वाले परिवार के नाम दर्ज नहीं किया जाना है भले ही उसका भुगतान सीधे मकान मालिक (एक छात्रावास में रहने वाले एक विद्यार्थी के मामले में छात्रावास प्राधिकारियों) को क्यों ना किया जाता हो । ऐसे व्यय को आवास का उपयोग करने वाले व्यक्ति के परिवार के नाम दर्ज किया जाना है । (उदाहारार्थ छात्रावास में एक विद्यार्थी के मामले में आवास के प्रभार मद 520 के सामने विद्यार्थी परिवार में दर्ज किए जाने हैं ।) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदर्श परिवार से यह प्रश्न पूछे जाने चाहिये कि क्या उसके द्वारा बताये गए किराया व्यय में एक गैर-पारिवारिक सदस्य के निवास के लिए किराए के रुप में किया गया कोई व्यय शामिल है, जिससे उस व्यय को घटाया जा सके । 64वें दौर से आरम्भ की गई यह क्रियाविधि सामान्यतः विविध वस्तुओं और सेवाओं के लिए अपनाये जाने वाले व्यय अभिगम

से एक अलगाव है । अतः एक किराये के आवास में रहने वाले एक परिवार (खण्ड-3, मद-18 में संकेतांक 2) के लिए खण्ड-10, मद-520 में प्रविष्टि धनात्मक होनी चाहिये ।

3.10.23 मद 521 : होटल वास शुल्क : इस मद में, परिवार के किसी सदस्य द्वारा एक होटल में ठहरने के लिए दिए गए वास शुल्क को दर्ज किया जायेगा । नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले यात्रा भत्ते के अधीन अधिकृत यात्राओं के दौरान होटल वास के व्यय को शामिल नहीं किया जायेगा ।

3.10.24 मद 522 : अन्य उपभोक्ता किराया : अनुष्ठानिक अवसरों पर ली गई उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे फर्नीचर, बिजली पंखा, चीनी मिट्टी के बर्तन, अन्य बर्तनों का किराया और की गई सजावट के खर्चों को यहां दर्ज किया जाना है । यदि कोई वस्तु मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर किराये पर ली गई हो तो ऐसी वस्तुओं के लिए पिछले किये गये भुगतान को, जितने महीनों के लिए भुगतान किया गया उनकी संख्या से विभाजित करके भागफल को यहाँ दर्ज किया जायेगा । ध्यान रहे कि प्रतिदर्श परिवार द्वारा किराये पर एक छकड़ा (फेरीवाली गाड़ी) लेकर उद्यम चलाने को यहां शामिल नहीं किया जायेगा । परन्तु सहकारी समिति आदि को रखरखाव के लिए दिये गये मासिक शुल्क इस मद में शामिल किये जायेगें ।

3.10.25 मद 539 : मकान किराया, गैरेज किराया (आकलित - केवल नगरीय) : यह मद उन नगरीय परिवारों के लिए भरा जायेगा जो या तो स्वयं के मकान में रह रहे हैं या कोई किराया दिये बगैर दखल किये हुए मकान में (इसमें नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया आवास शामिल नहीं होगा) । अन्यथा एक डैश (-) दर्ज किया जायेगा । मकान/गैरेज के किराये का आकलन आस-पास के क्षेत्र या इलाके के उसी प्रकार के अन्य मकानों के किराये की चालू दर के आधार पर किया जायेगा । एक परिवार के कब्जे में ऐसी आवासीय इकाई हो सकती है जो उसके स्वयं की या किराये की नहीं है । ऐसे मामलों में भी आकलित किराया ही दर्ज किया जायेगा ।

3.10.26 मद 540 : जल शुल्क : जल शुल्क के रुप में नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकाय को दिये गये पिछले भुगतान की राशि को उन महीनों की संख्या जिनके लिए भुगतान किया गया है, से विभाजित करके इस मद को भरा जायेगा । यदि जल टैंकरों आदि से खरीदा जाता है तो उस जल का पूर्णरुपेण पारिवारिक उपभोग होने पर भी किये गये खर्च को यहां दर्ज नहीं किया जायेगा बल्कि इसकी प्रविष्टि मद 492 में होगी ।

3.10.27 मद 541 : अन्य उपभोक्ता कर और उपकर : एक घरेलू उपभोक्ता के रुप में परिवार द्वारा कर और उपकर के भुगतान में किये गये खर्च को इस मद में दर्ज किया जायेगा । सड़क उपकर, चौकीदारी कर, नगरपालिका कर इसके कुछ उदाहरण हैं । उपभोक्ता लाइसेंस शुल्क भी शामिल किया जायेगा । उदाहरण के लिए अग्नेयास्त्र, वाहन आदि रखने के लिए दिये गये शुल्क । यद्यपी गृह-कर, संपत्ति के स्वामित्व पर आधारित एक प्रत्यक्ष कर है, फिर भी रा.प्र.स. की परंपरा के अनुसार उसे उपभोक्ता व्यय को इस मद में दर्ज किया जायेगा ।

3.10.27.1 कभी-कभी एक नया वाहन खरीदते समय, वाहन के पूर्ण जीवन के लिए रोड कर प्रदत्त किया जाता है । ऐसे मामलों में, संदर्भ अवधि के लिए समानुपाती कर की गणना पिछले प्रदत्त जीवन कर को वाहन के जीवन के महीनों से भाग देकर की जानी है । जीवन स्थानीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर मालूम कर लिया जायेगा । ऐसा न होने पर इसे 15 वर्ष (180 महीना) माना जायेगा । जो कर और उपकर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक/पंचवर्षीय आधार पर दए गए हैं उनके लिए पिछली दी गई राशि को कुल महीनों की संख्या से विभाजित करके प्रविष्टि निकाली जायेगी ।

टिप्पणी : व्यावसायिक कर और आय कर को उपभोक्ता व्यय के लेखा में नहीं लिया जायेगा ।

खण्ड 11 : घरेलू उपयोग के लिए टिकाऊ सामानों की खरीद और निर्माण (रखरखाव और मरम्मत सहित) पर किया गया व्यय

3.11.0 घरेलू उपयोग के लिए टिकाऊ वस्तुओं की खरीद तथा उनके निर्माण और मरम्मत हेतु कच्चे माल और सेवाओं की लागत पर किये गए व्यय को इस खंड में एकत्र किया जायेगा । व्यय में नकद और वस्तु रूपी दोनों शामिल होंगे । खरीद में फर्स्ट हैंड और सैकेण्ड-हैंड दोनों प्रकार की खरीदें शामिल होंगी और उन्हें इस खंड के भिन्न कालमों में दर्ज किया जायेगा । इस खंड में, एक खरीद को विचार योग्य तभी माना जायेगा, जब खरीद

पर कुछ व्यय - चाहे नकद या वस्तु में - संदर्भ अवधि के दौरान किया गया हो । उपहार देने या हस्तांतरण के लिए टिकाऊ वस्तुओं की खरीद पर किये गए व्यय को देने वाले परिवार के नाम दर्ज किया जायेगा, न कि पाने वाले के । इस खण्ड की किसी भी मद की उधार/किराया-खरीद के मामले में संदर्भ अवधि के दौरान किये गए वास्तविक व्यय को दर्ज किया जायेगा (देखें पैरा 3.9.0.3 और 3.9.0.4)। निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें ।

1. किराया खरीद, उसे कहते हैं जब विक्रेता भुगतान को किस्तों में लेने के लिए तैयार होता है । किराया खरीद के मामलों में, उसी भुगतान को व्यय हुआ माना जायेगा, जो संदर्भ अवधि के दौरान व्यय किया गया हो ।
2. किराया खरीद में विक्रेता के अलावे किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम द्वारा एक ऋण के रूप में पूरी तरह वित्त पोषित खरीद (जैसे एक कार की खरीद) के मामले शामिल नहीं होंगे, जहां विक्रेता को पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है । यहाँ परिवार द्वारा उपभोक्ता व्यय एक बार में ही किया हुआ माना जायेगा, न कि किस्तों में - विक्रेता को वस्तु के पूरे खरीद मूल्य का भुगतान करने के कारण वित्पोषक से मूलधन उधार लिया जाता है । यह भुगतान (विक्रेता को भुगतान) खरीदी गई वस्तु के आने से पहले किया जाता है, क्रेता के हाथ में बाद में नहीं । दूसरी ओर, वित्तपोषक को, ऋण का पुनर्भुगतान किस्तों में कई महीनों या सालों तक चलता रहता है । उपभोक्ता व्यय को दर्ज करने के लिए वित्त पोषक को ऋण के पुनर्भुगतान का कोई संबंध नहीं है । संदर्भ अवधि के दौरान उपभोक्ता व्यय को दर्ज करने के समय, ऋण के पुनर्भुगतान और उपभोक्ता व्यय के बीच भ्रमित नहीं होना है ।
3. वस्तु को खरीदते समय ही परिवार को वस्तु मिली या नहीं इसका महत्व नहीं है । यदि प्रतिदर्श परिवार ने संदर्भ अवधि के दौरान एक परिसम्पत्ति की खरीद पर कुछ व्यय किया है तो किये गये व्यय को इस खंड में लिया जायेगा, भले ही परिवार ने सर्वेक्षण तिथि तक उस परिसम्पत्ति का कब्जा प्राप्त न किया हो । इसी प्रकार मान लें, एक प्रतिदर्श परिवार ने संदर्भ अवधि के दौरान एक परिसम्पत्ति (टिकाऊ सामान) खरीदा और वह परिसम्पत्ति परिवार के कब्जे में पायी गई, पर संदर्भ अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया । ऐसी खरीदों को नहीं शामिल किया जायेगा ।
4. परिवार द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदों को भी शामिल किया जायेगा ।
5. मान लें घरेलू उपयोग हेतु संदर्भ अवधि के दौरान खरीदी गई एक परिसम्पत्ति संदर्भ अवधि के दौरान ही बेच दी जाती है । ऐसी एक खरीद को भी दर्ज किया जायेगा ।

3.11.0.1 खंड 7, 8 और 9 की तरह, खंड-11 में अनुसूची प्ररूप-2 में संदर्भ अवधि पिछले 365 दिनों की है एक अनुसूची प्ररूप-1 में दोहरी संदर्भ अवधि- पिछले 365 दिनों की और पिछले 30 दिनों की है । इस के परिणाम स्वरूप खंड-11, अनुसूची प्ररूप-1 में अनुसूची प्ररूप-2 की तुलना में कई अतिरिक्त कालम हैं ।

3.11.1 कालम (1) और (2) : खंड के इन कालमों में मदों के तीन-अंकीय संकेतांक और उनके नाम पहले से ही छपे हुए हैं ।

3.11.2 कालम (3) : सर्वेक्षण तिथि को क्या वस्तु कब्जे में थी : इस प्रश्न के उत्तर में, बेकार हो गई या परित्याग की जाने लायक वस्तुओं पर विचार नहीं किया जायेगा । पर वे वस्तुएं शामिल होंगी, जो अभी तो खराब हैं पर आवश्यक मरम्मत के पश्चात, जिनके काम में लिया जा सकता है । ऐसी वस्तुओं को परिवार के ''कब्जे'' में कहा जायेगा । संकेतांक (1) दिया जायेगा, यदि वस्तु कब्जे में है और अन्यथा संकेतांक 2 दिया जायेगा । यदि कोइ संबंधित कक्ष छायांकित किया गया है तो उसका अर्थ है कालम (3) भरने की आवश्यकता नहीं है ।

3.11.3 कालम (4) : (और अनुसूची प्ररूप 1 में कालम (10)) नयी खरीद (फर्स्ट हैंड) : खरीदों की संख्या सभी नयी (फर्स्ट हैंड) खरीदी गयी प्रत्येक टिकाऊ वस्तु की संख्या इस कालम में दर्ज की जायेगी, जिन पर संदर्भ अवधि में व्यय किया गया है । तथापि, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुयें खरीदने के लिए लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान को वहन किया गया उपभोक्ता व्यय नहीं मानना है ।

3.11.4 कालम (5) (और अनुसूची प्ररूप 1 में कालम (11) : क्या किराया खरीद की गई : यदि विक्रेता किस्तों में भुगतान लेना स्वीकार करता है तो उस खरीद को किराया खरीद कहा जायेगा । ऋण द्वारा पोषित

खरीदारी (जैसा कि कार की खरीद में प्रायः होता है) किराया खरीद का मामला नहीं पर एक तत्काल खरीद का मामला है ।

3.11.5 कालम (6) (और अनुसूची प्ररूप 1 में कालम (12) फर्स्ट हैंड खरीद : मूल्य : संदर्भ अवधि के दौरान नई वस्तु की खरीद के मूल्य को इस कालम में दर्ज किया जायेगा । किराया खरीद के मामले में, केवल संदर्भ अवधि में विक्रेता को दिये गये भुगतान पर ही विचार किया जायेगा । ऋण द्वारा खरीद के मामले में, संदर्भ अवधि के दौरान यदि परिवार को विक्रेता ने पूरा कब्जा दे दिया है तो टिकाऊ वस्तु का पूर्ण बाजार मूल्य दर्ज किया जायेगा, अन्यथा कुछ भी दर्ज नहीं किया जायेगा । बैंक/वित्तपोषक को किया गया पुनर्भुगतान यहाँ दर्ज नहीं किया जायेगा ।

3.11.6 कालम (7) (और अनुसूची प्ररूप 1 में कालम (13) निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए कच्चे माल और सेवाओं की लागत : इस कालम में नयी खरीदी गई और पुरानी (सेकेंड हैंड) खरीदी गई सभी टिकाऊ वस्तुओं के निर्माण संयोजन, मरम्मत और रखरखाव के लिए कच्चे-माल और सेवाओं पर हुए खर्च दर्ज किये जायेंगे । निर्मित टिकाऊ वस्तुओं के मूल्य में कच्चे माल का मूल्य, सेवायें एवं/अथवा पारिश्रमिक और अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क शामिल किये जायेंगे । कच्चे माल, सेवाओं और मजदूरी का कुल मूल्य इस खण्ड में दर्ज किया जायेगा । यहां पुरानी (सेकेंड हैंड) खरीदी गई मदों की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च को भी दर्ज किया जायेगा ।

टिप्पणी : 1. अपने घरेलू उपयोग के लिए कारीगर द्वारा बनाई गई अथवा मरम्मत की गई उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु का क्रय मूल्य, प्रयुक्त कच्चे माल का मूल्य एवं विनिर्माण/मरम्मत के लिए उसके द्वारा लगाए गए श्रम के आकलित मूल्य का कुल योग होगा ।

2. यदि संदर्भ अवधि के दौरान किसी सामान की मरम्मत प्रतिदर्श परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा की गई है तो मरम्मत शुल्क को आकलित कर उचित मदों के सामने केवल तभी दर्ज किया जायेगा जब परिवार का वह सदस्य उस मरम्मत के काम के लिए पेशेवर है ।

3.11.7 कालम (14) (प्ररूप-1)/कालम (8) (प्ररूप-2) : सैकेण्ड-हैण्ड खरीद : खरीदों की संख्या : इस कालम में, संदर्भ अवधि के दौरान खरीदी गई पुरानी (सेकेंड हैंड) टिकाऊ वस्तुओं की संख्या दर्ज की जायेगी । आयात की गई एक पुरानी टिकाऊ वस्तु नई (फर्स्ट हैंड) खरीद मानी जायेगी और उसकी प्रविष्टि संबंधित कालमों में की जायेगी ।

3.11.8 कालम (8) और (15) (प्ररूप-1)/कालम (9) (प्ररूप-2) : सैकेण्ड-हैण्ड खरीद : मूल्य : संदर्भ अवधि के दौरान पुरानी (सेकेंड हैंड) खरीद के मूल्य को इस कालम में दर्ज किया जायेगा ।

3.11.9 कालम (9) और (16) (प्ररूप-1)/कालम (10) (प्ररूप-2) : कुल व्यय : यह नयी(फर्स्ट हैंड) खरीद, निर्माण और मरम्मत के लिए कच्चे माल और सेवाओं की लागत तथा पुरानी खरीद के मूल्य का योग होगा ।

अनुसूची प्ररूप-1 में, कालम (9) = कालम (6) + कालम (7) + कालम (8) ।

कालम (16) = कालम (12) + कालम (13) + कालम (15) ।

अनुसूची प्ररूप-2 में, कालम (10) = कालम (6) + कालम (7) + कालम (9) ।

3.11.10 मद 550 : चारपाई : भारत में इसे सामान्यतः "चारपाई या खाट" कहा जाता है । यह लकड़ी या धातु की बनी एक संरचना है जिस पर गद्दा या बिछावन बिछाया जाता है । इसकी सतह नारियल की रस्सी या नायलोन की बनी हो सकती है । इस मद में फोल्डिंग कॉट शामिल की जाएंगी, परन्तु बेबी कॉट या पेराम्बूलेटर नहीं ।

3.11.11 मद 551 : अलमारी, ड्रेसिंग टेबिल : पूरे आकार की आलमारी इस मद में शामिल की जायेगी ।

3.11.12 मद 554 : फोम, रबड़ का गद्दा (डनलपीलो प्रकार का) : केवल फोम का गद्दा (कुशन) ही शामिल किया जायगा । रुई या नारियल आदि से बने गद्दे इसमें शामिल नहीं होंगे बल्कि ये खण्ड 7 (मद 382 : तकिया, रजाई, गद्दों) के अन्तर्गत आयेंगे ।

3.11.13 मद 555 : कालीन, दरी और अन्य फर्श-चटाइयां : इसमें कालीन, दरी और अन्य फर्श-चटाइयां जो ज्यादातर निश्चित स्थिति में ही बिछी रहती हैं, को शामिल किया जायेगा । पायदान, केवल एक व्यक्ति के

बैठने में उपयोग की जानेवाली चटाई और अन्य छोटी चटाइयां इसमें शामिल नहीं की जायेंगी । वे 'चट्ट और चटाइयां' (खण्ड 7) (मद-385) के अन्तर्गत आयेंगी ।

3.11.14 मद 557 : अन्य फर्नीचर और फिक्सचर्स (कोच, सोफा, आदि) : कमर तक की ऊंचाई वाली (साधारणतः लकड़ी की) अलमारी पर इस मद के लिए विचार किया जायेगा । रसोई की अलमारी (कप-बोर्ड) (स्वतंत्र रुप से खड़ी हुई), पूर्ण सोफा-सेट भी इसमें शामिल किया जायेगा ।

3.11.15 मद 560 : रेडियो, टू-इन-वन : इसमें ट्रांजिस्टर रेडियो शामिल होंगे । इसमें रेडियो सहित टेप-रिकार्डर (टू-इन-वन) भी शामिल होंगे । केवल रेट रिकार्डर (बिना रेडियो की सुविधा के साथ) को मद-566: मनोरंजन के अन्य साधन के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा ।

3.11.16 मद 566 : मनोरंजन के अन्य साधन : इस मद के अंतर्गत डिश एन्टिना, विडीयो गेम्स, आदि शामिल किए जायेंगे । इसके अंतर्गत टेप-रिकार्डर बिना रेडियो की सुविधा के साथ को भी शामिल किया जायेगा । खेल-कूद के सामान और खिलौनों को यहाँ शामिल नहीं किया जायेगा । बल्कि उन्हें खण्ड-10 की मद-432 में रखा जायेगा ।

3.11.17 मद 582 : लालटेन, लैंप, विद्युत् लैंपशेड : इसमें विद्युत् लैंप शामिल नहीं किये जायेंगे ।

3.11.18 मद 583 : सिलाई मशीन : इसमें मुख्यतः पारिवारिक उद्यम के उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाली मशीनें शामिल नहीं की जाएंगी ।

3.11.19 मद 588 : जल शोधक : इसमें 'एक्वागार्ड' प्रकार के (फिल्टरेशन सह रेडियेशन) शोधक के साथ-साथ पुराने 'फिल्टर कैंडल' (केवल फिल्टरेशन) प्रकार के शोधक भी शामिल किये जायेंगे । इसमें राल (रेसिन) आधारित शोधक भी शामिल किये जायेंगे ।

3.11.20 मद 590 : बिजली की इस्तरी, हीटर, टोस्टर, ओवन और अन्य बिजली द्वारा गरमी देने वाले उपस्कर : गीजर को इस मद में शामिल किया जायेगा ।

3.11.21 मद 591 : अन्य पकाने/घरेलू उपकरण : इसमें आईस-क्रीम बनाने वाली मशीन, मिक्सर-ग्राईंडर, जूसर, माइक्रो-ओवन, वैक्यूम क्लीनर, पानी फिल्टर करने का विद्युत् उपकरण आदि शामिल किये जायेंगे ।

3.11.22 मद 603 : टायर और ट्यूब : गाड़ियों में बदल कर लगाने के लिए खरीदे गये सभी टायर और ट्यूब इसमें शामिल किये जायेंगे । यदि टायर और ट्यूब की केवल मरम्मत की गई है तो मरम्मत पर हुआ खर्च इस मद के कालम (7)/(13) में दर्ज किया जायेगा । परंतु यदि गाड़ी की मरम्मत के साथ टायर और ट्यूब की भी मरम्मत करवायी गई है तो उसके खर्च को कालम (7)/(13) में सूचीकृत मद के अनुसार दर्ज किया जायेगा ।

3.11.23 मद 604 : अन्य परिवहन उपस्कर : इस मद के अंतर्गत सभी परिवहन उपस्कर शामिल किए जायेंगे जो मद-600-602 में नहीं है । हाथ एवं साईकिल से खींचे जाने वाले वैन भी शामिल किए जायेंगे । पालतू पशु जैसे घोड़े, बैल इत्यादि और वाहन जैसे घोड़ा-गाड़ी, बैल-गाड़ी आदि जब पूर्ण रूप से अनुत्पादक घरेलू उद्देश्यों के लिए काम में लाये गए हैं तो उन्हें इस मद में शामिल किया जाना चाहिए । इन पशुओं के रखरखाव के खर्च को कालम (7)/(13) में दर्ज किया जायेगा । जब इन पशुओं और वाहनों का उपयोग पारिवारिक उद्यम और घरेलू कार्य दोनों के लिए किया गया है, तो बाद वाले प्रयोजन के आरोप्य हिस्से पर ही, खरीद का मूल्य दर्ज करने के लिए, विचार किया जायेगा ।

3.11.24 मद 622 : पी सी / लैप-टॉप / अन्य सामग्री, सॉफ्टवेयर : इस दौर में सॉफ्टवेयर की खरीदारी को इस मद में शामिल किया गया है ।

3.11.25 मद 632 : आवासीय भवन एवं भूमि (सिर्फ मरम्मत की लागत) : ध्यान रखा जाए कि आवासीय भवन और भूमि की खरीद, चाहे वह फर्स्ट हैंड खरीद हो या सेकंड हैंड, इस खण्ड में दर्ज नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ऐसी खरीदों को भूसम्पत्ति पर पूँजीगत खर्च माना जाता है । संदर्भ अवधि के दौरान आवासीय इकाई की

(केवल) मरम्मत तथा रखरखाव पर परिवार द्वारा किए गए कुल खर्च को ही इस मद के अन्तर्गत दर्ज किया जायेगा ।

3.11.26 मद 640 : सोने के गहनें : यदि सोने के गहनों की खरीदारी सोना एवं कुछ नकद के बदले की गई हो तो, केवल नकद भुगतान को ही लेखा में लिया जायेगा । पर यदि सोने की खरीदारी नकद में या नकद और वस्तु (सोने के अलावा) के बदले की गई है, तो नकद/नकद और वस्तु के कुल मूल्य को लेखा में लिया जायेगा ।

नोट : कई टिकाऊ वस्तुएँ जैसे :- टी.वी., फ्रिज आदि के लिए परिवार 'विनिमय योजना' का लाभ उठाते हैं जिसके अंतर्गत परिवार अपने पुराने उपयोग किए हुए टी.वी. को कंपनी को दे देते हैं एवं नई टिकाऊ वस्तु प्राप्त करते हैं जो बाजार-दर से कम मूल्य पर होता है । ऐसे सौदे में पारिवारिक व्यय के अंतर्गत नई टिकाऊ वस्तु के बाजार मूल्य (कम मूल्य नहीं) को दर्ज किया जायेगा । व्यय कुछ नकद और कुछ वस्तु के रूप में हुआ है ऐसा माना जायेगा । यह नोट किया जाए कि पिछले पैरा में, सोने के गहने खरीदने के लिए जिस अभिगम का पालन किया गया है अर्थात् सोने एवं कुछ नकद के बदले खरीदारी वह एक विशेष मामला है, जिसे विनमय-योजना के समान नहीं माना जायेगा ।

3.11.27 उप जोड़ मद 559, 569, 579, 599, 609, 619, 629, 639, 649 : संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू उपयोग के लिए टिकाऊ वस्तुओं की खरीद, निर्माण एवं मरम्मत पर किए गए खर्च इन कालमों में दर्ज किए जायेंगे । प्रत्येक कालम (6)-(9), (12)-(13) और (15)-(16) में प्रत्येक उप जोड़ मद की प्रविष्टि अनुरूपी संघटक मदों के कालम की प्रविष्टियों को जोड़कर ज्ञात की जायेगी ।

3.11.28 मद 659 : टिकाऊ वस्तुयें : कुल : परिवार द्वारा टिकाऊ वस्तुओं की खरीद, निर्माण एवं मरम्मत पर किए गए कुल खर्च को इस मद के अन्तर्गत दर्ज किया जायेगा । इस मद के अन्तर्गत (6)-(9), (12)-(13) और (15)-(16) प्रत्येक कालम की प्रविष्टि खंड की उप जोड़ मदों के सामने सभी प्रविष्टियों को जोड़कर निकाली जायेगी ।

खंड 12 : उपभोक्ता व्यय का सारांश

3.12.0 इस खंड का उद्देश्य 3. दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का मान निकालना है । इस खंड की अधिकांश प्रविष्टियाँ खंड-5.1 से 11 द्वारा स्थानांतरित होंगी । स्थानांतरणों के संदर्भ कालम (3) से (5) में दिये गए हैं ।

3.12.1 अनुसूची प्ररूप-1 में खंड-12 मासिक प्रति-व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (मा.प्र.उ.व्य) के दो मापों का अभिकलन प्रदान करता है । एक तो मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय की समान संदर्भ अवधि माप है, जो सभी मदों के लिए 30 दिनों की संदर्भ अवधि के लिए एकत्र किये गये आंकड़ों पर आधारित होती है । दूसरी मा.प्र.उ.व्य. की मिश्र संदर्भ अवधि माप है जो जहां कहीं उपलब्ध हो 365 दिनों की संदर्भ अवधि के अन्यथा अन्य मदों के लिए 30 दिनों की संदर्भ अवधि के आंकड़ों पर आधारित होता है । मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के दो मान निकाले जाने हैं और उनको क्रमशः क्रम सं. 47 और 48 में दर्ज करना है ।

3.12.2 अनुसूची प्ररूप-2, जो एक ''एक मद, एक संदर्भ अवधि'' अनुसूची है में केवल एक मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय माप संभव है । इसकी गणनना खंड-12 में की जायेगी और क्रम सं. 42 में दिखायी जायेगी ।

3.12.3 स्थानांतर प्रविष्टियाँ : अनुसूची प्ररूप-1 में, खंड-12 क्रम सं. 1-26, 28-33, 35-40 और 45-46 की प्रविष्टियाँ खंड-5.1 से 11 के स्थानांतरण द्वारा की जायेंगी । स्थानांतरण के संदर्भ कालम (3) से (5) में प्रस्तुत किए गये हैं । अनुसूची प्ररूप-2 में, खंड-12 की क्रम सं. 1-6, 8-17, 20-29, 31-36 और 40-41 की प्रविष्टियाँ स्थानांतरण प्रविष्टियाँ होंगी ।

3.12.4 उप-जोड़ : अनुसूची प्ररूप-1 में, क्रम सं. 27, 34 और 41 की प्रविष्टियाँ उप-जोड़ होंगी । अनुसूची प्ररूप-2 में क्रम सं. 7, 18, 30 और 37 की प्रविष्टियाँ उप-जोड़ होंगी ।

3.12.5 रूपांतरण प्रविष्टियाँ : अनुसूची प्ररूप-1 में, क्रम सं. 42 की प्रविष्टि के लिए क्रम सं. 41 की प्रविष्टि 365 दिनों के लिए है, 30/365 से गुणा करके 30 दिनों के आंकड़ा प्राप्त किया जायेगा और उसे दर्ज किया जायेगा । अनुसूची प्ररूप-2 में, क्रम सं. 18 और 37 की प्रविष्टियाँ जो क्रमशः 7 दिनों और 365 दिनों के आंकड़े हैं, को 30 दिनों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपयुक्त गुणको से गुणा किया जायेगा एवं क्रम सं. 19 और 38 में प्रविष्टियाँ दर्ज की जायेंगी ।

3.12.6 अनुसूची प्ररूप-1 में कुल मासिक पारिवारिक उपभोक्ता व्यय को प्राप्त करने के लिए
1) समान संदर्भ अवधि माप के लिए क्रम सं. 27 और 34 को जोड़ा जायेगा, और
2) मिश्र संदर्भ अवधि मान के लिए क्रम सं. 27 और 42 को जोड़ा जायेगा ।

अनुसूची प्ररूप-2 में, कुल मासिक पारिवारिक उपभोक्ता व्यय को प्राप्त करने के लिए क्रम सं. 7, 19, 30 और 38 की प्रविष्टियों को जोड़ा जायेगा ।

3.12.7 अंत में पारिवारिक आकार से भाग देकर अनुसूची प्ररूप-1 से मासिक प्रति-व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के दो माप प्राप्त होंगे एवं अनुसूची प्ररूप-2 से मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय एक माप प्राप्त होगा ।

खंड-13 : (केवल अनुसूची प्ररूप-2) : खाद्य पर्याप्तता के संबंध में परिवार की अनुभूति

यह खंड केवल अनुसूची प्ररूप 2 में दिया गया है । पूर्व के सभी खंडों पर पूछताछ पूरी हो जाने के बाद इसे भरा जायेगा । यह कथन ''दो वक्त की रोटी मिल जाती है'' - जो आम तौर पर प्रयोग किया जाता है, से यह सूचित होता है कि व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त खाद्य है । खाद्य पर्याप्तता के संबंध में परिवार की अनुभूति जानने के लिए यह प्रश्न किया जाता है । सूचक को यह प्रश्न करते समय, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूचक को इस विषय में सही ज्ञान है । इसके अर्थ को समझाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं अनेक मुहावरें हैं । अतः क्षेत्रीय भाषा में उचित प्रश्न करके सूचक द्वारा दिए गए उत्तर को उचित संकेतांक द्वारा दर्ज करना है ।

3.13.1 इस विषय को ध्यान में रखना है कि इस तरह के प्रश्न करने पर सूचक को किसी तरह से कोई ठेस न पहुँचे । यह प्रश्न उन लोगों से नहीं पूछना चाहिए जिनके उपभोग आंकड़े यह संकेत करते हैं कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाद्य है । यह प्रश्न ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों से नहीं पूछना चाहिए जो द्वितीय चरण स्तर के हैं :- अर्थात् जो अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार के हैं एवं शहरी क्षेत्र में जिन परिवारों का मा.प्र.उ.व्य > B हो या जिनके लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक मापदंड उपयुक्त बैठते हैं :-

1. यदि परिवार किसी ऐसे भवन में निवास करता हो जो किसी संस्थान/सरकार से कम दामों वाली आवास योजना में/दान में नहीं मिला हो ।
2. यदि परिवार के पास मोटर साइकिल/स्कूटर या कार या फ्रिज या रंगीन टी.वी. हो या वह बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करता हो ।

3.13.2 ऐसी अवधियों के लिए, जब धार्मिक या सामाजिक कारणों के कारण जैसे रमजान के महीने आदि में, लोग दो जून रोटी नहीं खाते, उन अवधियों में यह नहीं माना जायेगा कि उनके पास पर्याप्त खाद्य नहीं था ।

3.13.3 मद-1 : क्या परिवार के सभी सदस्यों को प्रति दिन दो वक्त की रोटी मिल जाती है ?: मद-1 में, यदि यह सूचना मिलती है कि परिवार के सदस्यों को पूरे साल भर दो वक्त की रोटी मिल जाती है तो, इस खंड के खाने में संकेतांक '1' दर्ज किया जायेगा । यदि साल के कुछ एक महीनों में ही पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होता है तो संकेतांक '2' दर्ज किया जायेगा । एवं संकेतांक '3' उन परिवारों के लिए दर्ज किया जायेगा जिनके सदस्यों को प्रायः दो वक्त की रोटी प्राप्त नहीं होती । यहाँ सर्वेक्षण तिथि के पिछले 12 महीनों के संदर्भ अवधि होगी ।

3.13.4 मद-2 : यदि मद-1 में संकेतांक 2 हो, साल के किन महीनों में परिवार के सदस्यों को दो वक्त की रोटी प्राप्त नहीं हुई ? : यदि मद-1 में संकेतांक 2 दर्ज किया गया हो, अर्थात् साल के कुछ महीनों में ही सदस्यों को पर्याप्त खाना प्राप्त होता है, तो साल के उन महीनों को जिनमें परिवार के सभी सदस्यों को प्रतिदिन दो वक्त की रोटी प्राप्त नहीं हुई मद 2 में दिये गये कोष्टकों में संकेतांक द्वारा दर्ज किया जायेगा । उदाहरण के

तौर पर, संदर्भ अवधि के दौरान यदि परिवार के सभी सदस्यों को जनवरी एवं मार्च महीनों में दो वक्त की रोटी प्राप्त नहीं हुई है तो खंड की मद-2 के 12 कोष्टकों के प्रथम 2 कोष्टकों में 01 और 03 दर्ज किया जायेगा ।

3.13.5 मद-3 : क्या मद-1 में प्राप्त सूचना वास्तव में सूचक के प्राप्त की गई ? : मद 1 में दर्ज करने के लिए, यदि अन्वेषक ने सही तौर पर संबंधित प्रश्न सूचक से पूछा एवं उससे उत्तर प्राप्त किए तो मद-3 में संकेतांक 1 दर्ज किया जायेगा । अन्यथा, यदि वह अनुसूची की अन्य प्रविष्टियों से मद-1 का निष्कर्ष निकलता है और सूचक से सीधे नहीं पूछता तो, मद-3 में संकेतांक 2 दर्ज किया जायेगा ।

खंड-13/14 : अन्वेषक की अभ्युक्ति

3.14.0 इस खंड को अनुसूची प्ररूप-1 में 13 से और अनुसूची प्ररूप-2 में 14 से संख्यांकित किया गया है । ऐसी कोई भी अभियुक्ति जो परिवार के उपभोग प्रतिरूप की किसी विशेषता अथवा परिवार की किसी भी अन्य विशेषता की व्याख्या के लिए आवश्यक हो, यहाँ लिखी जाएगी । ऐसी अभ्युक्तियों से अनुसूची के विभिन्न खंडों में दर्ज की गई प्रविष्टियों, विशेषकर जब कोई प्रविष्टि बहुत अधिक अथवा बहुत कम हो, को समझाने में सहायता मिलेगी ।

खंड 14/15 पर्यवेक्षी अधिकारियों की टिप्पणियाँ

इस खंड को अनुसूची प्ररूप-1 में 14 से और अनुसूची प्ररूप-2 में 15 से संख्यांकित किया गया है । परिवार से संबंधित किसी भी पहलू अथवा परिवार के उपभोग प्रतिरूप की किसी भी परिलक्षित विशेषता के संबंध में पर्यवेक्षी अधिकारियों को अपनी टिप्पणियाँ यहाँ दर्ज करनी चाहिए ।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उसके उत्तर अनुसूची 1.0

क्रम सं.	खंड	विषय	प्रश्न	अन्तर
1	2	3	4	5
1.	सामान्य	निर्वाह धन	तलाक होने के कारण, एक व्यक्ति को अपनी पूर्व पत्नी को निर्धारित मासिक राशि देनी होती है । इसे क्या अनुसूची 1.0 में दर्ज किया जायेगा **?**	नहीं यह उपभोक्ता व्यय नहीं है ।
2.	सामान्य	सट्टा	क्या सट्टा एवं लॉटरी में खर्च की गयी राशि, उपभोक्ता व्यय मानी जायेंगी **?**	नहीं ।
3.	सामान्य	जुर्माना	गाड़ी का बीमा न होने या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र न होने पर दिया जाने वाला जुर्माना क्या यहां दर्ज किया जायेगा **?**	इन्हें इस अनुसूची में शामिल नहीं किया जायेगा ।
4.	3	रा. औ. व. संकेतांक	रेवले द्वारा एक स्कुल चलाया गया है । उस स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों का रा. औ. व. संकेतांक क्या होगा **?**	केवल कार्य कलाप सम्बन्ध है न की स्वामित्व । अतः शिक्षा कार्यकलाप से संबंधित संकेतांक दर्ज करना है ।
5.	3	परिवार प्ररूप	ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित वेतन प्राप्त भक्ति, जैसे 'स्नातक अध्यापक' के लिए परिवार प्ररूप संकेतांक क्या होगा **?**	संकेतांक 9 (अन्य)
6.	3	परिवार प्ररूप	ग्रामीण क्षेत्र में एक सरकारी चपरासी के लिए परिवार प्ररूप संकेतांक क्या होगा **?**	परिवार प्ररूप संकेतांक 3 (अन्य श्रमिक)
7.	3	भूमि का स्वामित्व	घरेलू नौकर परिवार का एक सदस्य है । वह कुछ भूमि का मालिक है । क्या उस भूमि को परिवार की भूमि में शामिल किया जायेगा **?**	नहीं
8.	3	धारित भूमि	किसी फ्लैट समूह में एक किराये के फ्लैट को धारण करने वाले एक परिवार के लिए धारित भूमि कैसे निर्धारित की जायेगी **?**	एक फ्लैट का कब्जा रखने वाले परिवार द्वारा धारित भूमि ज्ञात करने के लिए भवन के कब्जे वाले कुल क्षेत्रफल को फ्लैटों के आकार के अनुपात में बांटा जायेगा ।
9.	3	खाना पकाने की ऊर्जा	यदि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा का प्राथमिक स्त्रोत गुल है, तो इसके लिए कौन सा संकेतांक होगा **?**	उचित संकेतांक है - 1 अर्थात् कोक/ कोयला
10	3	समारोह	अनुष्ठित समारोह से क्या तात्पर्य है **?**	यदि गैर-पारिवारिक सदस्यों को बड़ी संख्या में भोजन परोसे गए जिसके कारण पारिवारिक व्यय में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तो उस अवसर को समारोह माना जायेगा । यह एक धार्मिक या गैर-धार्मिक अवसर हो सकता है ।
11.	4	दिन जो	एक व्यक्ति सुबह 7 बजे घर से निकला	हाँ, यदि उसने भोजन बाहर किया हो ।

क्रम सं.	खंड	विषय	प्रश्न	अन्तर
1	2	3	4	5
		बाहर गुज़ारे गए ।	एवं अगले दिन सुबह 6 बजे घर लौटा क्या इसे एक दिन के लिए घर में रहना माना जायेगा ।	यदि वह व्यक्ति घर का बनाया हुआ भोजन करता है तो उसे घर से बाहर रहा नहीं माना जायेगा ।
12	5	गृह - उत्पाद	एक विद्यार्थी अपने शैक्षणिक स्थल पर एक सदस्यीय परिवार बनायेगा । यहाँ पर वह उपभोग करने के लिए अपने माता पिता के गृह उत्पादित भंडार से कई तरह की वस्तुएं लाता है जैसे खाद्यान्न, दालें, सब्बजियाँ आदि । क्या इन मदों का विद्यार्थी के परिवार के लिए गृह उत्पादित भंडार माना जायेगा **?**	हाँ ।
13.	5	स्कूल का भोजन	स्कूल के विद्यार्थियों को बगैर पका चावल दोपहर के भोजन स्वरूप दिया जाता है । कैसे और कहाँ इसे दर्ज किया जाऐगा **?**	प्रविष्टि खंड - 5, मद - 102, में दर्ज की जायेगी बर्शते कि चावल का उपभोग संदर्भ अवधि में किया गया हो । मूल्य को स्थानीय खुदरा दर पर आरोपित किया जाये ।
14.	5	पका हुआ भोजन	एक भिखारी विभिन्न परिवारों से भोजन ग्रहण करता है । क्या उन भोजन के मुल्य का आरोपण मद 302 में किया जायेगा **?**	परिवार की रसोई में पका हुआ भोजन यदि भिखारी को दिया गया है तो उसे भोजन बनाने वाले परिवार के नाम घटाकों में दर्ज किया जायेगा । यदि भिखारी परिवार के अतिरिक्त किसी संस्थान, जैसे सरकार से या फिर किसी एन. जी. ओ. से, तो उसे भिखारी के परिवार के नाम मद - 302 में दर्ज किया जायेगा ।
15	5	पका हुआ भोजन	घर के नौकर को बिना मूल्य पका हुआ भोजन वस्तुरूपी भुगतान के रूप में प्राप्त होता है । क्या इसका मूल्य नौकर के परिवार के लिए मद - 302 में दर्ज किया जायेगा **?**	नहीं, जो भोजन दूसरे परिवार की रसोई में बनाया गया उसे मद - 302 में दर्ज नहीं किया जायेगा । भोजन जो परिवार अपनी रसोई में बनाया गया है उसे भोजन बनाने वाले परिवार के नाम घटकों के नाम से दर्ज किया जायेगा । (जैसा रा. प्र. प्र. का अभ्यास है)
16.	5	पका हुआ भोजन	कॉर्पोरेट क्षेत्र में नियुक्त एक व्यक्ति को कार्यालय द्वारा कार्यालय में प्रायः निःशुल्क भोजन दिया जाता है । क्या उन भोजनों को खंड - 5 में दर्ज किया जायेगा **?**	हाँ वैसे भोजनों के आरोपित मूल्य खंड - 5 मी मद - 302 में दर्ज किये जायेंगे ।
17.	5	संसाधित	एक व्यक्ति भोजन घर में करता है,	चपातियों को (मद - 114) "अन्य गेहूँ

क्रम सं.	खंड	विषय	प्रश्न	अन्तर
1	2	3	4	5
		भोजन	जिसमें चपातियां बाहार से खरीदी हुई और सब्जी घर की बनी हुई है । क्या चपातियों को 'पके भोजन' के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा **?**	उत्पाद में दर्ज किया जायेगा । जब तक कि उनमे अन्य घटक जैसे मसाले मिले हुए न हों उस मामले में उन्हें" "अन्य संसाधित भोजन" (मद 308) में दर्ज किया जाना चाहिए ।
18.	5	दुग्ध उत्पाद	एक परिवार ने दूध खरीदा एवं उससे घी और दही बनाया और उनका उपभोग किया । क्या इसे घी/दही या दूध में दर्ज किया जायेगा **?**	प्रविष्टि केवल दूध में की जायेगी ।
19.	5	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	एक माह में BPL परिवारों को 10 किलो अन्नपूर्णा चावल दिया जाता है । क्या इस चावल की मात्रा को शामिल किया जायेग **?** यदि 'हॉ' तो उसके मुल्य की गणना किस दर पर की जायेगी **?**	हाँ, बाजार मूल्य पर ।
20.	5	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	एक परिवार सा.वि.प्र. से 10 किलों गेहूँ निःशुल्क प्राप्त करता है । मूल्य में क्या दर्ज किया जायेगा **?**	विद्यमान व्यवहार के अनुसार, मूल्य का आरोपण बजार दर से किया जायेगा एवं मद - 107 में दर्ज किया जायेगा ।
21.	5,6	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	एक सा.वि.प्र. दूकानदार उन्हीं लोगों को किरोसिन तेल देता है जो गेहूँ भी खरीदते हैं । अतः लोगों का मजदूरी में सा.वि.प्र. दुकान से गेहूँ खरीदना पड़ता है, जबकि खुले बजार में कम दाम में गेहूँ उपलब्ध है । क्या इसे सा. वि. प्र. खरीद माना जायेगा **?**	किरोसिन को मद - 344 (PDS) में दर्ज किया जायेगा एवं गेहूँ मद - 108 (अन्य स्त्रोत) में दर्ज किया जायेगा ।
22.	5	गुड़	यदि घर में बनाए गुड़ का उपभोग किया गया हो तो स्त्रोत संकेतांक क्या होगा **?**	घर में बनाए गए गुड़ का उपभोग करने पर उसे 'गुड़' में दर्ज नहीं किया जायेगा । उसे अवयव में उचित संकेतांक के साथ दर्ज किया जायेगा ।
23.		अचार	क्या इस मद में घर में बनाया गया अचार दर्ज किया जायेगा **?**	नहीं, उन्हें अवयव के अनुसार मदों में दर्ज किया जायेगा ।
24	5	देसी शराब	यदि देसी शराब घर में बनाई गई है, तो उसे कैसे दर्ज किया जायेगा **?**	अवयवों की मदों में दर्ज किया जायेगा ।
25.	5	निःशुल्क	एक परिवार को एक पैकेट चावल खरीदने	मान ले, चावल का स्वाभाविक बाजार

क्रम सं.	खंड	विषय	प्रश्न	अन्तर
1	2	3	4	5
		वस्तुऐं	पर एक पैकेट नमक निःशुल्क प्राप्त होता है । रू. 94/- का भुगतान किया गया है । चावल और नमक को कैसे दर्ज किया जायेगा **?**	मूल्य रू. 90/- एवं नमक का रू. 10/- है । रू. 94/- को चावल और नमक के बीच के अनुपात 90:10 अर्थात 9:1 में संविभाजित किया जायेगा । चावल के लिए रू. 94X9/10 = रू. 85 एवं नमक के लिए 94X1/10 = रू. 9/- दर्ज किया जायेगा । उपरोक्त परिकलन यह मान कर किया गया है कि संदर्भ माह में पूरे चावल और नमक का उपभोग कर लिया गया है । यदि संदर्भ माह में आधे नमक का उपभोग किया गया है तो रू. 9/- का आधा दर्ज किया जायेगा । चावल के लिए भी ऐसा ही किया जायेगा ।
26	5	निःशुल्क वस्तुऐं	एक परिवार को एक पैकेट चावल खरीदने से एक साबुन निःशुल्क प्राप्त होता है । यदि चावल और साबुन का स्वाभाविक बाजार मूल्य 9:1 के अनुपात में हो, तो चावल और साबुन को कैसे दर्ज किया जायेगा जब संदर्भ अवधि में आधा ही चावल उपभोग किया गया हो **?**	मान ले, कुल भुगतान राशि = रू. 60/- है । रू. 60 का 1/10 = रू. 6/- है, इसे साबुन के नाम दर्ज किया जायेगा (भले ही कितनी भी साबुन का उपभोग किया गया हो) और शेष का आधा, अर्थात् 50%Xरू. (60-6) = रू. 27/- को चावल के नाम दर्ज किया जायेगा ।
27.	6	सौर-उर्जा	एक परिवार के पास सौर-ऊर्जा की अवसंरचना है एवं वह उसका खाना पकाने/प्रकाश के लिए प्रयोग कर रहा है । उपभोग का मूल्य कैसे दर्ज किया जायेगा **?**	सौर-ऊर्जा प्रकृति से निःशुल्क संग्रह की जाती है । बजार में उसका कोई मूल नहीं है । अतः स्थानीय मूल्य शुन्य हैं । उसे खंउ - 6 में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है ।
28.	6	जेनरेटर	एक परिवार के पास जेनरेटर कनेक्शन है (जो विधुत प्राप्त करने के लिए एक उद्यम से लिया गया है) जिसके लिए प्रति माह व्यय होता है । इस व्यय का लेखा कहाँ दर्ज किया जायेगा **?**	यह व्यय मद - 342 (विधुत) में दर्ज किया जायेगा ।
29.	6	विधुत	विधुत उपभोग के लिए एक परिवार रु. 120/- की नियत दर से भुगतान करता है । पर संदर्भ माह में विधुत उपभोग रु. 120/- से ज्यादा का हो तो उसे कैसे दर्ज किया जायेगा **?**	प्रयुक्त विधुत का मूल्य रु. 120/- दर्ज किया जाए । (खरीद के मामले में, जिस मूल्य पर खरीद की गई , उस पर मूल्यांकन किया जायेगा ।)
30.	7	पुराने वस्त्र	क्या उपहार स्वरूप प्राप्त पुराने वस्त्रों के उपभोग पर यहाँ विचार किया जायेगा **?**	नहीं, केवल सेकेंड हैंड में खरीदे हुए वस्त्रों पर ही विचार किया जायेगा ।
31.	9,10, 11	उधार खरीद	क्या खंड - 9, 10, और 11 मदों की उधार खरीद को यहाँ दर्ज किया जायेगा अथवा नहीं **?**	नहीं खंड - 9, 10 और 11 की उधार खरीद पर किये गये व्यय को दर्ज नहीं किया जायेगा ।

क्रम सं.	खंड	विषय	प्रश्न	अन्तर
1	2	3	4	5
32.	5 - 11	क्रेडिट	रु. 1000/- का एक वस्त्र क्रेडिट कार्ड द्वारा खरीदा गया। पर भुगतान के समय, रु. 1100/- भुगतान किया गया, जिसमें रु. 100/- बैंक एवं अन्य शुल्क शामिल है। क्या रु. 1100/- को दर्ज किया जायेगा या अलग-अलग प्रविष्टियां दर्ज की जायेंगी। ?	वस्त्र के स्थान पर 1000/- रुपए दर्ज करें एवं रु0 100/- को अन्य उपभोग सेवा, यातायात को छोडकर (मद - 496) में दर्ज करें। नोट :- सामान्य तौर पर, क्रेडिट कार्ड से किसी एक दिन की खरीदारी को उसी दिन नकद खरीदारी माना जायेगा। अतः उपभोग के लिए प्रविष्टियां हमेशा की तरह उचित अभिगम (उपयोग/प्रथम उपयोग/ व्यय) को अपना कर की जायेंगी।
33.	9	डोनेशन	इंजिनियरिंग कॉलेज में भर्ती होने के लिए भारी रकम का भुगतान अनिवार्य डोनेशन के रूप में किया गया। क्या उसे अनुसूची 1.0 में दर्ज किया जायेगा ?	हाँ।
34.	9	पुस्तकें	होस्टल में रहने वाले अपने पूत्र के लिए परिवार का प्रमुख पुस्तकें खरीदता है। ऐसी पुस्तकों का मूल्य क्या माता-पिता के परिवार में शामिल किया जायेगा या फिर पुत्र के परिवार में ?	इसे माता-पिता के परिवार में शामिल किया जायेगा। पर पढाई-शुल्क जो सीधे तौर पर माता-पिता देते है, उसे पूत्र-परिवार में दर्ज किया जायेगा।
35.	9	चिकित्सा - व्यय	पिछले 365 दिनों में परिवार ने 8000/- रुपए चिकित्सा पर व्यय किए, जिसमें से 7000/- रुपए नियोक्ता ने प्रतिपूर्ति कर दी। कौन सी रकम दर्ज की जायेगी ?	व्यय-अभिगम के अनुसार, 8000/- रुपए की पूरी रकम दर्ज करनी है।
36.	9	चिकित्सा - व्यय	मद सं. 410 से 414 के लिए यदि सूचक प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग व्यय नहीं बता सकता, तो क्या व्यय मद - 419 में दर्ज किया जायेगा या पहले मद - 414 (अन्य चिकित्सा व्यय) में और उसके बाद मद - 419 में दर्ज किया जायेगा ?	मद - 410 से 414 किसी एक मद में व्यय को दर्ज करना है एवं साथ ही मद - 419 में भी दर्ज करना है। प्रमुख व्यय जहाँ हुआ है उसे वहीं दर्ज करना हैं।
37.	10	कें. स. स्वाः यो.	परिवार द्वारा दिया गया सी जी एच एस अंशदान की राशि कहाँ दर्ज की जायेगी ?	इसे मद - 424, अर्थात (गैर-संस्थागत) अन्य चिकित्सा व्यय में दर्ज किया जायेगा।
38.	10	परिवहन	एक विद्यार्थी के लिए रिकशा पर व्यय कहाँ दर्ज किया जायेगा ?	खंड - 10 वाहन उप-समूह में दर्ज किया जायेगा।
39	10	कार-ईधन	कार-ईधन स्वरूप LPG का उपभोग कहाँ दर्ज किया जायेगा ?	खंड - 10 वाहन उप-समूह में मद - 511 में दर्ज किया जायेगा।
40.	10	घरेलू नौकर का वेतन	परिवार के साथ एक घरेलू नौकर रहता है और उसे वेतन भी मिलता है। क्या उसे खंड - 10 में दर्ज किया जायेगा अथवा नहीं ?	हाँ, खंड - 10 की मद - 480 में दर्ज किया जायेगा।
41	10	रेल, बस	LTC के अंतर्गत क्या रेल/बस किराये पर	हाँ, भले ही यह प्रतिपूर्ति योग्य है। इन्हें

क्रम सं.	खंड	विषय	प्रश्न	अन्तर
1	2	3	4	5
			किया गया व्यय दर्ज किया जायेग ?	मद - 501 / 502 में दर्ज किया जायेगा ।
42.	10	रेल किराया	क्या रेल किराया के साथ जुड़े भोजन - शुल्क को अलग करना हैं ?	नहीं, इसे अलग करने की जरूरत नहीं है । किराये को मद - 501 में दर्ज किया जायेगा ।
43.	10	रेल किराया	अन्ध्र प्रदेश में आर टी सी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ रियायत दी जाती है । जो एक 'कैट-कार्ड' खरीदते हैं, जो 12 महीनों के लिए वैध होता है, उन्हें प्रत्येक यात्रा पर रियायत दी जाती है । इस कार्ड को खरीदने के लिए 200/- रुपए सलाना व्यय होता है । इस किराये को किस तरह रिपोर्ट किया जायेगा ?	व्यय को उस प्रकार निकाला जायेगा : संदर्भ माह में कार्ड के लिए किये गये व्यय का हिस्सा + यात्री द्वारा प्रदत्त वास्तविक किराया ।
44.	10	रेल किराया	यदि टिकट को रद्द करवाया गया हो, तो रद्द किये गये शुल्क को कहाँ दर्ज किया जायेगा । ?	नहीं, चुंकि यह कोई सेवा शुल्क भुगतान नहीं बल्कि एक जुर्माना है ।
45.	10	नाई आदि	एक गांव में, नाई, लोहार और अन्य करीगरों को साल में दो बार वस्तुओं के रूप में भुगतान किया जाता है । प्रत्येक परिवार को इन दो महीनों में वस्तुएं के रूप में बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है । यदि इसे उस माह के पारिवारिक मा प्र उ व्य में दर्शया जाए तो बहुत अधि प्रभाव पडता है । क्या इसे मासिक तौर पर संविभाजित नहीं किया जा सकता ?	वर्तमान खंड - 1 अनुदेशों के अनुसार, संदर्भ माह में भुगतान की गयी पूरी राशि को दर्शाना है पर यदि यह मा प्र उ व्य को ज्यादा प्रभावित करता है तो उसे मासिक तौर पर संविभाजित करना है, जिससे मा प्र उ व्य प्रभावित न हो ।
46.	10	डेबिट - कार्ड	डेविट -कार्ड एवं वैसे ही अन्य शुल्कों का लेखा कैसे रखा जाए ?	इसे "यातायात को छोडकर, अन्य उपभोक्ता सेवायें" (मद-496) में दर्ज किया जायेगा ।
47.	10, 11	डिश-एंटिना	पिछले 30 दिनों में DTH यंत्रों पर व्यय को कहाँ रिकार्ड किया जायेगा ?	डिश-एंटिना की खरीद पर व्यय को खंड - 11 (मद - 566) "मनोरंजन की अन्य वस्तुऐं" में दिखाया जायेगा और DTH के मासिक किराये को खंड - 10 (मद - 437) केवल TV में दर्ज किया जायेगा ।
48.	11	इन्वर्टर	इस खंड में, क्या इन्वर्टर में प्रयोग होने वाले डिस्टिल्ड पानी पर व्यय दर्ज किया जायेगा ?	इसे "अन्य टिकाऊ वस्तु" कॉलम 7 या 13 जो उपयुक्त हो, में दर्ज किया जायेगा ।
49.	11	रख-रखाव	सौर ऊर्जा के आवर्ती/रख-रखाव व्यय को कहाँ रिकार्ड किया जायेग ?	इसे "अन्य टिकाऊ वस्तु" कॉलम 7 या कॉलम 7 और 13 जो उपयुक्त हो, में दर्ज किया जायेगा ।
50.	11	किस्तों मे खरीदारी	एक वाशिंग मशीन किस्तों में खरीदी गई । उसकी प्रविष्टि कैसे की जायेगी ?	केवल संदर्भ अवधि के दौरान किये गये किस्तों के मूल्य को खंड 11 में दर्ज

क्रम सं.	खंड	विषय	प्रश्न	अन्तर
1	2	3	4	5
				किया जायेगा । यदि इस खरीद के लिए ऋण लिया गया है एवं विक्रेता को पूरे मूल्य का भुगतान किया गया है तो मशीन के पूरे बाजार मूल्य को दर्ज किया जायेगा ।
51.	11	टी. वी. के साथ निःशुल्क डी.वी.डी.	एक टी. वी. की खरीद पर परिवार को एक डी.वी.डी. निःशुल्क प्राप्त होता है । प्रविष्टियां कैसे की जायेंगी **?**	टी. वी. एवं डी.वी.डी. के बजार मूल्य के आधार कुल व्यय को प्रभाजित करके व्यय दर्ज किये जायेंगे ।
52.	11	मोबाइल के साथ निः शुल्क बातचीत समय	संदर्भ वर्ष में एक मोबाइल सेट की खरीद की गई एवं उस सेट के साथ जो बातचीत समय निःशुल्क दिया गया है उसका मूल्य मोबाइल सेट से ज्यादा है, उदाहरण के लिए, मोबाइल सेट का दाम = रु. 1274/- एवं बातचीत समय मूल्य = रु. 2000/- मोबाइल सेट के किस मूल्य को दर्ज किया जायेगा **?**	रु. 1274 की प्रविष्टि उपयुक्त आभ्युक्ति के साथ मद - 633 में दर्ज की जायेगी । यह प्रक्रिया उन सभी मामलों में प्रयोग की जायेगी, जहाँ वस्तुओं की खरीद पर निः शुल्क सेवाऐं प्राप्त होती है ।
53.		सोने के गहने	एक परिवार ने सोने के कुछ गहनें, सोना और कुछ नकद के विनियम में खरीदा । इस मामले में, प्रविष्टि के लिए कुल राशि, या केवल नकद भुगतान पर ही विचार किया जायेगा **?**	केवल नकद भुगतान पर ही विचार किया जायेगा ।
54.		सोना	एक प्रतिदर्श परिवार सोना बचत योजना में भाग लेता है जिसके अतंर्गत बम्पर लॉटरी एवं लक्की-ड्रा शामिल है एवं वह परिवार इस योजना के अंतर्गत रु. 1000 के दो किस्त देने के बाद रु. 25000/- का सोना जीत जाता है । इस परिस्थिति में, मद - 570 में क्या दर्ज किया जायेगा **?**	लॉटरी एवं जुआ पर व्यय - उपभोक्ता व्यय नहीं है । अतः इसे दर्ज करने की कोई अवश्यकता नहीं है । यह सोना परिवार के लिए हस्तांतर प्राप्ति है ।

*****